Par. S. 17. II. 17. 53
285

अंक २

संख्या १७

बृहस्पतिवार

२३ अप्रैल, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ३४२७—३४६६]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ३४६६—३४९६]

(मूल्य ४ आने)

232 P.S.D.

लोक सभा

बृहस्पतिवार, २३ अप्रैल, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेलवे में कर्मचारी-वृन्द के लिये कैंटीन

*१५५२. **श्री नम्बियार** : क्या **रेल मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि सब रेलवे कार्य-केन्द्रों लोको शैडों इत्यादि में कर्मचारि-वृन्द के लिये कैंटीनों का प्रबन्ध है और यदि नहीं तो क्यों नहीं ;

(ख) क्या कैंटीनें रेलवे प्राशासन की सहायता से चलाई जाती हैं; तथा

(ग) क्या विभिन्न स्थानों पर इन कैंटीनों के कार्य के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं, और यदि ऐसा है तो उन के कार्य में क्या सुधार किये गये हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) कारखानों सम्बन्धी अधिनियम १९४८ की धारा ४६ के क्षेत्राधीन आने वाली सब रेलवे स्थापनाओं में कर्मचारीवृन्द के लिये कैंटीनों का प्रबन्ध है । ऐसे कई अन्य कार्य-केन्द्रों में भी कैंटीनों का प्रबन्ध है जहां पर्याप्त कर्मचारी हैं, और कैंटीनें सफलता से चल सकती हैं ।

(ख) जी हां । रेलवे प्रशासन १ रुपया मासिक किराया पर अपेक्षित स्थान का प्रबन्ध और संधारण करता है । सफाई और विद्युत के स्थापन तथा खाना पकाने के बर्तनों का भी मुफ्त प्रबन्ध किया जाता है । जहां आवश्यक हो वहां सेवा कर और बिजली तथा पानी के उपभोग के भार भी रेलवे प्रशासन उठाते हैं ।

(ग) कर्मचारीवृन्द से कभी कभी छोटी प्रकार की शिकायतें, शिकायतों सम्बधी पुस्तकों, कैंटीन समितियों द्वारा अथवा प्रत्यक्षतः मिलती हैं । इन्हें देखा जाता है और उपयुक्त कार्य किया जाता है ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि कैंटीनों में दी जान वाली खाद्य सामग्री की मात्रा में कमी के सम्बन्ध में कई शिकायतें विशेषतः दक्षिण भारतीय रेलवे की ओर से मिली हैं ?

श्री शाहनवाज खां : जैसा मैं ने अपने उत्तर में बताया है शिकायतें मिलती हैं और ज्यूं ही वे मिलती हैं प्रत्येक शिकायत के गुण दोष के आधार पर उस का निपटारा किया जाता है ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या लोको शैड कारखानों सम्बन्धी अधि-नियम के अधीन आते हैं क्योंकि अधिनियम लोको शैड के कार्य का अपवर्जन करता है ।

श्री शाहनवाज खां : लोको शैड भी अन्तर्विष्ट किये गये हैं । इस के अतिरिक्त

कतिपय अन्य कार्य केन्द्र और रेलवे यार्ड भी शामिल किये गये हैं ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत के सब कार्य केन्द्र और लोको शैड अब इन कैंटीनों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं अथवा कुछ ऐसा स्थान है जहां कैंटीनें नहीं ?

श्री शाहनवाज खां : यद्यपि उन में से सब लाभ नहीं उठा रहे। हम उन सब को लाभ प्रदान करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या कोई विराजकीय संस्थायें कैंटीन चला रही हैं ।

श्री शाहनवाज खां : जी नहीं। सब कैंटीनें रेलवे प्रशासन अथवा श्रमिकों द्वारा संगठित सहयोगी समितियों द्वारा चलाई जा रही हैं ।

पर्वत भत्ते

*१५५३. **श्री नम्बियार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वत तथा जंगल के क्षेत्रों में काम करने वाले रेल के व्यक्तियों को कोई रेल अथवा पर्वत भत्ता दिया जाता है;

(ख) यदि ऐसा है तो क्या मार्च १९५० से पूर्व कार्य करने वालों और उस के पश्चात् से कार्य करने वालों में कोई भेद रखा गया है ;

(ग) ऐसे भेद के लिये यदि कोई हों तो क्या कारण हैं ; तथा

(घ) क्या इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि ऐसा है तो क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) उत्तर सकरात्मक है । ये भत्ते उन्हीं शर्तों और आधारों पर दिये जाते हैं जो केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों पर लागू हैं ।

(ख) तथा (ग): नियमतः कोई भेद नहीं किया गया । फिर भी दक्षिण रेलवे में जहां कर्मचारियों को पहले ही पर्वत भत्तों की उच्च दरें मिलती थीं जब वे जो १-३-५० से पूर्व नीलगिरी पर्वत रेलवे के विभाग में कार्य कर रहे थे और जहां प्रमापित दरों के लागू करने से दरों में कमी होनी थी, वहां १-३-५० से पूर्व कार्य करने वाले कर्मचारी वृन्द को विशेष रूप से, उच्च दरें अपने निजी विशेषाधिकार के रूप में तब तक प्राप्त करने की आज्ञा दी गई है जब तक वे नीलगिरी विभाग में कार्य करते रहें । १-३-५० को अथवा उस के पश्चात् इस विभाग में लगाये गये अथवा स्थानान्तरित किये गये कर्मचारियों के सम्बन्ध में, ये दरें अन्य मंत्रालयों के कर्मचारियों पर लागू दरों के अनुसार बनाने के लिये समतल की गई हैं

(घ) माननीय सदस्य के अभ्यावेदन सहित अन्य कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और उपयुक्त आधारों पर उन का उत्तर दिया गया है ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि किस आधार पर मार्च १९५० प्रमाणीकरण की तिथि समझी जाती है । और क्या १९५० से पूर्व और पश्चात् की स्थितियों का ध्यान रखा गया है ।

श्री अलगेशन : प्रमाणीकरण की दरें उस तिथि को लागू की गई थीं । उस तिथि को उस प्रयोजन की तिथि माना गया ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या इस प्रमाणीकरण के कारण दक्षिण भारतीय रेलवे के रेल कर्मचारियों की बड़ी संख्या को हानि हो रही है ।

श्री अलगेशन : जी नहीं। जो लोग पहले ही भत्तों की उच्च दरें प्राप्त कर रहे थे उन्हें निजी विशेषाधिकार के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। वह मैं ने पहले ही अपने उत्तर में कहा है।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या कोई विभागीय रेलवे कर्मचारी जो पहले उच्च दरें प्राप्त कर रहे थे इस प्रमाणीकरण के कारण हानि उठा रहे हैं।

श्री अलगेशन : जब तक वह उस विशेष विभाग में कार्य करते रहे, यदि वे १-३-१९५० से पूर्व उच्च दरें प्राप्त करते रहे हों तो उच्च दरें दी जाती हैं।

श्री थानू पिल्ले : मैं जान सकता हूं कि ये वेतन तथा मजदूरी अन्य विभागों में अन्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन इत्यादि की तुलना में कैसे हैं।

श्री अलगेशन : उन्हें अन्य विभागों के साथ समतल पर लाया गया है।

श्री पुन्नूस : क्या मैं यह समझूं कि इस प्रमाणीकरण के कारण किसी को हानि नहीं हुई। क्या यह स्पष्ट है ?

श्री अलगेशन : मैं ने कई बार दोहराया है कि वे जो पहले भत्तों की उच्च दरें प्राप्त करते थे यदि वे उस विशेष विभाग में कार्य करते रहें तो उन्हें अब भी भत्तों की उच्च दरें मिलती हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या विशेष तिथि से पूर्व ?

शहर के रेलवे टिकट घर

*१५५४. **श्री संगण्णा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में शहर के रेलवे टिकट के कितने टिकट घर हैं;

(ख) क्या उन का प्रबन्ध सरकार करती है अथवा अशासकीय प्रबन्ध हैं ;

(ग) यदि उन का अशासकीय प्रबन्ध है तो उन्हें किस दर से आढ़त दी जाती है ;

(घ) क्या आढ़त की दर को बढ़ाने के लिये सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; तथा

(ङ) यदि ऐसा है तो उन पर क्या निर्णय हुआ है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) दो।

(ख) एक को सरकार विभागीय रूप से चलाती है और दूसरे को अराजकीय ठेकेदार चलाता है।

(ग) टिकटों के विक्रय द्वारा एकत्र किये गये किरायों में पूर्वी रेलवे के भाग में से $२\frac{१}{२}$ प्रतिशत आढ़त।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री संगण्णा : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार और टिकट घर खोलने का विचार रखती है ?

श्री शाहनवाज खां : मुझे प्रश्न समझ नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार कुछ और केन्द्र खोलने का विचार रखती है ?

श्री शाहनवाज खां : जी नहीं।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि इन टिकट घरों को अराजकीय अभिकर्त्ताओं को देने से क्या लाभ होता है ?

श्री शाहनवाज खां : हम अपने कार्यालय खोलने के कष्ट से बच जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन का अभिप्राय यह है कि नये कार्यालय खोलने पर होने वाले व्यय से बच जाते हैं।

श्री केलप्पन : अन्य रेलवे में अराजकीय अभिकर्त्ताओं को कितनी आढ़त दी जाती है ?

श्री शाहनवाज खां : मुझे नोटिस चाहिये ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या इन अराजकीय घटकशालों के साथ बसें हैं और यदि ऐसा है तो क्या इन बसों के किरायों में से सरकार कोई आढ़त लेती है ?

श्री शाहनवाज खां: मुझे इस के लिये भी नोटिस चाहिये ।

अनुसूचित क्षत्रों में छूत की बिमारियां

*१५५५. **श्री संगण्णा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य सरकारों ने गत पांच वर्षों में उन के अनुसूचित क्षेत्रों में छूत की बीमारियों को रोकने के लिये उन के साधनों में वृद्धि की सहायता के लिये पहुंच की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : गत पांच वर्षों में वैक्सीन प्राप्त करने का प्रबन्ध करने के लिये कुछ राज्य सरकारें भारत सरकार के पास पहुंची थीं । प्रत्येक अवसर पर आवश्यक प्रबन्ध शीघ्र किये गये ।

श्री संगण्णा : मैं जान सकता हूं कि गत पांच वर्षों में से प्रत्येक में विसूचिका और शीतला रोगों से कितनी मृत्यु हुई ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि विवरण मांगना ठीक होगा । आंकड़ों की सूची देना कठिन है ।

राजकुमारी अमृत कौर : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं । यदि माननीय सदस्य सूचना चाहें तो मैं एकत्र कर के उन्हें दे सकती हूं ।

अम्बरी फलकाता और सिल्लीगुड़ी स्टेशनों के बीच इंजन का पटरी से उतरना

*१५५८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि १३ मार्च, १९५३ को अम्बरी फलकाता और सिल्लीगूड़ी स्टेशनों के बीच गोहाटी से २५० मील दूर, उत्तर पूर्वी रेलवे (पुंडरिजन) की सिल्लीगुड़ी हल्दी वाड़ी शाखा की पैसेंजर गाड़ी का एक इंजिन पटरी से उतर गया था;

(ख) यदि हां, तो उतरने के क्या कारण थे; तथा

(ग) कितने व्यक्ति घायल हुए और रेल को कितने रुपयों का नुक्सान हुआ ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां । समय २०-३६ के लगभग १३ मार्च, १९५३ को २८७ अप-सवारी गाड़ी का इंजन अम्बरी फलकाता और सिल्लीगुड़ी स्टेशनों के बीच ४/२२ मील पर उतर गया और टूट गया । घटना-स्थल गोहाटी से लगभग २७० मील है ।

(ख) उस डिब्बे के साथ टक्कर के कारण यह लाइन से उतर गया, जो आंधी द्वारा सिल्लीगुड़ी स्टेशन यार्ड से धकेले जाने पर अम्बरी फलकाता और सिल्लीगुड़ी स्टेशन के बीच ४/२२ मील पर आ कर ठहर गया था ।

(ग) दो व्यक्ति जिन में गाड़ी का ड्राइवर सम्मिलित है जो बाद में हस्पताल में मर गया, सख़्त हताहत हुए थे और तीन अन्य लोगों को साधारण चोटें आई थीं । रेलवे सम्पत्ति को लगभग ६१०० रुपये की क्षति हुई ।

श्री रघुनाथ सिंह : यह रिलीफ़ ट्रेन कितनी देर के बाद वहां पर आई ?

श्री शाहनवाज खां : रिलीफ ट्रेन १४ तारीख की रात को १२ बजे कर ५० मिनट पर पहुंच गई ।

श्री रघुनाथ सिंह : ऐक्सीडेंट के कै घंटे बाद ?

श्री शाहनवाज खां : करीबन चार घंटे बाद ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । क्या माननीय सदस्यों में से बैठेंगे ? अब मंत्री प्रश्न का उत्तर दें ।

श्री शाहनवाज खां : इस में चार घंटे लग गये ।

श्री रघुनाथ सिंह : इतनी देर क्यों हुई?

श्री शाहनवाज खां : क्योंकि रिलीफ ट्रेन को जहां ऐक्सीडेंट हुआ था उस जगह दूर से आना था ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले प्रश्न पर आयें ।

मनीपुर में जीप और मोटर के योग्य सड़कें

*१५६२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और जापानी सेनाओं द्वारा कितने मील जीप तथा मोटर के योग्य सड़कें बनाई गई और उन के नाम क्या हैं ।

(ख) क्या सरकार इन में से कुछ सड़कों का संधारण करती है । और यदि ऐसा है तो कितने मील और संधारण का व्यय क्या है; तथा

(ग) वे सड़कें कितने मील हैं जिन का संधारण सरकार करती है और इस के क्या कारण हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी सेनाओं ने मनीपुर में कोई सड़कें नहीं बनाईं । मित्र राष्ट्र की सेनाओं द्वारा बनाई गई सड़कों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा है । **[देखिए परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या १०]**

(ग) शून्य, परन्तु सड़कों में से कुछ का संधारण सरकार केवल नियंत्रण-पत्र के लिये कर रही है जैसा कि विवरण के अन्तिम स्तम्भ में बताया गया है ।

श्री रिशांग किशिंग : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार जीप के योग्य सड़कों को शीघ्र भविष्य में सब ऋतुओं में मोटर के योग्य बनाने की कोई योजना रखती है ?

श्री अलगेशन : यह विशेष सड़कों पर निर्भर है । इस समय जितनी सूचना हमारे पास है विवरण में दी गई है ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या सरकार को यह विदित है कि शांग शक–ह्यूमीन सड़क सब जीप योग्य सड़कों से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अपर बर्मा से मिलाती है, और अब भी इस का प्रयोग सीमान्त सैनिक चौंकियों के लिये रसद लाइन के रूप में किया जा रहा है । और यदि ऐसा है तो मैं जान सकता हूं कि सरकार इस जीप योग्य सड़क के संधारण के लिये क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री अलगेशन : सड़कों की रचना और उन के प्रयोग के लिये कार्यक्रम है । यहां मेरे पास विवरण नहीं है ।

असैनिक विमान विभाग बेगमपेट के कर्मचारियों को प्रतिकरात्मक भत्ते

*१५६३. **श्री विट्ठल राव** :(क) क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हैदराबाद राज्य में बेगमपेट के विमान विभाग

के कर्मचारियों को प्रतिकरात्मक भत्ते न देने के क्या कारण हैं ?

(ख) क्या सरकार को यह विदित है कि कार्य का स्थान सकन्द्राबाद की म्युनिसिपिल सीमाओं में है ?

संचरण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) प्रतिकरात्मक भत्ते पहले ही ऐसे राजपत्र विहीन व्यक्तियों को दिया जाता है जो बेगमपैट हवाई अड्डे पर लगे हुए हैं और जो हवाई अड्डे पर नहीं रहते। कुछ समय पूर्व हवाई अड्डे पर रहने वाले कर्मचारियों को भी भत्ते देने का प्रश्न विचाराधीन था और अब यह निर्णय किया गया है कि उन्हें १६ जनवरी १९५३ से यह भत्ता दिया जाए ।

(ख) जी हां, हवाई अड्डे का एक बड़ा भाग सकन्द्राबाद म्युनिसिपैलिटी की बढ़ाई गई सीमाओं में है ।

श्री विट्ठल राव : मैं जान सकता हूं कि क्या उन्हें पहले ही भत्ता दिया जा चुका है ?

श्री राज बहादुर : मैं ने बताया है कि यह निर्णय किया गया है कि १६ जनवरी १९५० से भत्ता दिया जायगा ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्यों १६ जनवरी १९५० से देने का निर्णय किया गया और क्यों पहले से नहीं ।

श्री राज बहादुर : हवाई अड्डे को हाकिम पैट से बैगमपैट ले जाने से पूर्व उन्हें प्रतिकरात्मक भत्ता और किराया मकान अधिदेय दिया जाता रहा है । यद्यपि इसे बेगमपैट ले जाया गया, उन्हें देर तक अर्थात् ३१ मार्च १९५२ तक ये भत्ते दिये जाते रहे। फिर यह बताया गया कि यह म्युनिसिपिल क्षेत्र में नहीं हैं । बाद में म्युनिसिपिल क्षेत्र बढ़ा दिया गया। और इसलिये हम ने उस सीमा तक इसे पूर्व तिथि से कर दिया है ।

श्री पुन्नूस : जब यह स्पष्ट है कि उन की शिकायतें वास्तविक थीं तो क्या निर्णय को पूर्व तिथि से लागू किया जायगा ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । जो कुछ भी उन्हों ने निर्णय किया वे उसे लागू करेंगे । अगला प्रश्न ।

फिरोजपुर में भंडार

*१५६४. **श्री के० पी० सिन्हा :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि फिरोज़पुर ज़िला में सरकारी भंडार में एकत्र किया गया खाद्यान्न क्षति प्राप्त हुआ है ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि भंडार में खाद्यान्न कीड़ों द्वारा खाया गया है और उस में पत्थर मिले हुए हैं ?

(ग) क्या सरकार को फिरोज़पुर में एकत्र किये गये खाद्यान्न के सम्बन्ध में कोई शिकायत मिली है ?

(घ) यदि ऐसा है तो सरकार ने इस दिशा में क्या पग उठायें हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) से (ग) तक. यह तथ्य नहीं है कि ज़िला फिरोज़पुर के सरकारी भंडार में एकत्र किये गये खाद्यान्न को क्षत्ति हुई है । फिर भी कुछ तथ्य संक्षेप में एक विवरण रूप में सदन पटल पर रखे गये हैं ।

(घ) आदेश जारी किये गये हैं कि वह अन्न जिस में मिट्टी और अधिक प्रतिशतता में कीड़ा हो देने से पूर्व साफ किया जाना चाहिये ।

विवरण

केन्द्रीय सरकार का फिरोज़पुर के समीप कासुबेगु में अपना भंडार है और फरवरी १९५३ में राशि ३३,८०० टन थी । फरवरी १९५३ में राज्य सरकार की

जिला में राशि १४,६५५ टन थी। कीटशोधन और कीड़ा मारने के ढंगों के कारण कीड़ों द्वारा क्षति पर रोक रखी गई परन्तु फिर भी कुछ राशि में थोड़ा सा कीड़ा लग गया। मंडी को भेजे गये खाद्यान्न के बारे में हिमाचल प्रदेश से केवल एक शिकायत मिली जिस में बताया गया कि २० टन की राशि अत्याधिक कीड़ा युक्त थी और ६ बोरियों में छिलका, धूल और पत्थर के कारण गंदा अनाज था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कासु बेगू से जनवरी १९५३ में ४०० टन अनाज उठाया जिस में से ९१.६ टन मंडी गया। तो भी भंडार के अभिलेख द्वारा पता लगा है कि मंडी भेजे गये अनाज में कीड़े की प्रतिशतता १ से ५.२ प्रतिशत थी अनाज भेजने के समय हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधि उपस्थित था और उस ने कोई आपत्ति नहीं की।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या यह तथ्य है कि इस गेहूं का नमूना भारत सरकार को दिया गया और यह जांच की गई कि उस नमूने में रेत और कीड़े तो नहीं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : प्रत्येक भंडार में उस के अधिकारी कर्मचारी होते हैं और वहां एक कीटशास्त्रज्ञ लगा हुआ है। उन के पास ये नमूने होंगे और वे जांच करेंगे कि क्या वे निर्देशित विशेष विवरण अनुसार हैं।

श्री के० पी० सिन्हा : मेरा प्रश्न है कि क्या नमूने के प्राप्त होने पर यह जांच की गई थी कि क्या अनाज में कीड़े और पत्थर हैं?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं नहीं जानता कि किस ने फिरोज़पुर से नमूना भेजा था। हम ने ४०० टन गेहूं हिमाचल प्रदेश को दिया। इसे भेजने के दो मास पश्चात् हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिकायत की कि मंडी जिले को भेजे गये ९० टन गेंहू में से लगभग २० टन में अत्यधिक कीड़ा था। जब यह गेंहूं भेजा गया तो हिमाचल प्रदेश का एक प्रतिनिधि उस स्थान पर था और उसने कोई आपत्ति नहीं की। भेजने के केवल २ मास पश्चात् आपत्ति की गई।

श्री के० पी० सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या यह विदेशी गेंहूं था अथवा इस देश में उपलब्ध किया गया गेहूं था ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : अधिकतया विदेशी गेहूं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मंत्री ने अभी बताया कि आदेश दिए गए हैं कि मिट्टी और पत्थर के ५ प्रतिशत मिश्रण से अधिक नहीं होना चाहिये। क्या इस का यह अभिप्राय नहीं कि ५ प्रतिशत मिश्रण हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं नहीं समझता कि इस के उत्तर की कोई आवश्यकता है।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैंने यह नहीं कहा।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि भंडारों की रचना कैसी है? क्या यह कनकरीट का है, फूस का है अथवा झुरीदार लोहे की चादरों का ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जहां कहीं हमने भंडार बनाए हैं हम ने उन्हें ऐसा बनाया है जिन्हें चूहे, कीड़े, नमी आदि सब वस्तुएं क्षति नहीं पहुंचा सकतीं जब कभी हमें अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता हो हम इन सब बातों का आग्रह नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : अब अगला प्रश्न।

श्री नानादास : मैं विशेष भंडार के सम्बन्ध में जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी हो उन्होंने उत्तर दे दिया है।

श्री नम्बियार : फिर भी चूहे घुस आते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सब कुछ सभी बातों से रक्षित नहीं हो सकता।

श्री रघुरामय्या : मैं जानना चाहता था कि क्या यह भी सर्व-रक्षित था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी बताया है कि यह वैसा नहीं हो सकता।

तैमंगलांग मोटर की सड़क

*१५६५. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **यातायात** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) तैमंगलांग मोटर की सड़क में अब तक क्या प्रगति हुई है और कब तक इस के पूर्ण होने की आशा है ;

(ख) सड़क पूरी करने में कितना व्यय होने का अनुमान है;

(ग) क्या वर्ष १९५३–५४ में मनीपुर की पहाड़ियों के किसी भाग में मोटर के योग्य सड़कें बनाने के लिये कोई योजना बनाई गई है;

(घ) क्या सरकार इम्फाल और उखरूल के बीच मोटर के योग्य सड़क बनाने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि ऐसा है तो कब ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) वर्तमान की पंचवर्षीय योजना के अधीन सड़क का केवल पहला भाग बनाने का उपक्रम किया गया है। इस भाग के लगभग २१ मील में १० फुट चौड़ी रचना पूर्ण हो गई है। इसे १६ फुट तक चौड़ा करना और पत्थर की नालियों की रचना चल रही है। इस भाग के १९५६ में पूर्ण होने की आशा है। पहले भाग के पूर्ण होने पर दूसरे भाग (५० मील) का उपक्रम किया जाएगा।

(ख) लगभग ७५ लाख रुपये।

(ग) जी हां। तीन सड़कें अर्थात् इम्फाल-तेमंगलांग,-चूरराचंदपुर-टिडुम तथा तदबी-तंगजोई सड़कों को मोटर योग्य बनाया जा रहा है।

(घ) तथा (ङ). यूखरूल के रास्ते पर इम्फाल से लितन तक पहले ही मोटर योग्य सड़क है जब कि लितन से यूखरूल तक की सड़क पर कार कठिनाई से चलाई जा सकती है। लितन यूखरूल भाग को मोटर योग्य बनाने के लिये अन्वेषण किया जा रहा है।

श्री रिशांग किशिंग : मैं जान सकता हूं कि सरकार ने अब तक इन सड़कों पर कितनी धन-राशि व्यय की है ?

श्री अलगेशन : पहली सड़क पर अब तक ३.७ लाख व्यय किया गया है।

श्री रिशांग किशिंग : मैं जान सकता हूं कि क्या मनीपुर में मूल्यों के बढ़ जाने और ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों को उचित मज़दूरी देने से इन्कार के कारण, श्रमिकों की कमी हो गई है, और क्या उक्त कारणों से सड़क की प्रगति पर प्रभाव पड़ा है ?

श्री अलगेशन : जी हां, वहां फैली दुष्प्राप्यता और बढ़े हुए मूल्यों के कारण कुछ कठिनाइयां हुई थीं मौनसून ने भी बाधा डाली और काम नहीं चलाया जा सका। परन्तु अब काम चल रहा है।

श्री रिशांग किशिंग : मैं जान सकता हूं कि क्या लगभग २५ मील लम्बी लितन-यूखरूल सड़क जिस का पहाड़ी रास्ता लगभग काटा जा चुका था और जिस पर सरकार ने लगभग १ लाख रुपया राज्य के संविलयन से पूर्व व्यय किया था, उसकी वर्तमान सरकार ने उपेक्षा की है और यदि उत्तर सकारात्मक है तो सरकार इसे पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री अलगेशन : ये सड़कें आसाम के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही हैं यूखरूल और लितन के बीच उसमें अब नए परिवर्तन का अन्वेषण किया जा रहा है। उस सड़क पर व्यय की गई राशि के सम्बन्ध में, जो छोड़ दी गई है, जैसा मेरे माननीय मित्र ने कहा है, मुझे नोटिस चाहिये।

श्री रिशांग किशिंग : क्या सरकार को विदित है कि इम्फाल और यूखरूल के बीच सड़क को मोटर योग्य बनाना और सब ऋतुओं के योग्य बनाना अत्यावश्यक है क्योंकि यह मनीपुर के सब उप-विभागों में सब से बड़ा और सब से महत्वपूर्ण है ?

श्री अलगेशन : जी हां ! यूखरूल के रास्ते पर इम्फाल और लितन के बीच अब मोटर योग्य सड़क है। यह लगभग २३ मील लम्बी है।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं जान सकता हूं कि क्या इस सड़क को प्रान्तीय पथ अथवा राष्ट्रीय पथ के रूप में अथवा दोनों रूप से श्रेणीगत किया गया है, और प्रत्येक श्रेणी में कितने मील की लम्बाई है ?

श्री अलगेशन : मुझे नोटिस चाहिये।

उदयपुर और अजमेर के बीच डाक गाड़ी व्यवस्था

*१५६६. **श्री भीखा भाई :** (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उदयपुर और अजमेर के बीच डाक गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है ?

(ख) यदि ऐसा है तो कब ?

(ग) यदि ऐसा नहीं तो क्या सरकार अजमेर से उदयपुर के लिये कुछ और सीधे डिब्बे लगाने का विचार रखती है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी नहीं।

श्री भीखा भाई : श्रीमान् जी, मैं जान सकता हूं कि क्या कोई सरकारी अथवा अराजकीय अभ्यावेदन इस सम्बन्ध में किया गया है ?

श्री शाहनवाज खां : हमें एक प्रकार का अभ्यावेदन मिला है परन्तु हम नहीं समझते कि इसमें कुछ न्याय-संगत है।

श्री भीखा भाई : श्रीमान् जी, मैं जान सकता हूं कि क्या अजमेर से उदयपुर जाने वाले सीधे डिब्बों में तीसरे और मध्यम श्रेणी के यात्रियों को स्थान नहीं मिलता ?

श्री शाहनवाज खां : श्रीमान् हमें यह विदित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री रघुनाथ सिंह।

माननीय सदस्य को अपना स्थान नहीं बदलना चाहिये। मैंने वह स्थान देखा जहां वह बैठे थे।

एक माननीय सदस्य : वह वहां पहुंचने का प्रयत्न कर रहे थे।

प्रशिक्षण संस्था, काशी

*१५६७. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार काशी विश्वविद्यालय के श्रम विभाग द्वारा दिए गए शिल्पिक प्रशिक्षण के प्रमाण पत्रों को मान्यता देती है; तथा

(ख) क्या यह तथ्य है कि शिक्षा मंत्रालय उक्त प्रमाण पत्रों को मान्यता नहीं देती ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : इस प्रशिक्षण केन्द्र में ड्राफ्टस्मैन (सिविल तथा मैकेनीकल), इलैक्ट्रीशन, लाईनमैन तथा वायरमैन, मैकेनिस्ट, फिटर्स, मैकेनिक, आई०

सी० इंजन्स, मोल्डर, टरनर, ओवरसियर के व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है। आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने श्रम मन्त्रालय द्वारा उपरोक्त व्यवसायों में दिए गए प्रमाण पत्रों को स्वीकार कर लिया है, जबकि पंजाब, बम्बई और मद्रास ने कुछ व्यवसायों के प्रमाण पत्रों की स्वीकृति दी है। श्रम मंत्रालय द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों के अन्य राज्य सरकारों द्वारा अभिज्ञान के प्रश्न का ध्यान रखा जा रहा है।

(ख) जी नहीं शिक्षा मन्त्रालय ने पहले ही ड्राफ्टसमैन (सिविल तथा सिविल मैकेनिक) के प्रमाण पत्रों को स्वीकार कर लिया है। अन्य व्यवसायों के प्रमाण पत्रों के अभिज्ञान का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि यू० पी० सरकार ने इस डिग्री को मान्यता देने से इंकार किया है ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे इस के लिये नोटिस चाहिये :

श्री रघुनाथ सिंह : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इस संस्था द्वारा पास हुए स्टूडेंट्स बहुत से स्थानों पर गए लेकिन उनको इस वास्ते सर्विस नहीं दी गयी कि उस डिग्री की मान्यता नहीं है ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं माननीय सदस्य से सूचना प्राप्त करना चाहूंगा और प्रश्न का पीछा करूंगा।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि किन विषयों में प्रशिक्षा प्रदान की जाती है।

श्री वी० वी० गिरि : मैंने अभी पढ़ कर सुनाया है।

श्री पी० एन० राजभोज : क्या मैं जान सकता कि सरकार दूसरे विश्वविद्यालयों की डिग्रियों को मान्यता देती है ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे खेद है कि यहां मेरे पास सूचना नहीं है। मैं अवश्य माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि राज्य सरकारों ने कुछ व्यवसायों के प्रमाण पत्रों के अस्वीकार करने के लिये क्या कारण बताए हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : उन के मत के अनुसार सम्भवतः दी जाने वाली प्रशिक्षा संतोषजनक नहीं है। मैं सदन को विश्वास दिला दूं कि शिव राव समिति इन सब विषयों पर विचार कर रही है और वह हमें अपने परामर्श द्वारा लाभ पहुंचाएगी।

पीलीभीत और शाहजहानपुर के बीच सवारी गाड़ी

*१५६८. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पीलीभीत और शाहजहानपुर स्टेशनों के बीच उत्तर पूर्वीय रेलवे की मीटर गेज लाईन पर युद्ध पूर्व की सवारी गाड़ी को पुनः चलाने के लिये रेलवे प्राधिकारियों के पास कोई अभ्यावेदन आए हैं ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार शीघ्रातिशीघ्र उक्त गाड़ी को चलाने का विचार रखती है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) १६ अप्रैल १९५३ से एक अतिरिक्त गाड़ी पिलीभीत और बिलासपुर के बीच चलाई गई है, उसे जब चल स्कंध प्राप्य होगा तो शाहजहानपुर तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा।

देहली डाक मोटर व्यवस्था

*१५६९. **श्री पुन्नूस :** क्या संचरण मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि देहली डाक

मोटर व्यवस्था को लगभग एक लाख रुपए की हानि हुई है;

(ख) यदि ऐसा है तो क्या कोई पूछताछ की गई है; तथा

(ग) क्या सरकार पूछताछ के निष्कर्ष सदन पटल पर रखने का विचार रखती है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री पुन्नूस : मैं जान सकता हूं कि क्या इस व्यवस्था को ठेकेदारों को दे देने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है ?

श्री राज बहादुर : जी नहीं।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं जान सकता हूं कि डाक मोटर चलाने का प्रतिवर्ष कितना व्यय है ?

श्री राज बहादुर : यह ९ आने ९ पाई है।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि डाक मोटर व्यवस्था किस आधार पर चल रही है। हानि अथवा लाभ पर ?

श्री राज बहादुर : यह व्यवस्था डाक पहुंचाने के लिये है। केवल इस के लिये।

श्री पुन्नूस : मैं जान सकता हूं कि यह व्यवस्था कब ठेके की प्रणाली से ले ली गई थी और क्या मंत्री वह तुलनात्मक व्यय बतायंगे जो प्रथम वर्ष में ठेकेदार द्वारा चलाए जाने पर और अब विभाग द्वारा चलाए जाने में हुआ ?

श्री राज बहादुर : यह पूर्वत: १५-१२-४७ को ले लिया गया था जब ठेकेदार द्वारा चलाई जाने वाली व्यवस्था लउभग टूट चुकी फी। श्रीमान्, उस समय और इस समय का तुलनात्मक व्यय मैं विश्वास से कह सकता हूं कि बहुत कम है, परन्तु ठेकेदार का जो व्यय होता था वह उसे ही ज्ञात होगा।

अध्यक्ष महोदय : उसका अभिप्राय यह है कि डाक ले जाने पर सरकार का क्या व्यय होता है।

श्री राज बहादुर : मुझे इस विशेष प्रश्न के लिये नोटिस चाहिये परन्तु मैं कह सकता हूं कि अन्य स्टेशनों की तुलना में जहां हमारी यह व्यवस्था है अर्थात् कलकत्ता, बम्बई, नागपुर तथा अमृतसर, यह सर्वथा सस्ती चल रही है। वहां प्रति मील व्यय यह है :—

कलकत्ता	०	१२	६
बम्बई	०	१२	१ १/२
नागपुर	०	११	८
अमृतसर	०	१३	८

इन की तुलना में दहली में व्यय ९ आने ९ पाई है।

श्री पुन्नूस : क्या यह तथ्य है कि अधिकारी जो इस व्यवस्था का अविधायक अधिकारी था अब अनिवार्य अवकाश पर है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं इस प्रश्न की अनुज्ञा नहीं दे सकता।

चीनी का उत्पादन

*१५७०. **श्री के० पी० सिन्हा :** (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि इस वर्ष चीनी का उत्पादन गिर गया है ?

(ख) इस के क्या कारण हैं ?

(ग) सरकार लक्ष्य पर पहुंचने के लिए क्या कर रही है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) वर्तमान वर्ष में, १९५१–५२ वर्ष के १४.९७ लाख टन और १९५०–५१ के ११-१६ लाख टन की अपेक्षा लगभग १३

लाख टन चीनी के उत्पादन का अनुमान है । वर्ष १९५१–५२ असाधारण वर्ष था जब अत्याधिक फसल और गुड़ के मूल्यों में कमी के कारण गन्ने की पर्याप्त मात्रा गुड़ की अपेक्षा चीनी के उत्पादन में लगाई गई । १९५१–५२ वर्ष को छोड़ कर वर्तमान वर्ष में उत्पादन गत ८ वर्षों में से प्रत्येक से अधिक होगा ।

(ख) उत्पादन में कमी के कारण यह हैं :—

(१) गन्ने की फसल के क्षेत्र में कमी ।

(२) अपेक्षतया गुड़ के मूल्यों के अधिक होने के कारण, मिल क्षेत्रों के गन्ने का गुड़ उत्पादन में लगाया जाना ।

(३) १९५१–५२ के १४१ कारखानों की अपेक्षा इस वर्ष में काम करने वाले कारखानों की संख्या १३४ है ।

(४) कारखानों ने लगभग ३ सप्ताह देर से कार्य आरम्भ किया; तथा

(ग) पंच वर्षीय गन्ना विकास योजनाएं अगले तीन वर्ष की कालावधि के लिये खांड उत्पन्न करने वाले सभी महत्वपूर्ण राज्यों में इस उद्देश्य से फैलाई जा रही हैं कि प्रति एकड़ गन्ने के फसल और इसमें चीनी की मात्रा की वृद्धि की जा सके ।

श्री के० पी० सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या उत्पादन में कमी चीनी के उत्पादन के सभी केन्द्रों में फैली हुई सामान्य बात है अथवा कतिपय स्थानों में ही है ।

डा० पी० एस० देशमुख : यह उत्तर प्रदेश में अत्याधिक है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं जान सकता हूं कि क्या उत्पादन में कमी गन्ने के मूल्यों को अनार्थिक स्तर तक कम कर देने के कारण हुई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान् जी मैं ऐसा नहीं समझता क्योंकि जब मूल्य कम किए गए उस समय गन्ने की फसल काश्त हो चुकी थी और खेतों में खड़ी थी ।

पंडित के० सी० शर्मा : क्या यह तथ्य है कि गन्ने के उत्पादन में कमी गन्ने के कीड़े के कारण गन्ने में क्षति के फलस्वरूप हुई है ।

डा० पी० एस० देशमुख : बहुत से स्थानों पर कुछ अच्छी फसल नहीं हुई । परन्तु मेरे विचार में यह कीड़े के कारण नहीं है । यह वर्षा के समय पर न होने और कम होने के कारण है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या गत वर्ष की तुलना में गुड़ के उत्पादन में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां । गुड़ के मूल्यों के बढ़ जाने के कारण गुड़ के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है ।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान् जी, मैं जान सकता हूं कि क्या गन्ने के प्रतिमन में चीनी की उत्पत्ति में कोई वृद्धि हुई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान् जी, मेरे पास यहां आंकड़े नहीं हैं । मुझे नोटिस चाहिये ।

श्री नानादास खड़े हुये—

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रत्येक प्रश्न पर प्रश्न कर रहे हैं । मेरे विचार से वह यह ठीक नहीं कर रहे ।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि उत्पादन की प्रतिशतता ९ अंक से १०.१५ अंक अथवा इस के लगभग हो गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास यहां आंकड़ें नहीं हैं । मैं नहीं कह सकता । सम्भवत: मेरे माननीय मित्र ठीक कहते हैं ।

सरदार ए० एस० सहगल : श्रीमान् जी, मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि प्रश्न सं० १५७१

लिया जाए। श्री जागड़े बीमार हैं और उपस्थित नहीं हो सकते।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० १५७१—श्री जांगड़े। अच्छा हम इस पर अन्त में विचार करेंगे। अगला प्रश्न

रेलवे की वस्तुओं का क्रय

*१५७३. **श्री बंसल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उसके मंत्रालय के लिये विदेश से वस्तुएं क्रय करने के समय देश में वस्तुएं प्राप्त करने के लिये पर्याप्त ध्यान दिया जाता है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : जी हां, यदि वस्तुएं उसी कालावधि में दी जा सकें जिस में वस्तुतः उन की आवश्यकता होती है और उसकी प्रकार उस प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूपेण अच्छी हो जिसके लिये वे चाहियें।

श्री बंसल : क्या यह तथ्य है कि अमरीका में एक अधिनियम है जिस के अधीन प्रत्येक सरकारी विभाग को अमरीकन वस्तुएं खरीदनी होती हैं चाहे उन का मूल्य निर्यात वस्तुओं से २५ प्रतिशत अधिक हो ?

श्री अलगेशन : यह सूचना मुझे माननीय सदस्य से प्राप्त हुई है।

सड़कों का निर्माण तथा संधारण

*१५७४. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सड़कों तथा पुलों के निर्माण और संधारण के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ही अभिकरण है अथवा कोई अन्य संस्था है ?

(ख) क्या यातायात और निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय दोनों सार्वजनिक निर्माण विभाग पर संयुक्त नियंत्रण रखते हैं ?

(ग) दोनों मंत्रालयों में कौन सार्वजनिक निर्माण विभाग पर नियंत्रण रखता है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सड़कों के कार्य सामान्यतः यातायात मंत्रालय के नियंत्रण में राज्य सार्वजनिक निर्माण विभागों और केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभागों के अभिकरण द्वारा किया जाता है। कुछ कार्य अन्य अभिकरणों को अर्थात् केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग तथा रेल को दिए गए हैं। केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपा गया कार्य कुल कार्य की बड़ी प्रतिशतता नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय।

श्री के० सी० सोधिया : इन दो मंत्रालयों के बीच कर्मचारीवृन्द का प्रबन्ध कैसे किया जाता है ?

श्री अलगेशन : श्रीमान् जी, सार्वजनिक निर्माण विभाग इस कार्य को करता है। राज्य के अथवा केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग का कर्मचारीवृन्द इस कार्य को करता है।

मध्य प्रदेश में पुलों और सड़कों की बनावट

*१५७५. **श्री के० सी० सोधिया :** **यातायात** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आगामी तीन वर्षों में भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में कोई नए पुल या सड़कें बनाई जा रही हैं ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में कोई प्रतिनिधित्व मिला है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां। इस प्रकार के कार्यों की सूची वाला विवरण सदन की मेज पर रखा हुआ है **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ११]**

(ख) केवल एक प्रतिनिधित्व एक संसदीय सदस्य से प्राप्त हुआ है और वह परीक्षणाधीन है ।

श्री के० सी० सोधिया : विवरण के सीरियल नं० ९ में चार पुल बनाने का वर्णन है । क्या उन में किसी का बनना प्रारम्भ हो चुका है अथवा इस वर्ष में ही शुरू हो जाने की आशा है ?

श्री अलगेशन : प्रत्येक कार्य की प्रगति की सूचि के लिए मैं पर्याप्त सूचना चाहता हूं ।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन कार्यों को आर्थिक सहायता केन्द्रीय सड़क-निधि से अथवा और किसी साधन से दी जाती है ?

श्री अलगेशन : उन को केन्द्रीय राजस्व से चलाया जाता है ।

श्री के० जी० देशमुख : मैं पूछना चाहता हूं कि इस वर्ष इन कार्यों पर कितना खर्चा आएगा ?

श्री अलगेशन : १३५ लाख ।

श्री के० जी० देशमुख : क्या राज्य सरकार भी इस के लिए कुछ लगा रही है ?

श्री अलगेशन : जी नहीं ।

कृषि-पण्डितों द्वारा उगाई गई गेहूं और धान

*१५७६. **श्री झूलन सिन्हा :** (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन कृषि-पण्डितों को पीछे पारितोषिक दिये गये थे, उन द्वारा किस मात्रा में धान और गन्दम बीजे गये ?

(ख) जापानी ढंग द्वारा बीजे गये धान की मात्रा और डब्ल्यू० एस० अमरीकी ढंग से बीजी गन्दम की उस से तुलना कैसे की जायेगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) कृषि-पण्डितों की गन्दम और धान की उपज १९५१–५२ में इस प्रकार है :

१. धान : ११,२०२ पौंड (शुष्क) प्रति एकड़
२. गन्दम : ५,८९१ पौंड " "

(ख) कृषिक-स्कूल फार्म कोसबाद, बम्बई में किये गये प्रयोगों में, प्रति एकड़ ६००० पौण्ड से ऊपर धान की उपज थी । यह पता नहीं चला कि डब्ल्यू० एस० संशिक्षिप्त किस अभिप्राय को प्रकट करता है । अतः यह बतला सकना संभव नहीं कि भारत में इस ढंग से भी गन्दम बीजी जाती है ।

श्री झूलन सिन्हा : मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय पद्धति से बड़ी मात्रा में धान बीजे जाने का ध्यान करते हुए विदेशी देशों के ढंगों को अपनाने में क्या आनन्द है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे मित्र यह सोचने में गलती करते हैं कि हमें जापानी ढंग से जो उपज प्राप्त होती है वैसी ही अपने ढंग से भी ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या इन कृषि पण्डितों द्वारा अधिक मात्रा में अन्न उपजाने वाले तरीकों का प्रचार जनता में किया जायगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, इस की तरफ खास तौर से ध्यान दिया गया है और जो भी तरीके उन्हों ने अख्त्यार किये हैं उन को काफी पब्लिसिटी दी गई है ।

श्री टी० के० चौधरी : जापानी ढंग से तथा अपने देश के साधारण ढंग से उपजाई गई गन्दम और धान की कीमत से कृषिक पण्डितों द्वारा उपजाए धान और गन्दम की कीमत की तुलना कैसे की जायेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमन्, हम तुलना में नहीं पड़े । परन्तु प्रत्येक कृषिक, जो खेती की ओर अधिक ध्यान लगाता है, उसे खर्च भी थोड़ा अधिक करना पड़ता है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री विभूति मिश्र : कितने एरिये में यह धान पैदा किया गया है और कितने एरिये में गेहूं पैदा किया जाता है ? और जो धान पैदा किया गया है वह कौन सा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : धान की वेराइटी तो देसी ही है । जहां जहां पर कम्पिटीशन में हिस्सा लिया गया है वह बहुत बड़ा एरिया है और अलग अलग फिगर्स बतलाना मुश्किल है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : भारत में साधारण औसत उपज प्रति एकड़ कितनी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यदि मेरे मित्र धान की ओर निर्देश करते हैं, तो यह कुर्ग में ही १८०० पौण्ड के लगभग थी, जब कि कृषि-पण्डितों के रिकार्ड में ११,२०२ पौण्ड ।

श्री अच्युतन खड़ हुए—

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अब हम अगले प्रश्न को लेंगे ।

सीरमपुर में आर० एम० एस० का मैदान

***१५७९. श्री एस० सी० सामन्त :** (क) **रेलवे** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सीरमपुर नगरपालिका के अध्यक्ष ने मंत्री को सीरमपुर आर० एम० एस० के मैदान को नगरपालिका को विनिमय में देने के लिए कोई ज्ञापन भेजा है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में अन्तिम निश्चय कब करने वाली है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) नगरपालिका के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है और यथासंभव शीघ्र ही निर्णय किया जायगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सत्य है कि नगरपालिका ने इस मैदान के बदले में ४ बीघे ज़मीन देने की इच्छा प्रकट की है और रेलवे बोर्ड ८ बीघे की मांग कर रहा है ?

श्री शाहनवाज खां : यह सत्य है कि नगरपालिका ने हमें उस स्थान की बजाए जिसे वह लेना चाहते हैं, और दूसरा स्थान देने की इच्छा की है । परन्तु जो स्थान वह देना चाहते हैं, वह उपयुक्त नहीं है । मामला अभी विचाराधीन है और नगरपालिका की ओफर, पुर्वी रेलवे के जनरल मैनेजर के पास पेश की गई है । ज्यों ही उन का उत्तर आता है, हम निर्णय कर सकने में समर्थ होंगे ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं कि पहले तो रेलवे बोर्ड ४ बीघे भूमि ही मांगते थे, किन्तु अब ८ बीघे भूमि की मांग की है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : ४ बीघे अथवा ८ बीघे मांगने का रेलवे का प्रश्न नहीं है । वैकल्पिक स्थान जो नगरपालिका देना चाहती थी, दूर था, और नगर की सहूलियतें वहां प्राप्त नहीं थीं । अतः हम ने वह स्थान अस्वीकार कर दिया ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नगरपालिका ने उस भूमि को, जो उपयुक्त नहीं समझी जाती, उसे रेलवे को बेचने के लिए भी कह दिया है, और उस से प्राप्त रुपये को जमा कर लेने के लिए भी ?

श्री अलगेशन : यह नवीनतम प्रस्ताव है । यह विचाराधीन है ।

विसूचिका

***१५८० श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि विश्व स्वास्थ्य संघ के आंकड़ों सम्बन्धी अध्ययन के अनुसार संक्रामक रोगों और निरन्तर विसूचिका के

विश्व के सब से बुरे केन्द्र बंगाल की खाड़ी के डेल्टा के प्रदेश हैं ;

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार के पास पश्चिमी बंगाल के मदनापुर ज़िला में महीशादल और तमलुक थानों में फैली विसूचिका और महामारी के सम्बन्ध में अभिलेख है;

(ग) वहां १९५२–५३ में कितनी बार और इन क्षेत्रों के किन स्थानों पर विसूचिका महामारी फैली;

(घ) केन्द्रीय सरकार ने क्या विशेष पग उठाए हैं; तथा

(ङ) महामारी के समय में इन स्थानों के लोगों के लिए किस प्रकार का उपचार प्राप्य होता है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) भारत में अध्ययन के अनुसार भारत में विसूचिका महामारी के सब से महत्त्वपूर्ण क्षेत्र निम्नलिखित हैं :—

(१) बंगाल में गंगा का डेल्टा;

(२) बिहार में गंगा तथा उस की सहायक नदियों से सम्बन्धित छोटे क्षेत्र;

(३) उड़ीसा में महानदी डेल्टा;

(४) दक्षिण में कृष्णा और कावेरी के डेल्टे ।

(ख), (ग) तथा (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और उचित समय पर सदन पटल पर रखी जाएगी ।

(घ) रोग का सामना करने के लिए सब पग उठाना राज्य सरकार का कर्त्तव्य है । केन्द्रीय सरकार की सहायता और पथ-प्रदर्शन मांगे जाने पर सदा प्राप्य होता है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता कि क्या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार इन स्थानों पर विसूचिका के उपचार के सम्बन्ध में कोई अभिलेख रखती है और मैं जान सकता हूं कि क्या आधुनिक दवाई की प्रणाली से भिन्न उपचार वहां अधिक लाभदायक हैं ।

राजकुमारी अमृतकौर: श्रीमान्, मेरे पास वर्तमान चिकित्सा प्रणाली के अतिरिक्त अन्य चिकित्सा प्रणालियों के आंकड़े नहीं हैं, और न उन के उपचारों के क्या परिणाम हुए इस के ही । इतना मैं निस्सन्देह कह सकती हूं कि वर्तमान चिकित्सा प्रणाली के अनुसार हैजे का इलाज निश्चय ही जब भी हैजे की महामारी फैलती है, रोकने में सहायक होता है ।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या मैं जान सकता हूं कि विश्व स्वास्थ्य संस्था ने संसार में हैजे की महामारी का सांख्यकीय अध्ययन करने के पश्चात् उन स्थानों के लिये कुछ सहायता प्रस्तुत की है जहां यह महामारी वृद्धि पर है ?

राजकुमारी अमृतकौर श्रीमान्, विश्व स्वास्थ्य संस्था इस दिशा में सहायता प्रस्तुत नहीं कर सकती क्योंकि हम लोग इस से पूर्ण अवगत हैं कि जब महामारियां फैलें तो हमें क्या करना चाहिये । किन्तु विश्व स्वास्थ्य-संस्था ने एक विशेषज्ञ-अध्ययन दल हैजे के लिये नियुक्त किया है जो भारत सरकार तथा भारतीय चिकित्सा अन्वेषण-परिषद् के सहयोग से कार्य कर रहा है ।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या पश्चिमी बङ्गाल सरकार का ध्यान केन्द्रीय सरकार द्वारा इन तथ्यों की ओर तथा उन स्थानों की विशेष देख-रेख करने की ओर आकर्षित किया गया है ?

राजकुमारी अमृतकौर: हां श्रीमान् ! एक प्रतिवेदन उन के पास पहुंच चुका है ।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को डेल्टा वाले क्षेत्रों में इन बीमारियों को रोकने के लिये प्रभावोत्पादक उपाय कार्य में लाने के

लिये निर्देश दिए गए हैं, और यदि ऐसा है, तो राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं ?

राजकुमारी अमृतकौर : राज्य सरकारों को भी वही सूचनाएं प्राप्त हैं जो केन्द्रीय सरकार को। वातावरण तथा स्वच्छता की ओर केवल अत्याधिक ध्यान देने से हैजे को रोकने का स्थायी उपाय हो जायगा और राज्य सरकारें इस से अवगत है।

दिल्ली स बंगलौर का हवाई जहाज का किराया

***१५८१. श्री एस० वी० रामास्वामी :** (क) **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली से बंगलौर का हैदराबाद होकर फासला दिल्ली से मद्रास के फासले से कम है ?

(ख) क्या बंगलौर का किराया मद्रास के किराये से अधिक है ?

(ग) यदि ऐसा है तो क्यों ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) (क) हां श्रीमान्।

(ख) हां श्रीमान।

(ग) किराये कम्पनियों द्वारा विभिन्न आर्थिक कारकों के आधार पर निश्चित किये जाते हैं। किरायों की अधिकतम व न्यूनतम सीमायें वायु यातायात अनुज्ञापन मण्डल द्वारा निर्धारित की जाती हैं। वे किराये, जो इन सीमाओं के अन्तर्गत नहीं आते हैं, वायु यातायात अनुज्ञापन मण्डल के सम्मुख विशेष रूप से उन का औचित्य सिद्ध करना पड़ता है।

दिल्ली–बंगलौर के बीच कोई सीधा मार्ग नहीं है। दिल्ली–बंगलौर का किराया निश्चित करते समय, अवयवभूत खण्डों का किराया जैसे दिल्ली–हैदराबाद तथा हैदराबाद-बंगलौर, आदि को भी ध्यान में रखा जाता है। दो अवयवभूत खण्डों के किराये निर्धारित करने वाले विचार स्वभावत: भिन्न होते हैं।

श्री एस वी० रामास्वामी : किरायों में क्या अन्तर है, श्रीमान् ?

श्री राज बहादुर : दिल्ली–हैदराबाद–बंगलौर वाले रास्ते का किराया २१७ रु० तथा दिल्ली से मद्रास का सीधा किराया १९१ रु० है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह प्रश्न विचार करने योग्य है जब कि वायु निगम विधेयक बना हुआ है ?

श्री एस० वी० रामास्वामी : क्या सरकार को ज्ञात है कि दिल्ली–बंगलौर मार्ग सलेम तथा कोयम्बटूर को अधिक निकट लाती है.....?

अध्यक्ष महोदय : जब कि वायु निगम विधेयक पर शीघ्र ही विचार किया जाने वाला है, सरकार का यह कर्तव्य होगा कि इन चीज़ों को तय करे। मैं नहीं समझता कि हम लोगों को इस समय इन पर विस्तृत रूप से विचार करने की कोई आवश्यकता है। इन पर आगे चल कर विचार विमर्श करने के लिये बहुत अवसर मिलेंगे।

सल्तानपुर-जफराबाद रेलवे लाइन

***१५८२. श्री गणपति राम :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सल्तानपुर–जफराबाद रेलवे लाइन का परिमाप पूर्ण हो गया है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो परिमाप कार्यक्रम पर अब तक किया गया व्यय;

(ग) क्या पुनर्निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है ;

(घ) यदि ऐसा है, तो अब तक की गई उन्नति; और

(ङ) उस के परिमाप में लगे हुए कर्मचारियों की संख्या ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां ।

(ख) अनुमानतः १८,००० रु० ।

(ग) अभी नहीं । प्रारम्भिक प्रबन्ध जैसे सामग्री का एकत्रीकरण किया जा रहा है ।

(घ) उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) एक निर्माण-निरीक्षक तथा चार उप-निरीक्षक खलासी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों सहित ।

श्री गणपति रामः क्या मैं जान सकता हूं कि इस परिमाप कार्य पूर्ण होने में कितना समय लगेगा ?

श्री शाहनवाज खां : परिमाप-कार्य लगभग पूरा हो चुका है ।

श्री गणपति राम : क्या मैं जान सकता हूं कि यातायात सेवा के पूर्ण रूप से लागू होने में लाइन के पुनर्निर्माण कार्य को पूरा करने के लिये कोई समयावधि निर्धारित की गई है ?

श्री शाहनवाज खां : यद्यपि कोई समयावधि निर्धारित नहीं की गई है, हम ने प्रचुर धन राशि निश्चित कर दी है और हम आशा करते हैं कि इस वर्ष के अन्त तक काफी उन्नति हो जायगी ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान्, कि क्या सरकार की अखिल-भारत आधार पर कोई निश्चित योजना है या इस के विपरीत कुछ हो चुका है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : यह विनियोजित आधार पर किया गया है, श्रीमान् ।

लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय

*१५७१. **सरदार ए० एस० सहगल (श्री जागड़े की ओर से)** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय नई दिल्ली में प्रतिवर्ष भरे जाने वाले ४० स्थानों में से कोई स्थान अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए रक्षित नहीं है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय में भी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए स्थान रक्षित रखने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) यद्यपि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कोई स्थान रक्षित नहीं रखे गए, चुनाव समिति चुनाव करते हुए ऐसे प्रार्थियों का उचित ध्यान रखती है ।

(ख) लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय और चिकित्सालय के शासक निकाय को अगली बैठक में प्रार्थना की जाएगी कि वे कालिज ऐसे रक्षण के प्रश्न पर ध्यान दें ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि उस केन्द्र से भर्ती होने के लिए किसी भी शिड्यूल्ड कास्ट कैंडीडेट की दरख्वास्त आयी है ?

राजकुमारी अमृत कौर : मैं ने कोई ६ साल के आंकड़े देखे थे और उन में से मैं ने बहुत कम शिड्यूल्ड कास्ट की लड़कियों की दरख्वास्तें देखी हैं । बात यह है कि हमें यहां पर ऐसी लड़कियां लेनी पड़ती हैं कि जिनके इम्तिहान में एक खास स्टैंडर्ड तक मार्क आयें । लेकिन वहां तक हमारी शिड्यूल्ड कास्ट की लड़कियां नहीं पहुंच पातीं । यह मेरी मुश्किल है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं प्रार्थना कर सकता हूं कि जिस वक्त शिड्यूल्ड कास्ट की लड़कियां आयें तो उन के साथ एक खास रियायत की जाय और जो प्रतिबन्ध दूसरों पर लगाया जाता है उन पर न लगाया जाय ?

राजकुमारी अमृत कौर : जनाब यह बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर उसका स्टैंडर्ड काफी नहीं होगा तो वह लड़की खुद नहीं पढ़ सकेगी।

श्री पी० एन० राजभोज : कहां कहां कौन कौन से मैडीकल कालेजों में शिड्यूल्ड कास्ट के कैंडीडेट्स के लिए रिजर्वेशन किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न मूल प्रश्न के क्षेत्र से अधिक विस्तृत है।

श्री पी० एन० राजभोज : १९५२–५३ में शिड्यूल्ड कास्ट के कैंडीडेट्स की कितनी अर्जियां आई हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर : मैं इस वक्त इस का जवाब नहीं दे सकती हूं। मैं पता ले कर आप को बतला सकती हूं।

कुमारी ऐनी मस्करीन : श्रीमान्, मैं जान सकती हूं कि जब जब योग्य भारतीय प्राप्य हैं तो इस संस्था में एक अमरीकन विशेषज्ञ क्यों लगाया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह भी प्रश्न के क्षेत्र से बाहर है।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि इस समय कितने अनुसूचित जाति के छात्र इस महाविद्यालय में हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर : श्रीमान्, मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

श्री पुन्नूस : मैं जान सकता हूं कि क्या शासक निकाय जब चुनाव किया जाता है तो उन विश्वविद्यालयों के विभिन्न स्तरों का ध्यान रखती है जहां से प्रार्थी आते हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर : जी हां, यह किया जाता है।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, प्रश्न सं० १५७७ महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। १५७७ अन्य तिथि के लिए रखा गया है।

प्रश्नों की सूची व्यवहार्यतः समाप्त हो गई है।

श्री दामोदर मेनन : क्या मैं एक प्रस्ताव कर सकता हूं। सदस्यों की बड़ी संख्या जिन्हों ने प्रश्न रखे हैं अनुपस्थित है। क्या आप कुछ और अनुपूरक प्रश्न करने की अनुज्ञा देने की प्रेज्ञयता पर ध्यान देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इस प्रस्ताव को स्वीकार करना मेरे लिए केवल इस कारण संभव नहीं कि जब सदन को एक बार त्वरा मिल गई तो यदि मैं प्रत्येक प्रश्न पर और अनुपूरक करने की अनुज्ञा दे दूं, तो प्रश्नों की प्रसंगता, संक्षेप, और प्रत्यक्षता सब नष्ट हो जाएगा। इस लिए यह केवल समय के समायोजन का प्रश्न नहीं है। कई अवसरों पर कई प्रश्नों के उत्तर रह जाते हैं और यह सारे सदन के हित में है कि प्रत्येक विशेष प्रश्न पर अनुपूरक पूछने की अपेक्षा अधिक प्रश्न हो सकें। माननीय सदस्यों को यथा संभव कार्य पूरा करने का प्रयास करना चाहिये और यदि वे सन्तुष्ट न हों और यदि वे और सूचना चाहें तो सब से अच्छा ढंग यह होगा कि वे प्राप्त की गई सूचना के आधार पर और प्रश्न रखें।

श्री आर० एस० तिवारी : अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न १५७८ रह गया है।

अध्यक्ष महोदय : वे अपना प्रश्न सं० १५७८ रख सकते हैं।

लखनऊ जफराबाद रेलवे लाइन

*१५७८. **श्री आर० एस० तिवारी :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ तथा जफराबाद के बीच रेलवे लाइन बनाने का सरकार का विचार है। और यदि है तो कब तक ; तथा

(ख) उस की लम्बाई कितनी होगी और उस का अनुमानित व्यय कितना है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़खां): (क) लखनऊ, फ़ैज़ाबाद और जफराबाद के बीच पहले से एक रेलवे लाइन है। माननीय सदस्य कदाचित् उतरैटिया–सुल्तानपुर–जफ़राबाद खण्ड को ओर निर्देश कर रहे हैं जो युद्ध काल में हटा दिया गया था। इस खण्ड को यथापूर्व स्थापित करने के लिए प्राथमिक प्रबन्ध पहले से ही हाथ में है।

(ख) उतरैटिय–सुल्तानपुर – जफराबाद खण्ड की कुल लम्बाई १३६.४६ मील है और उस के यथापूर्व स्थापन की प्रत्याशित लागत १.६८ करोड़ रुपए है।

श्री पुन्नूस: क्या मैं प्रश्न संख्या १५५१ पूछने की आप की अनुमति की प्रार्थना कर सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रथा को प्रोत्साहित करने से कोई लाभ नहीं है। उन माननीय सदस्य को, जिन्हों ने यह प्रश्न रखा था, किसी को प्राधिकृत कर देना चाहिये था। ऐसा कोई प्राधिकार नहीं है।

श्री टी० एन० सिंह : प्रश्न संख्या १५७८ के सम्बन्ध में क्या मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : माननीय सदस्य की गाड़ी छूट गई। उन को वह इस से पहले पूछना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : वह अब पूछ सकते हैं।

श्री टी० एन० सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह यथापूर्व स्थापन का कार्य हाथ में लिया जा चुका है, और यदि ऐसा है, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

श्री शाहनवाज़ खां : कार्य हाथ में लिया जा चुका है। जैसा कि इस से पहले मैं ने मुख्य उत्तर देते हुए कहा, प्राथमिक परिमाप समाप्त हो गया है और इस वर्ष में इस कार्य को पूरा करने के हेतु एक अति प्रचुर धन राशि अलग रख दी गई है।

एक माननीय सदस्य : क्या आप कृपा कर प्रश्न संख्या १५६७ के लिए अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कृषि संबंधी वित्त-उपसमिति

*१५५०. **श्री पी० टी० चाको :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने कृषि सम्बन्धी वित्त-उप समिति की सिफारिशों की अभिपूर्ति के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण लोगों को ऋण देने के हेतु एक कार्य संचालन साधन गठित करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ग) औद्योगिक निगम के समान एक कृषि सम्बन्धी ऋण निगम स्थापित करने का क्या सरकार का विचार है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) अधिकतर इन सिफारिशों का सम्बन्ध राज्य सरकारों से था और प्रत्येक राज्य में प्रचलित दशाओं की दृष्टि में रखते हुए आवश्यक कार्यवाही के लिए वह सभी राज्य सरकारों को भेज दी गई थीं।

(ख) भारत सरकार का अन्तिम उद्देश्य यह है कि सहकारी संस्थाएं देश के अधिकांश कृषि सम्बन्धी ऋण का प्रबन्ध करें। इस के अनुसार, सामुदायिक विकास योजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा द्वारा लाभान्वित क्षेत्रों में सहकारी संस्थाएं स्थापित की जा रही हैं; रिजर्व बैंक के परामर्श को दृष्टि में

रखते हुए राज्यों में सहकारी ऋण कार्य-संचालन साधन पुनः संगठित किया जा रहा है, और राज्य सरकारों से न केवल ग्रामीण ऋण को उपलब्ध बनाने के लिए बल्कि सहकारिता आन्दोलन को बढ़ाने के लिए भी लघु कालीन 'अधिक अन्न उपजाओ' ऋणों का उपयोग करने के लिए योजनाएं बनाने को कहा गया है। जब तक कि सहकारी संस्थाओं का एक जाल नहीं स्थापित हो जाता है तब तक ग्रामीण ऋण देने के हेतु निम्नलिखित उपाय जारी रहेंगे :—

(१) राज्य सरकारों को बीजों तथा रसायनिक खादों के क्रय तथा वितरण को वित्त पोषित करने के हेतु लघु कालीन ऋण देना ;

(२) राज्य सरकारों द्वारा कृषकों को तकावी ऋण देना;

(३) भारत के रिजर्व बैंक द्वारा ऋतु के कृषि कार्यों तथा फसलों के विपणन को वित्त पोषित करने के लिए रियायती वित्त का प्रबन्ध।

(ग) यह अभी विचाराधीन नहीं है। सरकार राज्य तथा सहकारी ऋण संगठनों के विस्तार पर ध्यान केन्द्रित कर रही है।

त्रावनकोर-कोचीन के भूतपूर्व अंचल कर्मचारी

*१५५१. **श्री पी० टी० चाको :** क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या त्रावनकोर-कोचीन राज्य के भूतपूर्व अंचल कर्मचारियों के सम्बन्ध में निकाले गए वर्गीकरण आदेशों की पूर्ण रूपेण अभिपूर्ति हो गई है;

(ख) क्या भूतपूर्व अंचल कर्मचारियों की नकद प्रतिभूतियां मुक्त कर दी गई हैं; और

(ग) क्या डाक तथा तार विभाग के भूतपूर्व राज्य अस्थायी पदाधिकारियों के मामले में तीन वर्ष की कालावधि से अधिक के अस्थायी पदों को स्थायी करने के लिए दिये गये आदेश की अभिपूर्ति हुई है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) प्रश्न में कहे गए आदेशों की उन १५२८ स्थायी तथा ९९९ अस्थायी भूतपूर्व अंचल कर्मचारियों की कुल संख्या में से १४९७ स्थायी और ४३९ अस्थायी व्यक्तियों के सम्बन्ध में, पूर्ण रूपेण अभिपूर्ति हो गई है, जो भारतीय डाक तथा तार विभाग द्वारा त्रावनकोर-कोचीन सरकार से ले लिए गए थे।

(ख) डाक महापदाधिकारी, मद्रास क्षेत्र, को हाल ही में, भूतपूर्व अंचल कर्मचारियों की वे नकद प्रतिभूतियां, मुक्त करने के लिए आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं, जो भूतपूर्व अंचल अधीक्षक के पास बन्धक रखी हैं।

(ग) माननीय सदस्य द्वारा निर्देशित आदेश भूतपूर्व-राज्य डाक तथा तार व्यवस्थाओं की स्थायी और अस्थायी कर्मचारी संख्या के प्रारम्भिक नियतीकरण पर लागू नहीं होता।

जिला इंजीनियर के दफ्तर का कन्नानोर से शोरानूर को स्थानान्तरण

*१५५६. **श्री एन० पी० दामोदरन :** (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ज़िला इंजीनियर के दफ्तर को कन्नानोर से, दक्षिणी रेलवे पर, शोरानूर को स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

(ख) यदि ऐसा है तो इस प्रस्ताव के कारण क्या हैं ?

(ग) दफ्तर कन्नानोर में कितने दिनों से है ?

(घ) दफ्तर को स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव के विरुद्ध विरोध प्रदर्शित करने वाला कोई अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुआ है ?

(ङ) यदि ऐसा है तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) जी हां ।

(ख) कन्नानोर रेलवे के इंजीनियरिंग ज़िले के एक सिरे पर है जब कि शोरानूर एक अधिक केन्द्रीय स्थान है क्यों कि वह लगभग सभी खंडों से १०० मील के व्यासार्ध के अन्दर ही है । प्रशासकीय तथा कार्यकारी सुविधाओं के कारण शोरानूर अधिक पसंद किया जाता है ।

(ग) अनुमानतः गत ४० वर्षों से ।

(घ) कर्मचारियों के एक समूह ने, जिस में १८ व्यक्ति हैं, प्रस्ताव के विरुद्ध विरोध प्रदर्शित किया है, जब कि २३ कर्मचारियों के दूसरे समूह ने उस का स्वागत किया है ।

(ङ) इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

मुज़फ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर रेल दुर्घटना

***१५५७. श्री रामधनी दास :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि ९ मार्च १९५३ को २२ डाउन प्रयाग-पैसिंजर गाड़ी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन में प्रवेश करते समय एक दूसरी खड़ी हुई अप पैसिंजर गाड़ी के इंजिन से टकरा गई थी ?

(ख) यदि ऐसा है तो टक्कर के कारण क्या थे ?

(ग) आहत व्यक्तियों की संख्या क्या है और अन्य हानियां यदि कोई हुई हों तो ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां । ९-३-१९५३ को सुबह लगभग १ बज कर १० मिनट पर नम्बर २२ डाउन प्रयाग पैसिंजर मुजफ्फरपुर स्टेशन पर नम्बर २१ अप पैसिंजर से, जो उसी लाइन पर खड़ी थी जिस पर २२ डाउन आई, टकरा गई ।

(ख) स्पष्टतः यह दुर्घटना इस कारण हुई क्योंकि २२ डाउन सिगनलों के विरुद्ध चल रही थी ।

(ग) २२ डाउन के गार्ड सहित छः यात्रियों को हल्की चोटें आईं । रेलवे सम्पत्ति की हानि का अनुमानित मूल्य ५००रुपये था ।

डाक सेवक योजना

***१५५९. श्री जांगड़े:** (क) क्या संचरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा डाक सेवक योजना का विस्तार किया जा रहा है ।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवक योजना के विस्तार को सुविधा प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ।

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) . इस पूरे प्रश्न की कि क्या योजना, अपने वर्तमान अथवा संशोधित रूप में जारी रखी जाए अथवा बन्द कर दी जाय, परीक्षा हो रही है ।

हावड़ा और बम्बई के बीच जनता एक्सप्रेस

***१५६०. श्री बी० एन० मिश्र :** रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हावड़ा और बम्बई के बीच नागपुर होती हुई जनता एक्सप्रैस चलाने का सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि ऐसा है तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के कारण ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां ।

(ख) गाड़ी का आना जाना तब प्रारम्भ करने का विचार है जब सवारी डिब्बों के स्टाक तथा लोकोमोटिव्ज़ की उपलब्धता की स्थिति में सुधार हो जायगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

डोंगरगढ़ और बिलासपुर के बीच स्थानीय ट्रेनें

*१५६१. **श्री बी० एन० मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने गत युद्ध काल से स्थगित पूर्वी-रेलवे पर डोंगरगढ़ तथा बिलासपुर के बीच स्थानीय गाड़ियां चलाना तय कर लिया है; और

(ख) यदि ऐसा है, तो कब और यदि नहीं तो उस के कारण ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) गाड़ी का आना जाना फिर से तब आरम्भ करने का विचार है जब सवारी डिब्बों के स्टाक तथा लोकोमोटिवज़ की उपलब्धता की स्थिति में सुधार हो जायेगा बशर्ते कि उस समय यातायात औचित्य रहता है ।

हिन्दी में तार

*१५७२. **श्री बी० एन० राय** : क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष १९५३-५४ में ग्रामीण क्षेत्रों के तार घरों में हिन्दी में तार भेजने के प्रबन्ध किये जायेंगे ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : आज कल हिन्दी तार व्यवस्था १०४ केन्द्रों में उपलब्ध है । इस व्यवस्था को यथा संभव शीघ्र तथा विस्तृत क्षेत्र में फैलाने के हेतु आदेश जारी कर दिये गये हैं । चालू वर्ष में यह अवश्य ग्रामीण क्षेत्रों में चालू कर दी जायगी ।

हैदराबाद से बीदर को जाने वाली डीज़िल कार में आग

*१५८३. **श्री पी० रामास्वामी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि केन्द्रीय रेलवे पर हैदराबाद से बीदर को जाने वाली डीज़िल कार ६ अप्रैल १९५३ को सनातनगर स्टेशन के समीप पूर्ण रूपेण जल गई थी और यदि ऐसा है तो किन परिस्थितियों में यह दुर्घटना हुई ;

(ख) इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप जान और माल की कितनी हानीं हुई थी ;

(ग) उस समय कार में यात्रा करने वाले कितने यात्री थे और क्या दुर्घटना के पश्चात् यात्रियों का उपचार किया गया; तथा

(घ) क्या दुर्घटना के कारणों का निश्चय कर लिया गया है और यदि नहीं तो क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (घ). ६ अप्रैल १९५३ को १२-१५ के लगभग नं० ९२ अप डीज़ल रेल जो सकन्दाबाद से मुहमदाबाद बीदर को जाने वाली डीज़ल रेल कार में सनातनगर स्टेशन से कुछ आगे जाने पर आग लग गई । बाहर की इस्पात की चादर के सिवाय रेल कार का ऊपरी ढांचा पूरी तरह जल गया । वस्तुतः इंजन के पिछले भाग में सायलैंसर केसिंग से बाहर लटकने वाली, तेल में डूबी हुई एक न बुझने वाली रस्सी के पाइप की अत्याधिक गर्मी द्वारा जल पड़ने से आग लग गई । रेलवे के सरकारी इंस्पैक्टर की अन्तिम उपपत्ति की प्रतीक्षा हो रही है, जिस ने इस घटना की पूछताछ की है ।

(ख) कोई मरा अथवा हताहत नहीं हुआ । रेल कार को हुई क्षत्ति का अनुमान १,३७,००० रुपये है । यात्रियों की सम्पत्ति को कोई क्षति नहीं हुई ।

(ग) दुर्घटना के समय कार में ३९ यात्री यात्रा कर रहे थे । उन सब को तत्पश्चात् एक स्पैशल गाड़ी में मुहमदाबाद बीदर भेज दिया गया था । उन के लिये अल्पाहार का प्रबन्ध किया गया था ।

उत्तर पूर्वी रेलवे में भर्ती

११८४. श्री सर्मा ; क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर पूर्वी रेलवे के केवल उस भाग में जो आसाम राज्य के अन्दर है, पृथक पृथक क्रमानुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के कितने कर्मचारी ३१ जनवरी १९५३ को थे और इन चार श्रेणियों में पृथक पृथक कितने आसामी हैं ?

(ख) चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में सब श्रेणियो के कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है और इन सेवा की विभिन्न श्रेणियों में कितने आसामी कर्मचारी हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) (क) तथा (ख). रेलवे प्रशासन भाषा सम्बन्धी नामकरण अथवा उन के जन्म के राज्य के अनुसार कर्मचारीवृन्द का अभिलेख नहीं रखते। इसलिये ऐसे रेल कर्मचारियों की संख्या देना कठिन है जिन का जन्म आसाम राज्य में हुआ और अब चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स और आसाम की उत्तर-पूर्वी रेलवे में काम करते हैं।

'जागी रोड' रेलवे स्टेशन के लिये प्रतीक्षालय

११८५. श्री सर्मा : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि "जागी रोड" आसाम में उत्तर-पूर्वी रेलवे की मुख्य लाइन पर एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है जिससे विशाल ग्रामीण प्रदेश की लगभग ८०,००० जनसंख्या लाभ उठाती है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि 'जागीरोड' रेलवे स्टेशन पर कोई प्रतीक्षालय नहीं है और यात्रियों को जिनमें महिलायें भी सम्मिलित होती हैं खुले प्लेटफार्म पर गाड़ी की प्रतीक्षा करनी पड़ती है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि जनता ने वहां प्रतीक्षालय की व्यवस्था के लिये रेल अधिकारियों को प्रार्थनापत्र दिया था और स्थानीय समाचार-पत्रों में भी इस की मांग की गई है ?

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है जागी रोड पांडू तथा छपरमुख के बीच एक रास्ते का स्टेशन है जहां से कि केवल १२५ यात्री प्रति दिन जाते हैं।

(ख) जी नहीं। उच्च श्रेणी के यात्रियों के लिये कोई प्रतीक्षालय नहीं है, किन्तु तीसरी श्रेणी के यात्रियों का प्रतीक्षा भवन विद्यमान है।

(ग) तथा (घ). प्रतीक्षालय की व्यवस्था यात्रियों की सुविधा की एक चीज़ है जिसका कार्यक्रम प्रति वर्ष महाखण्डीय प्रयोक्ताओं की परामर्शदात्री समितियों के प्रतिनिधियों की उपसमिति तथा रेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध धन तथा विभिन्न स्टेशनों पर अपेक्षित कार्य की आवश्यकता तथा शीघ्रता के अनुसार तैयार किया जाता है। उत्तर-पूर्वी रेलवे के आसामी प्रदेश में यात्रियों की सुविधाओं के प्रश्न पर विचार करने के लिये हाल में एक तदर्थ समिति नियुक्त की गई है।

रेलवे पत्रिकाएं

***११८६. श्री बलवन्त सिंह मेहता :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि विभिन्न महाखण्डों की रेलें अपनी अपनी पत्रिकाएं प्रकाशित करती हैं ?

(ख) यदि हां, तो उनका उद्देश्य क्या है ?

(ग) प्रत्येक रेलवे इस प्रकार की पत्रिकाओं पर कितना धन व्यय करती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) दक्षिण रेलवे के अतिरिक्त अन्य सभी भारतीय रेलें रेलवे के तत्वावधान में प्रति मास रेलवे पत्रिकाएं प्रकाशित करती हैं।

(ख) इन पत्रिकाओं का अभिप्राय कर्मचारियों में सहयोग की भावना बढ़ाना और विशेष रूप से रेल सम्बन्धी विषयों के बारे में जानकारी देना है।

(ग) रेलें अपने राजस्व में से सीधे इस पर कोई व्यय नहीं करतीं। कुछ रेलों में ये पत्रिकायें वाह्य अभिकरणों से किये हुए प्रबन्ध के अन्तर्गत छपती हैं; कुछ अन्य में इन पत्रिकाओं के प्रकाशन का व्यय कर्मचारी हितकारी निधि में से पूरा किया जाता है।

अनुसन्धान पदाधिकारी, श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण

११८७. **श्री नानादास** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने अगस्त, १९५२ में विज्ञापित अनुसंधान पदाधिकारी, श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण का चुनाव पूरा कर लिया है;

(ख) कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और उनमें से कितने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के उम्मीदवारों के थे;

(ग) कितने उम्मीदवार इंटरव्यू के लिये बुलाये गये थे ; और

(घ) क्या कोई अनुसूचित जातियों का उम्मीदवार चुना गया था ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) तथा (घ) . इस पद के लिये अभी तक चुनाव पूरा नहीं किया गया है।

(ख) तथा (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी।

त्रिपुरा में सड़कों के लिये अधिगृहीत भूमि

११८८ **श्री दशरथ देव** : (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा में सड़कें बनाने के लिये भूमि का अधिग्रहण करने में किन सिद्धान्तों तथा प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है ?

(ख) क्या भूमि को लेने से पहिले भूमि के स्वामियों को सरकारी रूप से कोई नोटिस दिया जाता है ?

(ग) क्या सरकार को यह विदित है कि लगभग सभी मामलों में इस प्रकार की भूमि के अधिग्रहण का नोटिस या आदेश जिसमें कि भूमि का वह विशिष्ट क्षेत्र तथा उसका नाप दिया हुआ हो भूस्वामियों को नहीं दिया गया है ?

(घ) क्या सरकार का उन किसानों की क्षतिपूर्ति करने का विचार है जिन की भूमि सड़क बनाते समय खोद डाली गई है और इस प्रकार खेती के अयोग्य बना दी गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (घ) तक। जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

अगरतल्ला-खोवई रोड

११८९. **श्री दशरथ देव** : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) त्रिपुरा में कलचर के रास्ते अगरतल्ला-खोवई रोड बनाने के लिये कितने परिवारों की भूमि सरकार ने उन्हें कोई सरकारी नोटिस दिये बिना ले ली है;

(ख) कलचर के चाय बागान तथा सुबलसिंहपाड़ा के बीच उपरोक्त प्रयोजन के लिये इस प्रकार भूमि के अधिग्रहण से कितन परिवार प्रभावित हुए हैं .

(ग). क्या इन पीड़ित परिवारों की कोई क्षतिपूर्ति की गई है; तथा

(घ) यदि हां, तो प्रति कानी क्षतिपूर्ति की दर क्या है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

सेवा योजनालय

११९०. डा० रामसुभग सिंह : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनवरी, फरवरी तथा मार्च, १९५३ में सेवा योजनालयों में कितने व्यक्ति पंजीबद्ध हुए और कितने को देश में (१) सरकारी प्रतिष्ठानों और (२) निजी प्रतिष्ठानों में नौकरी दी गई ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

निम्नलिखित में नौकरी दिये जाने वालों की संख्या

मास	पंजीबद्ध व्यक्तियों की संख्या	सरकारी प्रतिष्ठान	निजी प्रतिष्ठान	कुल योग
१	२	३	४	५
१९५३				
जनवरी	१,१४,६१७	११,५५९	८,८१९	२०,३७८
फ़रवरी	९९,३५२	९,९४९	८,०६४	१८,०१३
मार्च	१,१०,२९३	११,४२५	६,३६०	१७,७८५
कुल योग	३,२४,२६२	३२,९३३	२३,२४३	५६,१७६

पटसन की खेती

११९१. श्री बी० के० दास : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में १९५२ में पटसन (बिमली सहित) तथा मेस्ता का राज्य वार अनुमानतः कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) प्रति एकड़ औसत उपज कितनी हुई ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) तथा (ख). एक विवरण जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है सदन पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

१९५२–५३ में पटसन और मेस्ता का उत्पादन तथा इसकी प्रति एकड़ औसत उपज (राज्यवार)

राज्य	(क) उत्पादन (४०० पौंड की प्रति गांठ के हिसाब से '००० गांठें)		(ख) प्रति एकड़ उपज (प्रत्येक गांठ ४०० पौंड की)	
	पटसन	मेस्ता	पटसन	मेस्ता
आसाम	९२५*	—	२·९२	—
बिहार †	८७९	१४१**	१·९१*	२·०१
बम्बई	—	१२	—	०·८५
मध्य प्रदेश‡	—	—	—	—
मद्रास	—	१६९	—	२·१९
उड़ीसा	२५६	५०	२·२०	२·००
उत्तर प्रदेश	१६४	२०**	२·०६	२·००
पश्चिमी बंगाल	२,४१३*	—	२·८९	—
हैदराबाद	—	२३५	—	१·१७
त्रिपुरा	५८	—	२·४२	—
विन्ध्य प्रदेश	—	४	—	१·००
अखिल भारत	४,६९५	६३१	२·५६	१·५७

* इसमें मेस्ता के नगण्य आंकड़े भी सम्मिलित हैं।

** अनुमानित।

‡ मेस्ता के १९५२–५३ के अनुपूरक प्राक्कलन में यह सामग्री सम्मिलित कर दी जायेगी।

† संविलीन प्रदेशों को छोड़ कर।

रेलों द्वारा ले जाया गया अनाज

११९२. डा० अमीन : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५०, १९५१ और १९५२ में रेलों द्वारा सरकारी खाते में कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का अनाज ढोया गया और उसका कुल कितना भाड़ा लिया गया;

(ख) गाड़ियों से कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का अनाज ढोया गया और उपरोक्त अवधि में यातायात पर कितना व्यय हुआ; और

(ग) उपरोक्त अवधि में रेलों और सड़क से ले जाने में कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के अनाज की हानि हुई ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) (१) १९५०, १९५१ तथा १९५२ में मूल योजना के अन्तर्गत सरकारी खाते में रेलों द्वारा ढोये गये अनाज की कुल मात्रा नीचे दी जाती है :—

वर्ष	स्वदेशी	आयात किया हुआ
१९५०	२,९४,५२६ टन	२१,४३,७७१ टन
१९५१	१,९९,९५३ टन	४७,०५,२४९ टन
१९५२	५,३३,६५६ टन	३४,७६,४७३ टन

इन आंकड़ों में राज्यों में सरकारी खाते में ढोये गये अनाज के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं, इनके सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(२) राज्य सरकारों द्वारा रेलों से ढोये गये अनाज के मूल्य और उन पर दिये गये रेल भाड़े के सम्बन्ध में भी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) पारनयन में क्षति अथवा हानि और उस पर रेलवे द्वारा शोधित की गई अभियाचनाओं के सम्बन्ध में विवरण निम्न-लिखित है :—

वर्ष	मात्रा	मूल्य
१९५०	६८,७४५ मन	९,००,०९२ रुपए
१९५१	५८,८७४ मन	८,७८,२५८ रुपए
१९५२	६७,७९७ मन	९,८०,०३३ रुपए

सड़क द्वारा पारनयन के सम्बन्ध में सूचना प्राप्य नहीं है।

केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था, कोनी

११९३. सरदार हुक्म सिंह : (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षकों के लिये केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था, कोनी (मध्य प्रदेश) आरम्भ की गई ?

(ख) अब तक कितने शिक्षकों ने इस संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त किया ?

(ग) इस समय कितने इस संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

(घ) इस संस्था में क्या शिल्प सिखाए जाते हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) मई १९४८।

(ख) १०४३ ।

(ग) १२३ ।

(घ) एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या १२]**

मऊ में गाड़ी की टक्कर

११९४. श्री धूसिया : (क) क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ७१ अप एक्सप्रैस गाड़ी की उस टक्कर के क्या कारण हैं जो ३० नवम्बर १९५२ को उत्तर पूर्वी रेल पर मऊ में हुई ?

(ख) कितने व्यक्ति हताहत हुए ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ७१ अप एक्सप्रेस गाड़ी की सामान की गाड़ी के पिछले भाग से टक्कर, जिसका निर्देश प्रश्न में किया गया है पहली गाड़ी के आने के सिंगल गलती से उसी लाइन के लिये नीचे होने के कारण हुई जिस पर पहले ही सामान की गाड़ी खड़ी थी।

(ख) कोई मरा अथवा हताहत नहीं हुआ।

उत्तर पूर्वी रेल में अनुसूचित जाति के कर्मचारी

११९५. श्री धूसिया : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक रेलों की रचना से लेकर ३१ दिसम्बर १९५२ तक उत्तर पूर्वी रेल में कितने क्लर्क भर्ती किए गए ?

(ख) इस कालावधि में भर्ती किए गए व्यक्तियों में से कितने अनुसूचित जाति के हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १७६ ।

(ख) ११

रेलवे कर्मचारीवृन्द के लिए रक्षित रेल के डिब्बे

११९६. श्री नम्बियार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि लम्बी यात्रा की गाड़ियों में यात्रा करने के लिये कार्यरत रेल कर्मचारीवृन्द के लिये डिब्बे रक्षित रहते थे;

(ख) क्या कर्मचारीवृन्द की ओर से इस प्रणाली को बन्द करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और यदि ऐसा है तो क्या कार्यवाही की गई ;

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां कार्यरत यात्रा करने वाले रेल कर्मचारीवृन्द के लिये कतिपय गाड़ियों पर डिब्बे रक्षित रखे जाते थे।

(ख) यह प्रणाली सामान्यतः सब रेलों में प्रचलित है। तो भी दक्षिण रेलवे में जो सम्भवतः माननीय सदस्य के ध्यान में है यह प्रणाली केवल गाड़ी के कारक तथा वेतन क्लर्क के लिये रक्षण के रूप में और अन्य किसी रेल कर्मचारी के लिये नहीं, इस प्रकार कुछ सुधरे रूप में प्रचलित है। यह सुधार ऐसी शिकायतों के फलस्वरूप हुआ कि जनता को उसके स्थान के उपयुक्त भाग से वंचित रखा जा रहा था और उन के डिब्बों में भीड़ हो जाती थी जबकि रेल कर्मचारीवृन्द के लिये विशेषतः रक्षित स्थान कभी कभी खाली रहता था।

(ग) दक्षिण रेलवे में लाए गए सुधार के सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन १९५१ में प्राप्त हुआ था, परन्तु सरकार ने सामान्यतः कार्यरत रेलवे कर्मचारीवृन्द के लिये डिब्बे रक्षित

करने की पुरानी प्रक्रिया को पुनः स्थापित करने के लिये अपने को अयोग्य पाया

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का विवरण

११९७. **श्री हेडा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का वार्षिक विवरण (१९५०–५१ का) किस तिथि को प्रकाशित हुआ और किस तिथि को प्रसारित हुआ ?

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का १९५१–५२ का वार्षिक विवरण प्रकाशित हो गया है, यदि हां तो कब ? यदि नहीं, तो इस देरी का क्या कारण है ?

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के १९५२–५३ वें वर्ष का विवरण सरकार कब प्रकाशित करेगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) वार्षिक विवरण का प्रथम संस्करण नवम्बर १९५१ में छपा था, किन्तु इसका प्रसार परिषद् की वार्षिक साधारण बैठक में विवरण की स्वीकृति हो जाने के उपरांत ही दिसम्बर १९५१ में हुआ।

(ख) परिषद् के १९५१–५२ में वर्ष के विवरण को परिषद् की वार्षिक साधारण बैठक में जो जनवरी १९५३ में हुई स्वीकृत किया गया; और परमावश्यक प्रयोग के लिये इसकी स्टेनसिल की गई प्रतिलिपियां उपलब्ध हैं। विवरण छप रहा है छपने के उपरांत ही उनका प्रसार किया जा सकेगा। प्रत्येक आर्थिक वर्ष की समाप्ति के उपरान्त तुरन्त ही विवरण प्रकाशित नहीं हो सकता अपितु नियमानुसार इसे परिषद् की वार्षिक साधारण बैठक में स्वीकृत कराना होता है।

(ग) अप्रैल १९५४ में।

जंगलों की रक्षा

११९८. **श्री संगण्णा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतवर्ष में जंगलों की रक्षा करने के लिये खोज की गई है ?

(ख) यदि हां, तो कितनी संस्थायें यह कार्य कर रही हैं ?

(ग) इस खोज कार्य के लिये जिन रसायनों का प्रयोग होता है उनका औसतन वार्षिक खर्चा कितना है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी।

(ख) लकड़ी की रक्षा सम्बन्धी खोज निम्न अनुसंधान शालाओं एवं प्रयोगशालाओं में हो रही है :—

(१) जंगल अनुसंधानशाला की लकड़ी रक्षा शाखा, देहरादून।

(२) मैसूर राज्य की जंगल उत्पाद प्रयोग शाला, बंगलौर।

(३) प्रति रक्षा मंत्रालय की प्रावैधिक विकास स्थापन, कानपुर।

(ग) जंगल अनुसंधानशाला में अनुसंधान कार्य पर लगभग ५ हजार रुपया प्रति मास खर्च होता है। अन्य संस्थाओं के बारे में सूचना अभी अप्राप्त है।

केन्द्रीय क्षत्र में डाक तथा तार विभाग के लिए इमारतें

११९९. **श्री जांगड़े :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय क्षेत्र के उत्तरी छत्तीसगढ़ और नागपुर विभागों में डाक तथा तार विभाग ने सरकारी कामों के लिये व्यक्तिगत लोगों से गत २ वर्षों में मकान खरीदे या किराये पर लिये थे;

(ख) ऐसे मकानों की कुल संख्या और उन पर खर्च हुए धन की राशि;

(ग) उन लोगों के नाम जिन से मकान लिए गए; प्रत्येक व्यक्ति से लिये गये मकानों की संख्या तथा उन को दिये गये किराये या कीमत की राशि ; तथा

(घ) इन भुगतानों का आधार ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) केवल किराये पर लिये थे।

(ख) ऐसे मकानों की कुल संख्या १२ थी। ११ मकानों का किराया कुल ९८७।।) प्रति मास है। एक मकान का किराया अभी तक निश्चित नहीं हो सका है।

(ग) संसद् पटल पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या १३]**

(घ) किराये के विषय में बाजार की दरों के अनुसार जांच कर ली थी तथा राजस्व अधिकारियों से परामर्श भी लिया गया था।

त्रिपुरा में पटसन का उत्पादन

१२००. **श्री दशरथ देव :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री वर्ष १९५१–५२ में त्रिपुरा में पटसन के उत्पादन की कुल मात्रा बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) १९५१ और १९५२ में स्थानीय बाज़ार में पटसन का प्रति मन औसत मूल्य क्या था और उसी वर्ष में कलकत्ता बाज़ार में औसत मूल्य क्या था ?

(ग) त्रिपुरा से निर्यात किए गए पटसन की मात्रा क्या थी और किन साधनों से ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) ३,०६,२५० मन।

(ख) १९५१ में पटसन का प्रतिमन स्थानीय बाजार का औसत मूल्य ४५ रुपये था और १९५२ में १६ रुपये। कलकत्ता का प्रतिमन औसत मूल्य १९५१ में ७५ रुपये था और १९५२ में २४ रुपये।

(ग) १९५१ और १९५२ में त्रिपुरा से कोई पटसन निर्यात नहीं किया गया था।

बी० सी० जी० के टीके

१२०१. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) उन व्यक्तियों के अखिल भारतीय तथा राज्यानुसार आंकड़े जो अब तक परीक्षित किये जा चुके हैं और जिन्हें वास्तविकता में टीके लगाए जा चुके हैं और वह चिकित्सा कर्मचारीवृन्द जिसने सारे भारत में होने वाले सामूहिक बी० सी० जी० आन्दोलन में भाग लिया था;

(ख) आन्दोलन के काल में प्रयोग की गई बी० सी० जी० की मात्रा और उसका मूल्य; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने बी० सी० जी० आन्दोलन के लिये कोई खर्चा किया था और यदि किया था, तो कितना ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) जनवरी १९५३ के अन्त तक के दो विवरण, जिनमें से एक में उन व्यक्तियों के अखिल भारतीय तथा राज्यानुसार आंकड़े जो परीक्षित किये गये थे और जिन्हें बी० सी० जी० के टीके लगाए गए थे और दूसरे में वह कर्मचारीवृन्द जो भारत में बी० सी० जी० टीका के आन्दोलन में काम पर लगा था, दिखाए गए हैं, सदन पटल पर रखे हैं।

(ख) एक विवरण, जिसमें वर्ष १९५२-५३ के अंत तक भारत के बी० सी० जी० केन्द्रों को दी गईं बी० सी० जी० टीके की तथा तपेदिक की जांच करने वाले तरल पदार्थ (ट्यूबरक्यूलिन) की मात्राएं उनके मूल्यों सहित दिखाई गई हैं, सदन पटल पर रखा है (क) और (ख) के लिये **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या १४]**

(ग) भारत के सभी बी० सी० जी० केन्द्रों को टीकों और ट्यूबरक्यूलिन की निःशुल्क पूर्ति के अतिरिक्त, भारत सरकार ने वर्ष १९५२–५३ के अन्त तक बी० सी० जी० टीका लगाने के आन्दोलन के सम्बन्ध में लगभग ९,६२,६०० रुपये खर्च किये हैं

स्वास्थ्य संबंधी विषयों के संबंध में सांख्यकी

१२०२ **डा० अमीन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों के सम्बन्ध में सांख्यकीय सूचना १९४९, १९५०, १९५१ और १९५२ में एकत्रित की गई थी;

(ख) क्या यह सूचना परिचारित कर दी गई है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो, सूचना किस प्रकार परिचारित की गई थी ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) वर्ष १९४७ के लिये स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों के सम्बन्ध में सांख्यकीय सूचना राज्य सरकारों से एकत्रित की गई थी और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रधान संचालक के वार्षिक प्रतिवेदन के सांख्यकीय परिशिष्टों में प्रकाशित की गई थी। वर्ष १९४८ और १९४९ की उसी प्रकार की सूचना प्रकाशित होने वाली है। वर्ष १९५० तक स्वास्थ्य विषयों पर सांख्यकीय सूचना वाला एक स्वास्थ्य-मान चित्रावली (ऐटलस) भी शीघ्र ही प्रकाशित की जायगी।

(ख) और (ग) . ये प्रकाशन भारत में सभी राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों, चिकित्सा विद्यालयों और स्कूलों, विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों को निःशुल्क दिये जाते हैं।

दाल

१२०३. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत दालों में आत्म-निर्भर है;

(ख) वार्षिक खपत के लिये आवश्यक कुल मात्रा और प्रतिवर्ष उत्पादित कुल मात्रा; और

(ग) क्या यह तथ्य है कि दालें, विशेष कर मसूर की, अधिक मात्रा में पूर्वी पाकिस्तान को निर्यात की जाती हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) (क) नहीं, आहार पुष्टि सम्बन्धी आदर्शों द्वारा मूल्यांकन करने पर।

(ख) आहार पुष्टि आदर्श के अनुसार वार्षिक खपत के लिये आवश्यक दालों की कुल मात्रा औसतन ७६ लाख टन है। इसके विपरीत खपत के लिये उपलब्ध दालों का औसत कुल उत्पादन ७० लाख टन है।

(ग) गत तीन वर्षों में किसी भी प्रकार की दालों का (मसूर सहित) पाकिस्तान को निर्यात नहीं हुआ है।

गोदाम

१२०४. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों पर खाद्यान्नों के भाण्डार पूरण के लिये १९५०, १९५१ और १९५२ में गोदामों के निर्माण तथा देखभाल पर खर्च की गई कुल राशि; और

(ख) उन स्थानों के नाम जहां यह बनाए गए हैं और प्रत्येक गोदाम का आयतन ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार द्वारा नए निर्माण वर्ष १९५० और १९५१ में नहीं शुरू किये गये थे लेकिन रक्षा मंत्रालय द्वारा फालतू घोषित किए गए कुछ 'शेड' खरीद लिए गए थे और खाद्यान्नों के भाण्डार-पूरण के हेतु पुनः नवीकृत किये गये थे। १९५२ में कुछ स्थान निर्मित किया गया था और कुछ रक्षा मंत्रालय तथा पूर्तियों और व्ययन के प्रधान संचालक से खरीदे गये थे और पुनः नवीकृत किये गये थे। विस्तृत विवरण नीचे

दिए गए हैं: –

वर्ष	स्थान	आयतन (टन)	खर्च की गई राशि (रुपए)	टिप्पणी
१९५०	मनमाद	५५,०००	१५,११,५००	इसमें ११,७२,७३६ रुपए भी सम्मिलित हैं जो १९५१ में की गई प्रारम्भिक मरम्मतों और पुनर्नवीकरण पर खर्च किए गए थे। निर्माणों का मूल्य ३,३८,७६४ रुपए हुआ था जो १९५१ में दिया गया था।
१९५१	कोचीन	१०,०००	१,०२,२७५	इसमें ४६,३७५ रुपए भी सम्मिलित हैं जो १९५२ में की गई प्रारम्भिक मरम्मतों और पुनर्नवीकरण पर खर्च किए गए थे निर्माणों का मूल्य ५५,९०० रुपए हुआ था, जो रक्षा मंत्रालय के हिसाब में अभी तक जमा नहीं किया गया है।
१९५२	(क) अबादी	१६,८००	५,०६,१००	इसमें ३,८६,१०० रुपए भी सम्मिलित हैं जो प्रारम्भिक मरम्मतों और पुनर्नवीकरण पर खर्च किए गए थे। निर्माणों का मूल्य १,२०,००० रुपए हुआ था जो अभी तक रक्षा मंत्रालय के हिसाब में जमा नहीं किया गया है।
	(ख) सेवरी	१३,०००	२,६०,०००	इसमें १,७०,००० रुपए भी सम्मिलित हैं जो प्रारम्भिक मरम्मतों और पुनर्नवीकरण पर खर्च किए गए थे। निर्माणों का मूल्य ९०,००० रुपए हुआ था, जो अभी तक पूर्तियों और व्ययन के प्रधान संचालक के हिसाब में जमा नहीं किया गया है।
	(ग) वादला (नया निर्माण)	५०,०००	२५,३१,१५०	

ऊपर दिखाए गए गोदामों की मरम्मत आदि का व्यय, उन गोदामों की (५८,००० टन आयतन) मरम्मत आदि के व्यय सहित, जो १९५० से पहले निर्मित किए गए थे, नीचे दिया गया है :—

१९५०	४४,४०० रुपये
१९५१	४१,५०० रुपये
१९५२	७८,७०० रुपये

तम्बाकू

१२०५. श्री सी० आर० चौधरी : (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १९५१–५२ और १९५२–५३ के फसली वर्षों में भारत में तम्बाकू की पैदावार बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) कितने एकड़ भूमि (राज्यानुसार) में १९५१–५२ और १९५२–५३ के फसली वर्षों में तम्बाकू की खेती हुई थी ?

(ग) किसी राज्य अथवा राज्यों में क्या तम्बाकू के लिये कोई पणन सुविधायें दी गई हैं ?

(घ) विभिन्न श्रेणियों के तम्बाकू के लिये क्या कोई न्यूनतम मूल्य निश्चित है ?

(ङ) तम्बाकू के साफ करने वालों को कोयले की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

(च) अन्य देशों की तुलना में तम्बाकू के उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) :

(क) १९५१-५२ ५०४० लाख पौंड।
१९५२-५३ अनुमान अभी तक उपलब्ध नहीं है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबंध संख्या १५]**

(ग) जी हां, अनेक राज्यों में ।

(घ) नहीं ।

(ङ) जब कभी भी कोयले के समाहार में वास्तविक कठिनाई सामने लाई जाती है, प्रयोजन के हेतु पूर्ति की स्थिति तथा यातायात सम्बन्धी सुविधाओं की उपलब्धता पर आधारित यथासम्भव आवश्यक सहायता दी जाती है ।

(च) तम्बाकू उत्पादन में संसार में भारत का तीसरा स्थान है ।

पटसन

१२०६. श्री एस० सी० सामन्त : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में एक एकड़ भूमि उत्पादित पटसन की अधिकतम मात्रा;

(ख) पटसन की वे विभिन्न प्रकारें और मात्रायें जो १९५२-५३ में भारत में पैदा की गईं थीं;

(ग) भारत का कौनसा भाग सबसे अच्छे प्रकारों का पटसन पैदा कर सकता है; तथा

(घ) छोटे क्षेत्रों में और अधिक पटसन पैदा करने के हेतु क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) :

(क) ४४·९ मन ।

(ख) दो किस्में, अर्थात् सी० कैप्सूलेरिस तथा सी० ओलीटोरियस, १९५२–५३ में भारत में पैदा की गईं थीं । अधिक महत्वपूर्ण पटसन की वाणिज्यिक किस्में जो पैदा की गईं थीं, ये हैं:—निचला आसाम, ऊपरी आसाम, उत्तरी, डायसी, कटक, उड़ीसा, बिहार, पश्चिमी, जंगली, मुर्शिदाबाद और उत्तर प्रदेश ।

(ग) पश्चिमी बंगाल के उत्तरी जिले और आसाम के निचले क्षेत्र ।

(घ) छोटे उत्पादकों को उचित दर पर सुधरे हुए पटसन के बीज उपलब्ध किये गए हैं । उन जमीनों में जिन पर नाशक

कीटाणुओं अथवा बीमारियों का आक्रमण हो चुका था, उनमें पौदों की रक्षा के उपाय किये गये थे। कीटाणु नाशकों अथवा फफूंदी आदि के नाशकों का मूल्य हिताधिकारियों से नहीं लिया गया था।

बिहार के लिए मलेरिया विरोधी नियंत्रण दल

१२०७. **श्री एस० एन० दास** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या उन क्षेत्रों का चुनाव हो चुका है जहां पर बिहार राज्य को बंटित सात मलेरिया विरोधी नियंत्रण दल काम करेंगे ;

(ख) यदि हो गया है तो, उन क्षेत्रों के नाम उनके तत्सम्बन्धी सदर मुकामों सहित;

(ग) प्रत्येक क्षेत्र में चलने वाली योजना का कुल मूल्य;

(घ) इन क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को चालू करने के फलस्वरूप इन क्षेत्रों की आबादियों का कौन सा भाग सुरक्षित हो जायगा; और

(ङ) उन दलों का क्या होगा जो आजकल इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) से (ङ). मांगी गई सूचना बिहार सरकार से मंगाई गई है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायगी।

संयुक्त राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल-संकट-निधि को अंशदान

१२०८. **सरदार ए० एस० सहगल** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि १९५० से भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल-संकट निधि के स्वास्थ्य तथा सहायता कार्यक्रमों के लिये कितना अंशदान किया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : १९५० से भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल-संकट निधि को १८,००,००० रुपये का कुल अंशदान किया है।

सत्यमेव जयते

बृहस्पतिवार,
२३ अप्रैल, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बृहस्पतिवार, २३ अप्रैल, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-६ म० पू०

स्थगन प्रस्ताव

हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापटनम में हड़ताल

अध्यक्ष महोदय : हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापटनम के ८१३ कर्मचारियों के, सरसरी कार्यवाही के बाद, निकाल दिये जाने के फलस्वरूप २२ अप्रैल से जो हड़ताल वहां चल रही है उससे उत्पन्न होने वाली परिस्थिति पर सोच विचार करने के लिए मुझे एक स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना प्राप्त हुई है।

इस प्रस्ताव की ग्राहयता के प्रश्न पर निर्णय देने के पूर्व मैं इस मामले के तथ्य जानना चाहूंगा। प्रत्यक्ष रूप से तो यह एक प्रशासन का विषय प्रतीत होता है और इस को सुधरवाने के हेतु प्रशासन के पास अभ्यावेदन भेजने चाहिएं। यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण मामला है फिर भी यह इतना महत्वपूर्ण नहीं प्रतीत होता कि इस के कारण हम अपने अन्य साधारण कार्य स्थगित कर के इस प्रस्ताव पर विचार करें। कोई भी निर्णय लेने से पूर्व मैं माननीय सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी से तथ्यों के आधार पर उनका कथन सुनना चाहूंगा। मैं यह भी चाहूंगा कि भार साधक मंत्री इस परिस्थिति के बारे में तथ्य बतायें।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : मेरा स्थगन प्रस्ताव हिन्दुस्तान शिपयार्ड मज़दूर संघ के सभापति तथा इस सदन के एक सदस्य डा० लंकासुन्दरम के द्वारा भेजे गये एक तार पर आधारित है, जो शायद सरकार को भी मिला होगा।

यह शिपयार्ड भारत सरकार का है और कुछ समय से यहां के ८१३ कर्मचारियों के सरसरी कार्यवाही के बाद निकाल दिए जाने के संबंध झगड़ा चल रहा है। इन कर्मचारियों पर कोई वैध नोटिस नहीं जारी की गई थी। फलतः ये अपने मामले में सुलह की कार्यवाही अथवा मध्यस्थता संबंधी कार्यवाही की मांग नहीं कर सकते कर्मचारियों की मांग यह है कि वे लोग अभी नौकरी से अलग न किए जायें और सारे मामले की जांच एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण के द्वारा होनी चाहिए। इस सहानुभूतिपूर्ण हड़ताल में ३६०० से

[डा० एस० पी० मुखर्जी]

अधिक कर्मचारी सम्मिलित हैं और इस कारण उस शिपयार्ड में कल बिलकुल काम नहीं हो सका ।

यदि इस मामले में आज ही कुछ न किया गया तो संभव है कि यह हड़-ताल अन्य क्षेत्रों, जिनका संबंध भारत सरकार के प्रत्यक्ष रूप से आधीन कुछ प्राणभूत, महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सेवाओं से है में भी फैल जाय । हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई भद्दी चीज पैदा हो अतः कुछ ठोस कार्यवाही इस संबंध में होनी आवश्यक है। इस मामले में कर्म-चारियों की उक्त मांग सर्वथा उचित है ।

अन्त में, यदि आवश्यक विधान संबंधी कार्य में हर्जा हो रहा हो तो आप कृपा कर सरकार की स्वीकृति से १२-४५ बजे आधा घंटे का समय इस पर विचार करने के लिए देदें तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा ।

श्री थानु पिल्ले (तिरुनलवेली) : यह मामला हड़ताल का अथवा तालाबन्दी का है ?

रक्षा-संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : यहां पर तालाबन्दी का प्रश्न कहां है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक हड़ताल है, तालाबन्दी नहीं ।

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : उत्पादन मंत्री की ओर से मुझे निम्न निवेदन करने की आज्ञा दी जाय । इन ८१३ कर्मचारियों के संबंध में एक झगड़ा था, और न्यायनिर्णयन यंत्र को नियुक्त करना अथवा न करना मद्रास सरकार का कार्य है और इस मामले में जांच करने के हेतु उन्होंने एक न्यायनिर्णयक नियुक्त किया है । न्यायनिर्णयक के सामने अपने सारे तथ्य रखने का काम कर्मचारियों का है और वह एक निर्णय दे देगा । जो दोनों पक्षों पर बन्धनकारी होगा ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार आधे घंटे की चर्चा के लिए तैयार है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञा-निक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : श्री गिरि के वक्तव्य के बाद मैं नहीं समझता कि आधे घंटे की चर्चा की कोई अवश्यकता है ।

श्री वी० वी० गिरि : मेरा निवेदन है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक न्यायनिर्णयक नियुक्त हो चुका है, यदि और सूचना वांछित है तो अच्छा यह हो कि उत्पादन मंत्री, जिनको पूरे तथ्य मालूम हैं, कल उनको बताएं । वह कल उपस्थित रहेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : आधे घंटे की चर्चा के लिए भी हम को कल तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब उत्पादन मंत्री यहां उपस्थित होंगे ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : चूंकि भारत सरकार नियोजक है अतः उसे चाहिए कि न्यायनिर्णयन के समाप्त होने तक निकाले गए कर्मचारियों को नौकरी में बनाए रखे । इस से स्थिति बिगड़ने नहीं पायेगी और न कोई हड़ताल होगी । इस प्रकार मामला शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : सरकार इस बात का ध्यान रखेगी । अच्छा तो यह हो कि माननीय सदस्यगण इस विषय में संबं-धित मंत्री के साथ सदन के बाहर ही चर्चा कर लें । इस प्रकार यह स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न समाप्त होता है ।

भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब हम भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक पर विचार करेंग । आज साधारण वाद विवाद होगा और आज की कार्यवाही की समाप्ति पर यह प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया जायगा। जैसा कि कार्य मन्त्रणा समिति ने निश्चित किया है अथवा सिफारिश की है जो कि हमें मान्य है दिनांक २५ और २७ को इसके एक एक खण्ड को लेकर पढ़ा जायगा । कुल ३ दिन इसके लिए नियत किये गये हैं ।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) हमारा कुछ सदस्यों का ऐसा विचार है कि चार दिन इसके लिए काफी होंगे । और मैं ने एक सुझाव रखा है कि पेप्सू विधेयक के लिए दिये गये तीन दिनों में से एक दिन कम करके इसके लिए चार दिन कर दिये जायें ।

संसद कार्य मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिन्हा) : सरकार को इस में कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री पून्नूस (आल्लप्पी) : मेरा सुझाव है कि इस के बारें में अभी निर्णय न हो । पेप्सू विधेयक के बारे में समय की बात पीछे निश्चित की जाय ।

श्री हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : पेप्सू विधेयक के लिए जितना समय रखा गया है वह उतना ही रहे ।

श्री एस० पी० मुखर्जी : ऐसा करें कि ढाई दिन तो पेप्सू विधेयक के लिए रख ले तथा आधा अतिरिक्त दिन इसके लिए ले लें ।

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी ।

वित्तमंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं समझौता कराने के लिए एक सुझाव रख रहा था कि आज सारे दिन तो हम इस पर वाद विवाद कर लें और दिनांक २५ को प्रातःकाल इस वादविवाद का मैं उत्तर दे दूं । फिर उसके पश्चात हम संशोधन लें । मेरा विचार है कि संशोधनों में अधिक समय नहीं लगेगा । मुझे १६ संशोधनों की पूर्व सूचना मिली है। उनमें से कुछ तो एक दूसरे के आनुषंगिक हैं। कुछ दो तीन बातें मुख्य हैं जो कि इन सशोधनों में सम्मिलित हैं। मेरा अपना यही विचार है कि संशोधनों के लिए दो दिन बहुत काफी होगें । डेढ़ दिन हम वादविवाद के लिए रख लें । यह मेरे लिए भी बड़ा सुविधाजनक होगा ।

अध्यक्ष महोदय : डेढ़ दिन ! यदि आप चाहें तो वादविवाद के लिए और भी बढ़ा सकते हैं और डेढ़ दिन खंड खंड करके इसके पढ़ने के लिए । समस्त कार्य तीन दिन में समाप्त हो जायगा इस विचार को लेते हुए हमें अब कार्य शुरु करना चाहिए ।

डा० एस० पी० मुखर्जी । यदि हम आधा दिन पेप्सू विधेयक में से ले लें तो यह अच्छा रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : फिर देखा जायगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्तुत करता हूं कि :—

> "भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२ में फिर सशोंधन करने के लिए विधयक पर जैसा कि प्रवर समिति ने सूचित किया है विचार किया जाय"

[श्री सी० डी० देशमुख]

जब पिछली जुलाई दिनांक ९ को इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा गया था तो मैंने कहा था कि इस वर्तमान विधेयक की मुख्य विशेषताएं यह है कि इसमें बहुत से लाभदायक उपबन्ध हैं। इस विधेयक में ३१ खंड हैं जिनमें से पहले दो खंडों में तो केवल परिभाषाएं दी गई हैं। इस विधेयक के प्रभावी खडों में से १४ खंड उपयोगी हैं, ११ खंड प्रक्रियात्मक, प्रशासनीय, अथवा स्पष्ट करने वाले हैं, और शेष खंड कर देने में टाल-मटूल करने वालों पर प्रतिबन्ध लगाने वाले हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष पद पर आसीन हुए]

अतएव मेरे विचार से इस विधेयक में दो तीन बातों को छोड़ कर जिनका उल्लेख मैं साधारण रूप से पहिले कर चुका हूं, सम्भवतः ही कोई ऐसी बात हो जिस पर कि विवाद हो। अन्यथा इस विधयक का मुझे कहना चाहिए कि प्रवर समिति के २६ सदस्यों द्वारा बड़े ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया है। इस समिति की कुल ९ बैठक हुई और २७ घंटे लगे। औसतन २० सदस्यों ने समिति की बैठक में भाग लिया। अतएव उन्होंने इस विधेयक के सोच विचार में ५४० जन घंटे लगाये। अतएव यह विधेयक जैसा कि प्रवर समिति ने तैयार किया है अच्छी खासी जांच का परिणाम है, और मैं उस समिति के सभी सदस्यों के उस विशद एंव सुरुचिपूर्ण विवेचन के लिए जो उन्होंने इस विधेयक के तैयार करने में किया है, आभार प्रकट करता हूं।

आप देखेंगें कि खडों पर से आवश्यकतानुसार और जहां तक संभव हो सका है और भी प्रतिबन्ध हटा लिए गय हैं। प्रवर समिति का प्रतिवेदन ७ नवम्बर १९५२ को सदन को प्रस्तुत किया गया था और संशोधित विधेयक काफी समय से सदन के समक्ष प्रस्तुत ह। अतएव यह आवश्यक नहीं है कि इसको विस्तारपूर्वक विवेचन किया जाय इस कारण में संक्षिप्त रूप से केवल उन्हीं परिवर्तनों के बारे में विचार प्रकट करूंगा जिनको प्रवर समिति ने सुझाव स्वरूप रखा है।

अब पहले शुरु के खण्ड को लीजिए। खण्ड १ जो विधेयक के क्षेत्र और आरम्भ होने से संबधित है उसमें संशोधन हो चुका है यह स्पष्ट करन के लिए कि विधेयक के विशेष उपबन्ध, केवल उसके अतिरिक्त जहां पर एक उपबन्ध को विशिष्ट अनुदर्शी प्रभाव दिया गया है कर लगाने के वर्ष १९५२-५३ से लागू होता है और कार्य पद्धति संबंधी उपबन्ध विचाराधीन मामलों में भी लागू होता है। यह संविधि के निर्माण के सामान्य नियम के अनुकूल है।

तत्पश्चात पिछले वर्ष के संबंध में प्रवर समिति द्वारा कुछ बहुत थोड़ा परिवर्तन किया गया है यह स्पष्ट करने के लिए कि एक फर्म का पिछला वर्ष उस फर्म के किसी भी भागीदार के अंश के संबंध में भी पिछला वर्ष ही होगा, केवल जहां फर्म पर स्वयं एक एकाई के रुप में कर लगाया गया है। जहां फर्म पर अलग से कर नहीं लगाया गया है तो भागीदार अपने द्वारा लिए हुये पिछले वर्ष के अंश को उसमें सम्मिलित कर सकता है।

'पिछले वर्ष' की इस परिभाषा के संबंध में प्रवर समिति में कुछ आशंकायें प्रकट की गई थीं कि क्या संशोधित परिभाषा के अनुसार किसी नवीन व्यवसाय के लिए पहले वर्ष में बारह महीनों से अधिक जैसा कि आजकल है 'पिछला वर्ष' जोड़ने की आज्ञा रहेगी। स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मैं कह सकता हूं कि जहां व्यवसाय पिछले वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किया गया है और वे अपना लेखा बारह महीनों से अधिक का बनाता है तो ऐसा मामला परिभाषा के खण्ड (ग) द्वारा प्रतिपादित नहीं होगा, किन्तु खण्ड (ख) द्वारा होगा और एक पिछला वर्ष बारह महीने से अधिक या कम का लिया जा सकता है यदि यह आय-कर को बचाने के लिए नहीं बनाया गया था जिसमें बाद में होने वाली हानि या लाभ को निकाल दिया गया हो।

तत्पश्चात मैं दान संस्थाओं की आयों को कर मुक्त करने वाले खण्डों पर आता हूं। संक्षेप में प्रवर समिति द्वारा किए गये परिवर्तन उसकी रक्षा करते हैं कि :

(१) आय कर मुक्त कर दी गई है चाहे वह एक वर्ष के अन्दर धार्मिक या दान के कार्यों में न लगाई गई हो, किन्तु बाद को होनें वाले ऐसे ही कार्यों में लगाने के लिए एकत्रित कर ली गई हो ;

(२) दान के कार्य कुछ ऐसे होने चाहिये जो कर लगाने की सीमाओं के अन्दर हों और उन मामलों में जिनमें ऐसे कार्य कर लगाने की सीमाओं के बाहर हैं, आय कर मुक्त नहीं की जायेगी, जब तक कि केन्द्रीय राजस्व मण्डल आवश्यक छूट नहीं स्वीकृत कर लेता है ;

(३) कर मुक्त आय पर भी कर लगाया जा सकता है जब वह किसी दूसरे कार्य में लगाई जाती है या धार्मिक अथवा दान कार्यों में उसका व्यय होना रुक जाता है।

प्रश्न उठाया गया था कि क्या भारतीय नागरिकों को विदेशों में अध्ययन के लिये स्वीकृत छात्रवृत्तियों पर भी कर नहीं लगाया जायेगा क्योंकि यह भारत में किये जाने वाले किसी कार्य से संबंधित नहीं है। मैं सदन को विश्वास दिला सकता हूं कि जहां तक यह देश हित में सिद्ध कर दिया जाता है, तो ऐसे छात्र वृतियों पर व्यय की जाने वाली राशि पर कर छूट दे दी जायेगी।

तत्पश्चात् संसद् सदस्यों को मिलने वाले दैनिक भत्ते को कर मुक्त करने का प्रश्न आता है। विधेयक में १ अप्रैल १९५२ तक संसद् सदस्यों के दैनिक भत्ते को कर मुक्त करने का उपबन्ध है। बाद के परिणाम को दृष्टि में रखते हुए समिति ने सोचा कि भत्ते को कर मुक्त ही रहने देना चाहिये, चाहे वह इस तिथि के पूर्व मिलने वाली हो अथवा बाद को। मैं समझता हूं कि यह संशोधन सदन के माननीय सदस्यों को अमान्य न होगा।

इसके पश्चात् मैं निरीक्षक सहायक आयुक्त के आदेश के विरुद्ध किये गये पुनरावेदन के प्रश्न पर आता हूं, जबकि वह आय-कर पदाधिकारी का कार्य संचालन कर रहे थे।

विधेयक में यह दिया हुआ था कि जहां एक निरीक्षक सहायक आयुक्त ने आय-कर पदाधिकारी का कार्य करते हुए कर लगाया हो, तो उसका पुनरावेदन सीधे आय-कर पुनर्वाद न्यायाधिकरण द्वारा सुना जाना चाहिये। प्रवर समिति की इच्छा यह थी कि आयुक्त के पास से

[श्री सी० डी० देशमुख]

पहले पुनरावेदन के विद्यमान अधिकार में कोई गड़बड़ी नहीं की जानी चाहिये। मैं प्रवर समिति के इस परिवर्तन को विभाग की एक प्रशंसा समझता हूं और आलोचकों के लिए एक अप्रत्यक्ष उत्तर जो यह कहते हैं कि विभाग को किया गया प्रथम पुनरावेदन व्यवहारिक रूप से व्यर्थ है क्योंकि विभागीय पुनर्वाद पदाधिकारी केवल कर लगाने वाले अधिकारी का ही समर्थन करते हैं। यदि मैं ऐसा कहूं कि छोटे पुनरावेदनों में से लगभग ९० प्रतिशत विभाग द्वारा पुनरावेदकों की संतुष्टि के लिए तय किए जाते हैं। पुनरावेदन की इस कार्य-पद्धित को यद्यपि विभाग के अन्दर ही न्यायिक रूप से पुनरावेदनों को तय करने में सम्पूर्ण अधिकार एवं पूर्णस्वतन्त्रता प्राप्त है।

अगला प्रश्न परवर्तीय आय-कर पदाधिकारी द्वारा कार्यवाहियों को चलाते रहने का है। प्रवर समिति ने कर लगाये जाने वालों की इच्छा पर आय-कर अधिनियम की किन्हीं कार्यवाहियों के सम्पूर्ण अथवा कुछ अंश पर पुनर्विचार कराने की मांग को छोड़ दिया है जब कभी परवर्तीय अधिकारी द्वारा किसी कार्यवाही पर विचार किया जाता है। ऐसे मामलों में समयावधि की रक्षा के लिए यह दिया हुआ है कि पुनर्विचार पर लगने वाला समय समाविधि की गणना के उद्देश्य से कर लगाने के कार्य को पूरा करने में नहीं जोड़ा जायेगा।

आय-कर पुनर्वाद न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के प्रश्न के सम्बन्ध में बड़ा वाद विवाद हुआ था। विधेयक में यह दिया हुआ था कि पुनर्वाद न्यायाधिकरण के अध्यक्ष का स्थान एक गणक सदस्य के लिए भी खुला होना चाहिए क्योंकि व्यावहारिक रूप से एक गणक सदस्य तथा न्यायिक सदस्य द्वारा किए गए कार्यों में कोई अन्तर नहीं है। प्रवर समिति ने यह उचित समझा कि अध्यक्ष सदैव एक न्यायिक सदस्य ही होना चाहिए। एक गणक सदस्य की अध्यक्ष पद पर नियुक्ति पर संविधिरोक किसी भी परिस्थिति में प्रशासनीय कठिनाइयों एवं गणक सदस्यों में अनावश्यक असन्तोष उत्पन्न कर सकता है। अतः मैं श्री हरी विनायक पटासकर द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन का, कि अध्यक्ष सामान्यतः एक न्यायिक सदस्य होना चाहिये, स्वागत करता हूं और यथासमय मैं इसे सदन की स्वीकृति के लिए रखूंगा।

अगला प्रश्न जिस पर मैं आता हूं वह है वास्तविक लागत का प्रश्न जिस पर घटे हुए मूल्य वसूल किये जाते हैं। विधेयक में इसके सम्बन्ध में दिया हुआ था कि घटे हुए मूल्य कर लगाने वाले की वास्तविक लागत के आधार पर निधारित किया जायेगा, उस राशी को निकल कर जो उसने किसी अन्य सूत्र से प्राप्त की हो। वास्तविक लागत में कमी अब केवल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी, किसी जन अथवा स्थानीय अधिकारी से प्राप्त होने वाली राशी तक ही सीमित रहा करेगी। लागत को पूरा करने के लिए किसी भी अन्य सूत्र से प्राप्त होने वाली राशि के लिए वास्तविक लागत में से कोई कमी नहीं की जायेगी।

तत्पश्चात् धारा १५ (ग) के अन्तर्गत नय छोटे उद्योगों को कर मुक्त करने के विस्तार का प्रश्न आता है। आय-कर अधिनियम की धारा १५ (ग) के अधीन नये छोटों उद्योगों को कर मुक्त किये जाने का लाभ उठान के लिए, विशिष्ट संख्या में

कर्मचारियों को नौकरी देने की अनावश्यकता पर भी प्रवर समिति द्वारा और भी उदारता दिखलाई गई है । कोई नया निर्माता उपक्रम जो बिजली की सहायता से कार्य करता है जिसमें दस या बारह मज़दूर काम करते हैं अथवा अन्य ऐसा कोई उपक्रम जो बिना बिजली की सहायता के कार्य करता है जिसमें बीस या अधिक मज़दूर काम करते हैं, अब प्रवर समिति के प्रतिवेदन के अनुसार कर से मुक्त किए जाने का अधिकारी होगा ।

मैं धारा १८ क पर आता हूं जो सरकार द्वारा ब्याज दिए जाने के संबंध में है । किश्तों में दिए गए करके संबंध में प्रवर समिति का दृष्टिकोण यह था कि नियमित रूप से भुगतान की गई आधिकिय राशि पर जो देय पाई गई है, ३१ मार्च १९५२ के बाद से उस पर सरकार द्वारा ब्याज देना प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिये । अग्रिम खाते में डालने के लिये हानि का निश्चय करवाने के करदाता के अधिकार के सन्बन्ध में हम ने देखा कि वर्तमान विधि में एक त्रुटि थी और जिस करदाता को हानि होगी वह स्वेच्छा से अपना हिसाब तो बतलायेगा नहीं और न ही आय-कर पदाधिकारी उस से हिसाब मांगने के लिए उसे नोटिस देने के लिए बाध्य है । यह जो संशोधन अब किया गया है इस में उसे प्रति वर्ष १ मई को जारी किये गए नोटिस में दिये गए समय के समाप्त होने से पूर्व अपनी हानियों का निश्चय करवाने तथा हानि के हिसाब को प्रस्तुत करने का अधिकार दिय गया है । यदि आय-कर पदाधिकारी अनुमति दे दे तो हानि का हिसाब बाद में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। कर निर्धारित करने के वर्ष १९५२-५३ तक तथा स वर्ष के लिये हानि को निश्चित करवाने के अधिकार के सम्बन्ध में ये अनुदेश दे दिये जायेंगे कि विधेयक के पारित होने के कुछ समय पश्चात् प्राप्त हिसाबों को समय पर प्राप्त ही समझना चाहिये ।

आय-कर पदाधिकारी की सूचना मांगन सम्बन्धी शक्ति के बारे में स्थिति यह है कि प्रवर समिति ने आय-कर पदाधिकारी के सूचना तथा धन के विवरण मांगने की शक्ति पर भी सीमा बन्धन लगा दिये हैं। सूचना केवल कर निर्धारण के लिए मांगी जानी चाहिये और धन सम्बन्धी विवरण केवल आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से ही मांगा जा सकता है।

आय-कर अधिकारियों द्वारा बही-खातों को जमा रखने के सम्बन्ध में करदाताओं को बही-खातों के बहुत देर तक रखने के कारण किसी प्रकार की कठिनाई से बचाने के लिये इस बात की व्यवस्था कर दी गई है कि यदि उन्हें १५ दिन से अधिक रखना हो तो आयुक्त की स्वीकृति ले लेनी चाहिए ।

राजस्व के हितों को सुरक्षित रखने के लिय किसी व्यक्ति के भारत छोड़ने से पूर्व 'कुछ शेष नहीं' के प्रमाणपत्र खरीदने के लिये उपबन्ध कर दिया गया है । इसके अपवाद रखने में सरकार इस बात का ध्यान रखगी कि कुछ उदारता से अपवाद रख जायें जिस से कि अवयस्क, इस रास्ते से होकर जाने वाले यात्री, कूटनीतिक मिशनों के सदस्य तथा केन्द्रीय व राज्य सरकारों के कर्मचारी इस में आ जायें। इस बात की भी पक्की व्यवस्था की जायगी कि प्रमाणपत्र यथासम्भव शीघ्र से शीघ्र दिये जायें और यहां के अधिवासियों को, यदि उनके सन्बन्ध में कोई ऐसी उचित

[श्री सी० डी० देशमुख]

आशंका नहीं होगी कि वे सम्भवतः भारत न लौटें, खुले रूप से ये दिये जायेंगे। प्रवर समिति ने ले जाने वाले के आपराधिक दायित्व को निकाल दिया है और आय-कर पदाधिकारी को ले जाने वाले से स्वविवेकानुसार सम्पूर्ण अथवा आंशिक रूप से कर लेने का अधिकार दे दिया है।

विदेशी आय पर दिये गये कर के सम्बन्ध में एक पक्षीय छूट के बारे में, किसी अन्य देश के निवासी व्यक्ति को जिसकी विदेशी आय पर भारत में कर लिया जाता है इस प्रकार की कोई छूट देने में, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि विदेशी आय-कर की दर निश्चित करते समय उस देश की सरकार द्वारा लगाये गये अधिक लाभ कर या व्यापार लाभ कर को भी ध्यान में रखा जायेगा।

जीवन बीमा कम्पनियों के मामले में प्रबन्ध व्यय के सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन हुआ है। इस विधेयक में किस्तों को पुनः जारी करने के सम्बन्ध में जितने प्रबन्ध व्यय की अनुमति थी वह १२% से बढ़ा कर १५% कर दिया गया था। प्रवर समिति ने १५% में इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जितने की कि बीमा अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति है। इस से वे नई कम्पनियां जिन का कि थोड़ा कारोबार होगा किस्तों को पुनः जारी करने का अधिक से अधिक २०% प्रबन्ध व्यय ले सकेंगी। यह संशोधन कर निर्धारण के वर्ष १९५१-५२ से पश्चाद्गामी प्रभाव से लागू होगा।

१९४८ में संशोधित धारा ३४ के अधीन जारी किये गये नोटिस तथा कर निर्धारण को वैध बनाने का उपबन्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति श्री बोस के इस निर्णय के परिणाम-स्वरूप की यह धारा १ अप्रैल १९४८ से पूर्व के वर्षों के सम्बन्ध में किये गये कर-निर्धारणों पर लागू नहीं होती इस विधेयक में सम्मिलित कर लिया गया था। जब इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया था तो एक माननीय सदस्य ने इस उपबन्ध पर तीव्र आपत्ति की थी। यह विचार प्रकट किया गया था कि जब तक उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय न दे दे तब तक सरकार को इस प्रकार के विधान का आश्रय नहीं लेना चाहिये। सदन की जानकारी के लिये मैं यह बतला दूं कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के अपीलीय पार्श्व के एक डिवीज़नल बैंच ने जिसमें कि मुख्य न्यायाधिपति तथा न्यायाधिपति सरकार सम्मिलित थे न्यायाधिपति श्री बोस के इस निर्णय को पलट दिया है, उन्होंने यह कहा है कि यह बिल्कुल छोटी और सीधी-सी बात है और १९४८ में संशोधित धारा ३४ के अधीन उस से पहले के वर्षों में दिये गये नोटिस बिल्कुल वैध हैं। अब क्यों कि न्यायालय ने विभाग के मत की पुष्टि कर दी है, अतः यह कहा जा सकता है कि इस उपबन्ध की कोई आवश्यकता नहीं रही। किन्तु हमें यह मंत्रणा दी गई है कि इस उपबन्ध को रखने में कोई हानि नहीं है क्यों कि अब यह केवल सन्देह निवारण के लिये रह गया है। विभाग के सदा जो विचार रहते हैं उन की इस से पुष्टि हो जाती है और अब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी इसे ठीक बतलाया है। इस खण्ड को रखने से उन करदाताओं की ओर से अधिक मकदमेबाज़ी नहीं की जा सकेगी जिनके

पास इस के लिये शक्ति है और जो अब भी सम्भवतः किसी अन्य उच्च न्यायालय में इस विषय में आन्दोलन करने का प्रयत्न करें ।

अपने भाषण को समाप्त करने से पूर्व मैं एक और हितकारी संशोधन का उल्लेख करना चाहता हूं जिसे कि मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं और इस की आवश्यकता एंग्लो-फ्रेंच टैक्सटाइल कम्पनी लिमिटेड के मामले में उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय में कही गई कुछ बातों के कारण हुई है । उच्चतम न्यायालय ने यह मत प्रकट किया है कि हानियों को किसी बाद के वर्ष में अग्रिम-खाते में "व्यापार" शीर्ष के अन्तर्गत डालने की अनुमति केवल तभी दी जायेगी यदि वह हानि जिस वर्ष में हुई होगी उस वर्ष के किसी अन्य शीर्ष के अन्तर्गत हुई आय के सामने दिखलाई गई होगी । यदि आय का कोई अन्य शीर्ष नहीं होगा तो हानि को आगे ले जाया जा सकता है । हमारा कभी भी यह अभिप्राय नहीं था और प्रस्तावित संशोधन स्थिति को स्पष्ट करने के लिये ही प्रस्तुत किया जा रहा है कि यदि किसी करदाता को कोई और आय का शीर्ष न भी हो तो भी "व्यापार" शीर्ष के अन्तर्गत हुई हानि धारा २४ (२) के अन्तर्गत अग्रिम-खाते में डाल दी जायेगी ।

प्रवर समिति ने जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं मैं लगभग उन सब की चर्चा कर चुका हूं और इन शब्दों के साथ, मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारतीय आय-कर अधिनियम, १९२२ में आगे और संशोधन करने के विधेयक पर, जैसा कि इसे प्रवर समिति ने प्रतिवेदित किया है, उस रूप में विचार किया जाय ।"

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : यह विधेयक अधिकांशतया आय-कर जांच आयोग की सिफारिशों पर आधारित है । सदन को स्मरण होगा कि यह आयोग विधान मण्डल द्वारा आय पर करारोपण (जांच आयोग) अधिनियम, १९४७ के परिनियम के पारित किये जाने के फल-स्वरूप नियुक्त किया गया था और इस के निर्देश्य पद ये थे कि इसे कर-निर्धारण की प्रक्रिया तथा कर के एकत्रित करने के सम्बन्ध में ऐसी उपयुक्त सिफारिशें करनी चाहियें जिस से कि लोग इस से बच न सकें । इस प्रकार के विधान का व्यापारी वर्ग तथा सामान्य करदाताओं पर बहुत प्रभाव पड़ेगा अतः संसद् को इस विषय में अपनी विशाल शक्तियों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिये ।

यह इस सभा का उत्तरदायित्व है कि कर से बच निकलने वालों को बच निकलने न दिया जाए और अन्याय भी न हो । अनियंत्रित और विस्तृत अधिकारों के होते हुए भी कार्यपालिका बड़े बड़े कर से बच निकलने वालों को नहीं पकड़ सकी । कर देने वाले साधारण व्यक्तियों के लिये प्रशासन भय और कष्ट का कारण बना हुआ है । हम इस बच निकलने वाली स्थिति और पटुता, सजगता और न्याय में सामंजस्य चाहते हैं ।

इस सभा के सदस्यों को जस्टिस भंडारी और आयोग के सदस्यों का इस परिश्रम पूर्ण प्रतिवेदन के लिये आभारी होना चाहिए । इस पूछ ताछ आयोग में

[श्री एन० सी० चटर्जी]

भारत के मुख्य न्यायाधिपति और बम्बई के उच्च न्यायालय के योग्य न्यायाधिपति ने पक्षपात रहित होकर समस्याओं का अत्यन्त विशद निरीक्षण किया है और इस प्रकार राज्य की महत्वपूर्ण सेवा की है ।

एक खेदपूर्ण बात यह है कि प्रशासन को कठोर बनाने के लिए सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया जब कि विधि की कठोरता को कम करने वाली सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया जिस से कर-दाता को न्याय मिल सकता था । इस प्रकार व्यवसाय समुदाय को यह निराशा होगी यदि यह सभा इस विधान को पारित कर दे जिस में न्याय का वातावरण उत्पन्न करने का तथा प्रशासन में पक्षपात विहीनता और विश्वास उत्पन्न करने की अवहेलना की गई है । श्रीमान, आयोग इस बात पर एक मत था कि अपीलीय सहायक आयुक्त को विभाग की अपेक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रत्यक्ष अधीन होना चाहिये । उस के प्रतिवेदन के पृष्ठ ३१७ पर स्पष्ट लिखा है कि :

"इस संदेह का आधार है कि अपीलीय सहायक आयुक्त विभाग के कार्यपालक अधिकारियों को प्रसन्न करने के इच्छुक रहें और अपीलों में उनके निर्णय कुछ सीमा तक इस विचार से प्रभावित हों"

परन्तु प्रवर समिति के पास से आये विधेयक में वही पुराना असंतोषजनक स्वरूप विद्यमान है । मैं आशा करता हूं कि सभा इसे निकाल देगी । आयोग ने प्रश्न सूची के प्रश्न सं० ५७ में यह स्पष्ट पूछा था कि क्या अपीलीय सहायक आयुक्तों को केन्द्रीय भू-राजस्व बोर्ड के नियंत्रण से निकाल देना चाहिये अथवा क्या उन्हें न्यायाधिकरण अथवा विधि मंत्रालय के अधीन रखा जाए । प्रतिवेदन में बताया गया है कि इस का उत्तर एक मत से यही था कि केन्द्रीय भू-राजस्व बोर्ड के नियंत्रण से उन्हें निकाल लेना चाहिए । इसी बात की सिफारिश भारत के भूत-पूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री राजाध्यक्ष और विभाग के एक सदस्य ने की । परन्तु, खेद है कि इस सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा ।

वर्तमान आयुक्त के एक सदस्य ने अनादर पूर्वक यह कहा है कि पूर्व आयुक्त को विभाग के कार्य का कुछ ज्ञान नहीं था और कि उन्होंने सैद्धान्तिक ढंग से समस्या का हल किया है । भारत के मुख्य न्यायाधिपति जो स्वयम आय कर के मामलों का निर्णय करते रहे हैं और विभाग के एक आयोग के प्रति जो पूर्व आयोग के सदस्य का इस प्रकार कहना अत्यन्त आश्चर्यजनक है । एक सदस्य ने यह कहा है कि यदि इस सिफारिश को कार्यान्वित कर दिया जाए तो यह उपयुक्त होगा और अपीलीय सहायक आयुक्तों को सम्पूर्ण तथा स्वतंत्र न्यायाधिपति बना दिया जाएगा । इस पर विभाग को विशेष प्रतिनिधि भेजना होगा तथा इस प्रकार अधिक व्यय तथा प्रशासनीय कठिनाइयां होंगी । निस्संदेह वित्त मंत्री इन कठिनाइयों और व्यय को न्याय के हित में दूर कर सकते हैं । परन्तु दीवानी न्यायालय के प्रति देश भर में अधिक विश्वास क्यों है जब कि फौजदारी न्यायालय जो उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है इस आदर सम्मान का भागी नहीं है । कार्यपाल-

अधिकारी निश्चय ही प्रत्येक मामले में हस्ताक्षर नहीं करते परन्तु वरदाचारी तथा उनके साथियों ने प्रतिवेदन में कहा है कि सब से आवश्यक यह है कि न केवल न्याय किया जाए वरन न्याय किया गया दिखाई भी देना चाहिए। मैं आदर पूर्वक कहना चाहता हूं कि यह ठीक दृष्टिकोण है और सभा को इसे स्वीकार करना चाहिये तथा कार्यान्वित करना चाहिये। संविधान में हम ने निदेशिक तत्वों को दृढ़ संकल्प होकर अधिनियमित किया था जिस में कहा गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना एक निदेशिक तत्व है। इंडियन नैशनल कांग्रेस ने भी इस का सदा आग्रह किया है और प्रत्येक राजनैतिक दल इस का समर्थक है। न्याय प्रशासन की त्रुटियां केवल इस लिए होती रही हैं क्योंकि न्यायपालिका गृह । के अधीन है। श्रीमान आप को श्री कैम्पबैल का महान निर्णय याद होगा जिस में उन्होंने लार्ड काटनहम के निर्णय को रद कर दिया था क्योंकि जिस कम्पनी का केस था उस में लार्ड काटनहम के भी भाग थे। लार्ड कैम्पबैल ने स्पष्ट कहा था कि कोई व्यक्ति भी अपने लिए ही निर्णायक नहीं हो सकता। केवल इतना ही नहीं कि उस कारण का वह स्वयम सहभागी हो वरन यह सिद्धान्त उस पर भी लागू होता है जो कारण विशेष में हित रखता हो।

"वह डिग्री विधि सम्मत नहीं थी अतः खारिज कर देनी चाहिये। यह समस्त न्यायाधिकरणों के लिये एक शिक्षा का कार्य करेगी। उन के लिय यह पर्याप्त नहीं है कि वे व्यक्तिगत हितों से प्रभावित न हों किन्तु यह भी आवश्यक है कि वे उस प्रभाव की सम्भव्यता से भी अछूते रहें।"

इसी प्रकार का निर्णय लार्ड हेवार्ट ने हाल ही में दिया है। उन्होंने एक प्रार्थना पत्र को रद्द कर दिया था। जब कि जज महोदय परस्पर किसी मंत्रणा में लीन थे रजिस्ट्रार वहां जा पहुंचा। वह केवल वहां गया था। जजों ने एक शपथ पत्र में कहा कि उक्त रजिस्ट्रार ने उन से कोई बात चीत नहीं की थी। रजिस्ट्रार ने भी इसी आशय का एक शपथ पत्र भर दिया। किन्तु फिर भी लार्ड हेवार्ट ने कहा: "मैं इसे रद्द करता हूं। यह न्याय के मूलभूत सिद्धांतों की मान्यता नहीं है।

"न्याय न केवल क्रियान्वित किया जाना किन्तु यह प्रतीत होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है कि न्याय किया गया है। वस्तुतः क्या किया गया यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि वह किस भांति प्रतीत हुआ। ऐसी शकांस्पद स्थिति नहीं होनी चाहिये कि न्याय में किसी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप किया गया है।"

मेरे विद्वान मित्र श्री ए० के० बसु ने ठीक कहा है:

"पुनरावेदन सहायक आयुक्त को अपने विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिय उपयुक्त समझा गया है। उस व्यक्ति के लिये जो कि स्वयं एक जज है यह कार्य अस्वाभाविक उत्तरदायित्व है।"

मेरा निवेदन है कि हमने वरदाचारियार समिति की सिफारिशों को व्यवहृत किये जाने का समर्थन किया है और इस दिशा में सही मार्ग अपनाया जाना चाहिये। मेरा विचार है इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि आयकर

[श्री एन० सी० चटर्जी]

पदाधिकारी पुनरावेदन सहायक आयुक्त के समक्ष स्वयं सरलतापूर्वक मामला उपस्थित कर सकते हैं। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री जी मेरे निवेदन की स्पष्टता को समझेंगे। हमें एसा मार्ग अपनाना चाहिये जो विश्वास पैदा करने की क्षमता रखता हो। मैं स्वतन्त्रता के बाद की स्थिति का वर्णन कर रहा हूं। कर निर्धारण के मामलों में काफी विलम्ब किया गया है। वे कई वर्षों तक पड़े रहे जब कि थोड़े समय में ही वे निबटाये जा सकते थे। समस्त वाणिज्य परिषदों ने इस स्थिति की तीव्र आलोचना की है। इस से व्यापारियों को हानि उठानी पड़ती है। इस से कार्यकर्म अव्यवस्थित हो जाता है। जितना शीघ्र संभव हो इन परेशानियों का अंत होना चाहिये। यदि पुनरावेदन सहायक आयुक्त को यह अधिकार दे दिया गया तो अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। मुझे मालूम है कि विभाग ने कुछ आंकड़े दिये हैं। १९५०-५१ में ६०,७६४ अपीलें निबटाई गई। इन में से ३०,००० के निर्णय में आयकर पदाधिकारियों द्वारा प्रदत्त निर्णय में मूल अथवा आंशिक परिवर्तन किये गये और लगभग ६० लाख की छूट दी गई। किन्तु यदि इन मामलों की संख्या पर दृष्टिपात किया जाय तो मालूम होगा कि बहुत कम रियायत की गई है।

इस के पश्चात में माननीय वित्त मंत्री जी से पारमार्थिक संस्थाओं के विषय में निवेदन करूगा। उस की उपधारा में परिवर्तन कर दिया गया है। इस संशोधन का अभिप्राय गाडोदिया के मामले को प्रत्यादेश करना है। उक्त मामले में लाहौर के दो माननीय न्यायाधीशों ने न्यास द्वारा सञ्चालित व्यापार से न्यासधारियों को होने वाली आमदनी को करमुक्त घोषित कर दिया था। गाडोदिया के मामले में न्यास के संस्थापक ने एक न्यासधारी को व्यापार हेतु एक लाख रु० दिया था। दस्तावेज के अनुसार न्यास की आय पारमार्थिक कार्यों पर व्यय की जाती है प्रश्न यह है कि इस व्यापार से होने वाली आमदनी कर मे मुक्त है अथवा नहीं। लाहौर उच्चन्यालय के न्यायाधीश द्वय श्री दीनमुहम्मद और श्री साले के मतानुसार यह कर मुक्त है। उन्होंने कहा कि धारा ४ (३) की रचना इस प्रकार है कि इस आमदनी का उपयोग पारमार्थिक कार्यो के लिये निर्दिष्ट है और उन्होंने विभाग के विपक्ष में निर्णय दिया। प्रवर समिति ने एक बन्धान ४ (३) (१) (अ) के द्वारा इस मामले को प्रत्यादेशित किया है। इस देश में सैकड़ों ऐसी संस्थाएं हैं जहां न्यास नहीं है किन्तु व्यापार द्वारा लाभ उपार्जित किया जाता है और वह व्यापार किसी पारमार्थिक संस्था की ओर से सञ्चालित हो रहा है। मेरा विचार है कि डी० ए० वी० कालेज अपनी धार्मिक और पारमार्थिक संस्थाओं की ओर से व्यापार व्यवस्था कर रहा है। इस परिवर्तन से उन्हें हानि होगी। यह बन्धान उचित नहीं है। श्रीमान्, एक अथवा दो विषय और हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया कि कर की अग्रिम अदायगी पर हमें दो प्रतिशत सूद के रूप में कुछ रियायत मिल जाती है। मेरा विचार है वरदाचारी समिति ने कहा था कि दो प्रतिशत बहुत कम है और इसे बढ़ाकर ४ प्रतिशत कर देना चाहिये। किन्तु विधेयक

के प्रस्तुत स्वरूप में यह भी समाप्त हो गया है।

कुछ अन्य विषयों पर हम बाद में विचार करेंगे।

श्री अल्तेकर (उत्तर सतारा) : आयकर विधेयक में दी गई रियायतों के लिए मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। परन्तु कुछ और बातों पर भी विचार किया जाना चाहिये।

मैंने उस दिन आय से ज्वाइन्ट स्टाक बैंकों को कृषि सम्बन्धी कार्यवाहियों को वित्तपोषित करने के लिए आसान शर्तों पर रिज़र्व बैंक से निधियां देने के हेतु सोच विचार करने की प्रार्थना की थी। जहां तक इन अनअनुसूचित बैंकों का सम्बन्ध है मेरा सुझाव यह है कि उन को देय आयकर के सम्बन्ध में कुछ रियायत दी जानी चाहिए। उन को तब तक इस कर से विमुक्त रखना चाहिए जब तक कि वे इन कम्पनियों की भुगताई गई पूंजी के स्तर पर नहीं पहुंच जाते।

दूसरी बात यह है कि जहां तक अधिक-कर का सम्बन्ध है, इन ज्वाइन्ट स्टाक अनअनुसूचित बैंकों को २५,००० रुपये से नीचे अधिक-कर से विमुक्त कर देना चाहिए। वित्त मंत्री को इन दोनों सुझावों पर उदारतापूर्वक बिचार करना चाहिए।

कृषि विकास के प्रयोजनों के लिए कृषकों को पर्याप्त पेशगी देने के लिए सहकारी कम्पनियां तथा अन्य साधन पर्याप्त नहीं हैं। यह कार्य इन ज्वाइन्ट स्टाक बैंकों, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रहे हैं, के द्वारा भली प्रकार हो सकता है। पर यह तभी संभव है जबकि इन बैंकों को जो धारा ३५, ३६ और २१ (१) के अधीन रिजर्व बैंक के प्रत्यक्ष नियंत्रण में हैं कुछ रियायतें दी जायें।

दूसरी बात अन्योन्य बीमा कम्पनियों के विषय में है। बीमा कम्पनियों के अधिनियम के अनुसार अन्योन्य कम्पनियां तथा सहकारी बीमा कम्पनियां समान स्तर पर रखी गई हैं। दोनों ही में लाभ उठाने का कोई उद्देश्य नहीं होता। सारे बीमा-पत्रधारी लाभ में हिस्सा बंटाते हैं। वास्तव में इन दोनों प्रकार की कम्पनियों में कोई भी अन्तर नहीं है अतः मैं कहना चाहता हूं कि अन्योन्य बीमा कम्पनियों को भी सहकारी कम्पनियों के समान ही रियायतें मिलनी चाहिये। वर्तमान व्यवस्था में पूंजी वाली कम्पनियों को अन्योन्य कम्पनियों से अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। साधारणतया अन्योन्य बीमा कम्पनी के अधिकांश बीमा-पत्रधारी आयकर नहीं देते हैं क्योंकि वे एसी आय अर्जित नहीं करते हैं जो कर योग्य हो। अतः ऐसी कम्पनियों को तो और अधिक रियायतें मिलनी चाहिएं। यदि ऐसा किया गया तो उनके साथ बहुत न्याय होगा और इस के अतिरिक्त ऐसी कम्पनियों की स्थापना के लिए लोगों को प्रेरणा मिलेगी। इस कार्य में कोई अधिक आर्थिक हानि भी नहीं होगी। अतः इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार होना चाहिए।

वर्तमान संशोधन विधेयक का खंड १२ कर्मचारियों के लिए बहुत कठोर है। नियोजक द्वारा शुरू में ही कर्मचारियों के वेतन में से काट लिए गए आयकर के न दिए जाने पर कर्मचारियों को दुबारा वही कर देना पड़ेगा। कर्मचारियों पर कर का यह दोहरा भार न्यायोचित नहीं है। ऐसी दशा में वह आयकर नियोजक से ही लिया जाना चाहिए।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) : आयकर के सम्बन्ध में पहले यह प्रथा थी कि लेखाओं को पर्यवेक्षित करने के लिए एक परीक्षक होता था। उसके पर्यवेक्षणके उपरान्त आय-कर पदाधिकारी भी उनको पर्यवेक्षित करता था। पर अब वह परीक्षक हटा दिए गए हैं और लेखाओं के पर्यवेक्षण का सारा काम आयकर पदाधिकारी ही करते हैं। पर खेद के साथ कहना पड़ता है कि इन पदाधिकारियों को अपने काम में कम रुचि होने के कारण यह कार्य सुचारु रूप से नहीं होता। फलस्वरूप हम बहुत सा राजस्व खो देते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि पुरानी प्रथा फिर से अपनाई जानी चाहिए। विधान के अधीन निरक्षकों की नियुक्ति बहुत अच्छी है, पर उनके वैधानिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं है। इसका उल्लेख अत्यन्त आवश्यक है। चोरबाज़ारी करने वाले लोगों तथा अन्य ऐसे लोगों से, जो आयकर बचा लेते हैं, उचित आय कर प्राप्त करने के हेतु इन आयकर निरीक्षकों को तलाशी लेने और लेखाओं को कुर्क करने का अधिकार दिया जाना आवश्यक है।

बहुत से आयकर पदाधिकारी अत्यन्त भ्रष्ट हैं और खूब घूस लेते हैं। इस चीज़ का पता लगाने के लिए उन के नाम में तथा उनके संबंधियों के नाम में सम्पदा के सम्बन्ध में जांच की जानी चाहिए।

जहां तक अपीलीय शक्ति का संबंध है, मैं श्री चटर्जी के विचारों से पूर्ण सहमत हूं। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण उचित न्याय के लिए परम आवश्यक है। अतः यह आवश्यक है कि सहायक आयुक्त न्यायाधीशों ही को बनाया जाय। दूसरी बात यह है कि इन अपीलीय आयुक्तों को आयुक्तों के अधीनस्थ नहीं होना चाहिए। इन को सीधे न्याधिकरण के ही अधीन होना चाहिए।

इसके बाद मैं धारा ५ क में निम्नलिखित संशोधन का सुझाव रखता हूं। धारा ५ क की उपधारा (७) के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जाने चाहिएं :

"(७क) केन्द्रीय सरकार जितने भी आय कर के अपीलीय न्यायाधीश उचित समझे नियुक्त कर सकती है;

(७ख) आय-कर के अपीलीय न्यायाधीश अपीलीय न्यायाधिकरण के नियंत्रण के अधीन होंगे और वे अपने कार्य ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्गों या ऐसो आय अथवा आयों के वर्गों अथवा ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में करेंगे जिस का न्यायाधिकरण का सभापति निदेश दे और वहां ऐसे निदेश दो या अधिक अपीलीय न्यायाधीशों को उन्हीं व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों अथवा उन्हीं आय या आयों के वर्गों या वही क्षेत्र विनियोजित करते हैं, ऐसे किन्ही आदेशों के अनुसार जो कि न्यायाधिकरण का सभापति किए जाने वाले काम के वितरण तथा बटवारा के लिए दे।"

यदि यह संशोधन स्वीकृत होता है तो न्याय होगा।

इसके अतिरिक्त अपीलीय अधिकारी नियुक्त किए जाने वाले सहायक आयुक्त विभिन्न ज़िलों से लिए जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है वे अपनी नियुक्ति के स्थान की भाषा ही नहीं समझते और अतः न तो लेखाओं को पढ़ ही सकते हैं और न उन की जांच कर सकते हैं। अतः अपीलीय न्यायाधीश ऐसा कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जो लेखाओं को पढ़ सके।

ऐसा व्यक्ति अपनी नियुक्ति के स्थान से ही लिया जाना चाहिए ।

धारा ११ (१) (ख) में एक संशोधन होना चाहिए और कर दाता को यह अधिकार होना चाहिए कि यदि वह चाहे तो बारह महीने से अधिक की अपनी लेखा पुस्तकों की परीक्षा करवा सकें ।

यह बात स्पष्ट कर दी जानी चाहिए कि पुरानी मशीनों की खरीद के संबंध में कितना आवक्षयण दिया जाना चाहिए । अतः "नई मशीनों" शब्द के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण आवश्यक है ।

अपीलीय अधिकारी को अवधि अधिनियम तथा प्रविधिक भूलों के आधार पर अपीलों को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में उचित स्वविवेक से काम लेना चाहिए, ठीक उसी प्रकार जैसा कि व्यवहारिक मामलों में होता है ।

आय-कर विभाग को प्राप्त धोखा देने वाली सूचनाओं के सम्बन्ध में उस सूचना का सारा भार सूचना देने वाले व्यक्ति पर नहीं डालना चाहिए । उसके सद्भावों को देखना चाहिए और एक अच्छी छान बीन होनी चाहिए और तब उस के आधार पर अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए । यदि उचित जांच की जाय तो कर टालने के बहुत से मामले सामने आ सकते हैं ।

मेरे यहाँ कुछ सुझाव हैं जिनपर मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ध्यान दें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल पर बहस करते हुए मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि दरअस्ल गवर्नमेंट का और इस हाउस का मंशा यह है कि टैक्स लोग दुरुस्त तौर पर दें और साथ ही नावाजिब तौर पर डिपार्टमेंट लोगों पर सख्ती न कर सके । इन दोनों चीज़ों में गवर्नमेंट और हाउस का एक ही मंशा है । लेकिन बहुत से केसेज़ (मामलों) में देखा जाता है कि लोग जान-बूझ कर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते, टैक्स इवेज़न (करअपवंचन) करते हैं, वह उस को कोई जुर्म नहीं समझते, कोई पाप नहीं समझते और कोई बुरी चीज़ नहीं समझते । पुराने ज़माने में बहुत सारी रूलिंग्स (विनिश्चय) हाईकोर्टस् ने दीं कि अगर लीगल इवेज़न हो सकता हो तो यह जाइज़ चीज़ है और उस को करने में कोई नुकसान नहीं है और यह उसूल यहां तक बढ़ा कि अगर कोई सरकार को धोखा दे और उस को टैक्स अदा न करे, तो उस सख्स को न तो बिज़नेस कम्यूनिटी में बुरा समझते हैं और न ही पबलिक माइंड में उसको बुरा समझा जाता हैं, यह हालत निहायत खराब है कि पबलिक माइंड और पबलिक ओपीनियम (जनमत) और कानून का ऐसा ख्याल बन गया है लेकिन इसके वास्ते महज़ पबलिक ही ज़िम्मेदार नहीं गवर्नमेंट भी ज़िम्मेदार है । गवर्नमेंट ने अभी ऐसे कानून बना रक्खे हैं जिन से लोगों को इनकमटैक्स डिपार्टमेंट पर कोई कानफिडेंस (विश्वास) पैदा नहीं होता, इस वास्ते सब से पहले ज़रूरी चीज़ यह है कि अगर गवर्नमेंट यह चाहती है कि लोग अपना टैक्स अदा करें, राज़ीखुशी अदा करें और भरोसा रखकर अदा करें, तो वह ऐसे कानून बनाये और सर्कुलर्स (परिपत्र) जारी करे जो इंसाफ़ पर मबनी हों और जिन से लोगों में उस डिपार्टमेंट के प्रति विश्वास पैदा हो सके कि वहां हमारे साथ पूर्ण न्याय किया जायगा और एक पैसा भी जो वाजिब नहीं है, नहीं लिया जायगा । मैं कई केसेज़

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

ऐसे जानता हूं जिन के अन्दर सरकार के एक अफ़सर ने टैक्स लगाया । टैक्स लगने के बाद जो एसेसी था उसने कहा कि मैं इस के खिलाफ़ अपील करूंगा और उसने प्रार्थना की कि जब तक अपील का फैसला न हो जाय इस टैक्स की अदायगी के हुक्म को ठहरा दिया जाय, लेकिन हुक्म का ठहराना बहुत मुश्किल है और जबतक टैक्स का रुपया दाखिल न हो जाय । बड़े इनकमटैस के जो आफिसर हैं वह ठहराते नहीं हैं और रुपया तो एसेसी को दाखिल करना ही पड़ता है और अगर वह रुपया वक्त पर दाखिल न करे, तो पेनालिटी लगती है और पेनालिटी की कोई अपील नहीं है । मैं एक केस की बाबत जानता हूं जिस में एक शख्स के ऊपर इनकमटैक्स आयद किया गया, और चूंकि वह रुपया दाखिल नहीं कर सकता था, उसने दरख्वास्त दी कि उसका रियलाईजेशन स्टे किया जाय, लेकिन नतीजा यह हुआ कि उस पर इनकमटैक्स आफ़िस ने कई हजार रुपये की पेनालिटी लगा दी, बाद में उस पर से इनकमटेक्स जो लगाया गया था वह तो अपील में माफ हो गया, लेकिन जो पेनालिटी उस पर लगाई गई थी, वह तो वसूल कर ही ली गई और पेनालिटी उसको वापिस नहीं हो सकी । मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि जब बड़ी अदालत ने यह करार दिया कि उस पर इनकमटैक्स लगना ही नहीं चाहिये, तो उस पेनालिटी को उस पर लगाने के क्या मानीं, और जब तक इस किस्म के कानून इनकमटैक्स डिपार्टमेंट जारी रखता है, तब तक उन्हें यह उम्मीद भी नहीं करनी चाहिये कि लोग इनकमटैक्स डिपार्टमेंट पर कभी भरोसा करेंगे । इस वास्ते मैं फाइनैन्स मिनिस्टर की खिदमत में मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि कम अज़ कम इस चीज़ को नामुमकिन बना दें कि जब उनका अपना अफसर या कोई ट्रिब्यूनल यह करार दे दे कि एक शख्स टैक्स देने का जिम्मेदार नहीं है, तो जो पेनालिटी ठीक वक्त पर रुपया न दाखिल करने के एवज़ उनसे वसूल की गई, वह पेनालिटी तो उस से उस हालत में वसूल न की जानी चाहिये । आज यह हालत है कि एक शख्स के बारे में यह करार दिया जाता है कि वह इनकमटैक्स देने का जिम्मेदार नहीं है, लेकिन ताहम पेनालिटी उस से वसूल की जाती है, जब ऐसी हालत हो तो लोग अगर डिपार्टमेंट को धोखा देना चाहें, तो इस में उन बेचारों का क्या कसूर है ?

दूसरी बात मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब तक डिपार्टमेंट अपने रवैये से यह जाहिर नहीं करता कि वह किसी से एक कौडी भी ज्यादा नहीं लेना चाहता सिवाय उस के कि जो कानूनन जायज़ है और डिपार्टमेंट यह चाहता है कि किसी के साथ बेइंसाफी न हो, जब तक डिपार्टमेंट इस उसूल पर नहीं चलता, मुझे अफ़सोस के साथ कबूल करना पड़ता है कि मैं किसी ऐसे एसेसी को जो कानून की ज़द से बच कर रहना चाहता है, मैं उस को बुरा नहीं कह सकता । मुझे अफसोस है कि मेरे मुशाहिदे में यह बात आयी है कि इस देश में इनकमटैक्स डिपार्टमेंट में फोर्ज़री बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है । जो लोग एसेसमेंट कराने के वास्ते जाते हैं वह दो-दो बहियों का हिसाब रखते हैं और तरह २ की कार्यवाहियां करते हैं और इस ज़िम्न में हम वकील लोग भी किसी हद तक जिम्मेदार हैं । आज जो इतनी

पर्जरी और फोर्जरी बढ़ रही है, उस के लिये एसेसी ज्यादा कर के जिम्मेदार हैं, लेकिन डिपार्टमेंट भी एक तरह से इस में इनडाइरेक्ट कंट्रीब्यूशन देता है, क्योंकि न तो डिपार्टमेंट ऐसे आदमियों को पकड़ कर उन पर मुकदमा चलाता है और न ही अपने कानून को ठीक करता है। मेरा यह दावा है कि अगर इनकम-टैक्स डिपार्टमेंट ठीक तरीके से काम करता और जो अख्तियारात उसको इन-कमटैक्स ऐक्ट के मातहत मिले हुए हैं, उनका ठीक तौर से इस्तेमाल करता तो यह खराबी इस हद तक न पहुंचती जिस हद तक आज पहुंची हुई है। इस सिल-सिले में क्या मैं अदब से अपने फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब से पूछ सकता हूं कि उनके इनकमटैक्स विभाग ने कितने मुकदमात जेर दफा ४७६ गलत स्टेटमेंट और गलत रिटर्नस देने के बारे में आज तक फ़्रेम किये और कितने केसेज़ में डिपार्टमेंट ने परवाह की और कितनों को प्रासीक्यूट किया गया? इस बारे में अगर आप मुलाहिज़ा करेंगे तो देखेंगे कि दरअस्ल इनकमटैक्स डिपार्टमेंट वाले खुद इस पालिसी के हामी हैं और वह नहीं चाहते कि किसी के ऊपर फौज़दारी का मुकदमा बनाया जाय या वह झगड़े रगड़े में पड़ें। वह तो चाहते हैं कि किसी इनकमटैक्स रूल्स की रू से या किसी तरह से भी जितना रुपया बटोरा जा सके, वह बटोरा जाय, मेरी राय में इनकमटैक्स डिपार्टमेंट का यह हरगिज़ काम नहीं है। उस विभाग का तो काम है कि लोगों को अपने प्रति भरोसा दिलाया जाय ताकि एसेसी जो इनकमटैक्स आफिसर के सामने जाता है उसको इस भरोसे के साथ जाना चाहिये कि वहां पर हमारा दोस्त, और कानूनी गार्जियन इनकमटैक्स आफिसर बैठा है और वह मेरे जिम्मे एक पैसा भी ज़ायद नहीं लगायेगा जिस की कानून उसे इजाज़त नहीं देता...

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी): एसेसी को तो उस के पास जाते ऐसा लगता है मानो वह शेर के पास जा रहा हो।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: उसके दिल में ऐसा ख्याल नहीं आना चाहिये कि मुझ को इनकमटैक्स आफिसर खा जायेगा और फाड़ खायेगा, बल्कि उसको उसके पास यह भरोसा और विश्वास ले कर जाना चाहिये कि मुझ पर ठीक और वाजिब टैक्स लगाया जायगा, अगर ऐसे हालात पैदा हो जायं तो मैं जानता हूं कि बहुत सारे आदमी इस वियू (मत) के होंगे कि टैक्स ठीक दिया जाय, लेकिन हम क्या पाते हैं, इधर एसेसी को इनकम-टैक्स विभाग पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और उधर इनकमटैक्स आफिसर्स अपने रवैये से यह ज़ाहिर नहीं करते कि वह एसेसी का दोस्त है और गार्जियन है और वह हर चीज़ जस्ट और कानूनन करता है और पबलिक सपोर्ट और एक पेट्रियाटिज्म की भावना को लेकर काम करता है कि जिस से वह लोगों के दिलों में भरोसा और विश्वास पैदा करने में समर्थ हो सके।

अभी जनाबवाला के रूबरू बड़े शोर से बहस की गई है कि एपेलेट असिस्टेंट कमि-श्नर को सी० बी० आर० के मातहत न रक्खा जाय और जुडीशियेरी का एक्ज़ीक्यूटिव से सेप्रेशन किया जाय, हमने अपने कांस्टी-ट्यूशन में इस को ऐसा उसूल समझा था कि जो सही उसूल है और भारतीय संविधान के अन्तर्गत हमने पास किया है

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

कि एक्ज़ीक्यूटिव और जुडिशियेरी का सेप्रेशन होगा । आज ऐसा करना मुश्किल चीज़ भी नहीं है और इस के पक्ष में इनवेस्टिगेशन कमीशन की भी राय है और मैं इस हाउस के अन्दर इससे पहले भी आप की खिदमत में अर्ज करता रहा हूं कि इस रिफार्म को जल्द अज़ जल्द कर दिया जाय, लेकिन मुझे दुःख है कि इसकी तरफ सरकार ने तवज्जह नहीं दी । मैं इस चीज को तो मानने को तैयार हूं कि अगर जुडिशियेरी और एक्ज़ीक्यूटिव का सेप्रेशन हो गया और एपेलेट असिस्टेंट कमिश्नर सी० बी० आर० के मातहत न रहा, तो किसी हद तक शायद इनकम-टैक्स की वसूली में कमी हो जाय, क्योंकि हर एपेलेट असिस्टेंट कमिश्नर कानूनन ख्वाह वह कुछ कहता रहे, इसमें शक नहीं कि वह हमेशा महसूस करता है कि उसका प्रमोशन, ट्रांसफर और फ्यूचर प्रासपेक्ट्स हर एक चीज़ सी० बी० आर० के मातहत है और आज़ादाना तौर पर काम नहीं कर सकता है । मैं जानता हूं कि फीगर्स देकर कहा जाता है इतनी अपीलें मंजूर हो गयीं, लेकिन अगर उनको स्क्रुटनाइज़ किया जाय तो मालूम पड़ेगा कि अपीलें मंजूर करने की बहुत और फीगर्स बढ़ाने की तरकीबें हैं, वह छोटी बात की अपील मंजूर कर सकता है और सब्सटन्शियल रिलीफ इनकार कर सकता है, लेकिन डर के मारे बहुत कम कर पाता है, क्योंकि उस के सिर पर कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, वह असिस्टेंट एपेलेट कमिश्नर को बुलाते हैं और हालांकि उनको इसका अधिकार तो नहीं है, लेकिन तरकीब से पूछते हैं कि तुम ने इस केस में क्या किया और इस तरह उसको इनफ्लूएन्स किया जाता है, यह मैं आप को अन्दर की वर्किंग की बात बतलाता हूं, मैं जानता हूं कि यह सच बात है कि असिस्टेंट एपेलेट कमिश्नर सी० बी० आर० के मातहत होने से उनकी आज़ादी पर असर ज़रूर पड़ता है ।

जो उसूल बयान किये गये वह उसूल तो अलग छोड़ दीजिये, मैं तो सीधी बात जानता हूं कि जिस जज पर मुझे भरोसा नहीं है, मुझे मालूम है कि फलां जज की वायर पुलिंग पीछे से हो सकती है तो उस पर मुझे भरोसा हो ही कैसे सकता है, उस से हमें तसल्ली नहीं हो सकती है । मैं निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि इस में कोई शक नहीं है कि शायद आप के रास्ते में थोड़ी बहुत ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज़ हों, लेकिन यह रिफार्म ऐसा है जो कि फौरन किया जाना चाहिये, इस में ज़रा भी देरी नहीं करनी चाहिये । अगर ऐसा किया गया तो इसका नतीजा यह निकलेगा कि असिस्टेंट कमिश्नर मातहत हो जायेगा ये ट्रिब्यूनल के या ला मिनिस्टर के या और किसी के । कम से कम वह सेण्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू के मातहत नहीं होगा ।

दूसरी चीज़ इस के अन्दर यह कही जा सकती है कि इस के अन्दर ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज़ हैं और सेलेक्ट कमेटी के रूबरू भी कुछ डिफिकल्टीज़ बयान की गयीं थीं । लेकिन मैं जानता हूं कि अगर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब चाहें तो इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज़ को बिल्कुल आसानी से दूर कर सकते हैं । एक मौके पर हमें उम्मीद भी थी कि वह हमारी इस तजवीज को पसन्द भी करेंगे और इस चीज को कराने में हमारे साथ शामिल होंगे कि इन डिफिकल्टीज

को दूर कर दिया जाय । और जहां तक मैं समझता हूं उन्होंने इसके लिये कोशिश भी की क्योंकि वह चाहते थे कि जिस चीज़ पर एतराज है वह हटा दी जाय । लेकिन वह न हटा सके । मैं निहायत अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर आज ऐसी मुश्किलात हैं जो ओवरकम नहीं हो सकती हैं तो वह अभी नहीं बरस दो बरस में इस रिफार्म को जरूर कर दें और हम समझते हैं कि सारे इनकमटैक्स डिपार्टमेंट पर इसका निहायत अच्छा असर पड़ेगा ।

जनाबवाला, एक चीज़ तो यह थी लेकिन इस से ज्यादा जरूरी चीज़ मैं आप को यह बतलाना चाहता हूं । एपेलेट असिस्टेंट कमिश्नर तो एक ऐसी चीज़ है जो कि जुडिशियल आफिसर है और अगर रिफार्म हो गया तो वह इन्डेपेन्डण्ट हो जायगा, एपेलेट ट्रिब्यूनल भी हम जानते हैं कि इन्डेपेन्डेण्ट बाडी है । लेकिन आज इनकमटैक्स आफिसर एक ऐसी चीज़ है कि जो इनवेस्टीगेटिंग आफिसर होता है वही ऐपेलेट असिस्टेंट आफिसर होता है । उन दोनों की जो पावर्स हैं और जैसे वह काम करते हैं उस पर अगर हाउस तवज्जह करे तो मालूम होगा कि दरअस्ल वह कई एक ताकतों का मुरक्कब होता है । मसलन इनकमटैक्स आफिसर खुद ही तहकीकात करता है कि फलां शख्श की क्या इनकम है और खुद ही उस पर ऐसेसमेंट करता है । दोनों काम वह करता है । वह सब इन्सपेक्टर पुलिस भी और वही जज भी है । उस के सामने सूरत यह नहीं है कि किसी इन्सपेक्टर ने मसाला इकट्ठा किया और उस ने जुडिशियल तौर पर फैसला कर दिया, लेकिन मैं इसकी शिकायत नहीं करता, हमारी अपनी हालात और मौजूदा वक्त में यह अच्छा नहीं होगा कि इनकमटैक्स आफिसर जो है वह खुद ही ऐसेसर और इनवेस्टीगेटर न हो । ऐसी सूरत में हम इसे दूर नहीं कर सकते । इस लिये मुझे इस पर्सनेलिटी पर जो कि मिक्सड पर्सनेलिटी है इतना एतराज नहीं है, लेकिन मुझ इस से कहीं ज्यादा सख्त एतराज इस पर है कि जो इनकमटैक्स आफिसर खुद टैक्स कायम करता है उस को इजाजत दी जाय कि वह अपनी कन्विक्शन्स के मुताबिक जो उसका फैसला हो उस को इम्प्लीमेंट भी कर सके और टैक्स ले सके । इस ला की सब से बड़ी खराबी यह है । कि एक शख्स जिस का नाम इन्सपेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर है वह ऐसा अजाब शख्स है जिसके रूबरू एसेसी कभी जाता नहीं, वह कभी एसेसी से बात नहीं करता और न वह उसकी बात सुनता है, अपने आप एसेसी की बैक पर हुक्म दे देता है कि उस शख्स के खिलाफ कार्यवाही की जाय । बेचारा इनकमटैक्स आफिसर क्या करे ? उसकी अपनी इन्टेलेक्ट तो मार्टगेज्ड है, उस को हुक्म देना पड़ता है। असल में वह हुक्म होता है इन्सपेक्टिंग एसिस्टेंट कमिश्नर का लेकिन इनकमटैक्स आफिसर को वह हुक्म अपने नाम से देना पड़ता है फिलवाकया इस में इनकमटैक्स आफिसर की जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि उसकी इन्टेलेक्ट तो मार्टगेज्ड है । मैं कहना चाहता हूं अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं तो पहला उसूल यह है कि ऐसेसी को मालूम हो कि उस के खिलाफ एसिस्टेण्ट इन्सपेक्टिंग कमिश्नर ने क्या लिखा है । ऐसिस्टेंट इन्सपेक्टिंग कमिश्नर ऐसेसी को बुलावे और उससे पूछे कि वह क्या जवाब देता है । जनाबवाला मुलाहिजा फर्मायेंगे कि अब भी हम ने इस कानून में लिखा है कि ऐसिसटेण्ट इन्सपेक्टिंग कमिश्नर जो

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

इन्सट्रक्शन चाहे इनकम टैक्स आफिसर को भेज सकता है और एसेसी को पता तक नहीं लगेगा कि क्या इन्स्ट्रक्शन्स दिए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो बिल की पहली तजवीज थी उस को हम ने रद्द कर दिया लेकिन ताहम उस असर से हम उसे नहीं बचा सकेंगे जो कि इन अल्फाज के अन्दर है। इन्हीं अल्फाज की वजह से मैं ने इस कमेटी की रिपोर्ट में एक डिसेन्टिंग नोट दर्ज किया है जिस के अन्दर मैं ने लिखा है कि कम से कम बिल में यह बात दर्ज होनी चाहिये कि अगर असिस्टेंट कमिश्नर ऐसे इन्स्ट्रक्शन्स देता है तो वह फाइल में शामिल हों। उन को फाइल में दर्ज किया जाय और ऐसेसी को अख्तार है कि वह अपील करे। और कुछ कह सके। या उस को सीधा बुलाया जाय और असिस्टेंट कमिश्नर ऐसेसी को बुलाकर इन्स्ट्रक्शन्स दिखाये। यह भी किसी कदर इन्साफ के मुताबिक होगा। लेकिन इस किस्म से उस की बैक पर सारी कार्यवाई की जाय यह बिलकुल ठीक नहीं है। जनाबवाला को खुद मालूम है कि कितने लोग शिकायत करते हैं, एनानीमस शिकायत के तौर पर कि ऐसेसिंग इन्सपेक्टर्स लोगों की बैक पर सब कुछ तय करते हैं और हुक्म देते हैं, यह हुक्म अपील की बुनियाद को ही सील कर देता है। यह कतई वाजिब नहीं है। वाजिब यह है आज जिस तरह चाहे टैक्स लें, लेकिन एसेसी को मौका दें कि वह अपनी अर्ज पेश कर सके और बतला सके कि यह चीज जो मेरे खिलाफ करते हैं वह दुरुस्त है या गलत है। जब तक यह नहीं किया जाता कि इंसपेक्टिंग ऐसिस्टेंट कमिश्नर के सामन एसेसी अपनी बात रख सके या इनकमटैक्स आफिसर से अपील कर सके और जब तक ऐसेसिंग इंसपेक्टिंग कमिश्नर सीक्रेट इंस्ट्रक्शन भेजता है तब तक कैसे इन्साफ लोगों को मिल सकता है? मैं तो कहता हूं कि यह जो एक्जीक्यूटिव व जुडिशियल की जुदायगी का मामला है उस से कहीं ज्यादा डेन्जरस चीज है जो मैं पेश करने जा रहा हूं। मैं निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि कम से कम इस चीज को हाउस को हर्गिज नहीं मानना चाहिये। कानून का पहला उसूल है कि जब किसी शख्स के खिलाफ हुक्म जारी करें तो उस शख्स को मालूम होना चाहिये कि मेरे खिलाफ क्या एविडेंस है। क्या चीज है, क्या इन्स्ट्रक्शन्स दिये गये हैं ताकि वह चाहे तो उसके खिलाफ अपील कर सके।

इस के अलावा जनाब मुलाहिजा फरमायेंगे कि यहां पर सब से बड़ी शिकायत जो इनकमटैक्स डिपार्टमेंट की होती है और जिस से पब्लिक को बहुत परेशानी है वह इनकमटैक्स डिपार्टमेंट की देरी है। इस डिपार्टमेंट के अन्दर कई वर्ष तक फैसले नहीं होते। आज एक आदमी न पचास हजार रुपया कमाया, पांच छः वर्ष तक उस पर टैक्स नहीं लगा, यहां तक कि वह सब रुपया खर्च हो गया। इनकमटैक्स डिपार्टमेंट भी सही है कि वह पैसा मांगता है, यह उस का फर्ज है लेकिन जिस शख्स ने पैसा खर्च कर दिया वह कहां से लाये। इस लिये जरूरत है कि इस काम में कम से कम डिले हो। फौरन से फौरन असेसमेंट होना चाहिये। अगर ऐसा नहीं होता और टैक्स वसूल नहीं होता तो इसमें जिम्मेदारी ऐसेसी की नहीं बल्कि इनकमटैक्स डिपार्टमेंट की है। इनकमटैक्स डिपार्टमेंट अगर फौरन एसेसमेंट नहीं करता तो उस का

अपना कुसूर है। अगर रुपया वसूल नहीं होता तो उसका कसूर है। अगर लोग बेइमानी करते हैं और कोशिश करते हैं कि वह रुपया न दें तो भी यह इस डिपार्टमेंट का कुसूर है। मैं तो कहूंगा कि यह जो इनकमटैक्स डिपार्टमेन्ट की डिले है यह सब से ज्यादा जिम्मेदार इस चीज़ की है जो हम ने इस देश में देखा। हम ने देखा कि इन्वेस्टिगेशन कमीशन बना। और आप को यह भी मालूम है कि लोगों ने इस से क्या उम्मीदें रक्खी थीं, और मैं उस को ज्यादा पावर्स दिये जाने के कितने खिलाफ था। हम देख रहे हैं कि जो पावर्स हम ने इन्वेस्टिगेशन कमीशन को दीं वह अहिस्ता अहिस्ता इनकमटैक्स आफिसर के पास जा रही हैं। मुझ को तो यह डर पहले भी था और उस का मैंने इजहार भी किया था। हमारे जुडिशल सिस्टम को जो पावर्स हैं अगर उन से ज्यादा हम इनवेस्टिगेशन कमीशन को देंगे तो हम उन को खराब करेंगे। हम रोजमर्रा देखते हैं कि जो अख्त्यार उन को दिये गये वह तमाम इनकम टैक्स डिपार्टमेन्ट के पास चले जा रहे हैं। लोग टैक्स देना चाहते हैं लेकिन हर आदमी अपनी सीक्रेट्स रखता है, हर एक आदमी चाहता है कि टैक्स लिया जाय लेकिन उसको तबाह तो न किया जाय उसकी दौलत का पूरा नकशा लेकर उसकी पोल न खोली जावे। जैसा मैंने अर्ज किया है यह अच्छा मेज़र है, जब तक हमें टैक्स लेना है यह जरूरी चीज है और हम ने इस को जान बूझ कर रक्खा है, लेकिन मैं जानता हूं कि कमिश्नर साहब को जो सैक्शन्स रक्खे गये हैं, उन को जो डिस्क्रिशन दिये गये हैं उन को एंज ए मैटर आफ रुटीन एक्सर्साइज किया जाता है जिस के लिये यह लेजिस्लेचर चाहता है कि जिम्मेदारी से काम किया जाय।

मैं जनाबवाला की तवज्जह एक और उसूल की तरफ दिलाऊंगा। अभी मेरे दोस्त एन० सी० चटर्जी साहब ने फरमाया था कि इन्वेस्टिगेशन कमिशन ने इन्कमटैक्स के ऐडवांस पेमेन्ट के लिये चार पर सेन्ट इन्टरेस्ट की सिफारिश की थी, लेकिन इस बिल में जो दो पर सेन्ट मिला करता था वह भी खत्म कर दिया गया है। मैंने बिल पर बहस के दौरान में फाइनेन्स मिनिस्टर साहब की खिदमत में अर्ज किया था कि आइन्दा के वास्ते हम जो उसूल अब तक मानते रहे हैं उस को उसी तरह पर बदल दिया जाय जिस तरह यू० के० में टैक्स लिया जाता है। यानी आप जो टैक्स पिछले साल की आमदनी की बेसिस के ऊपर लेते हैं, उसी को बेसिस बना कर हम आइन्दा साल के लिये टैक्स लेते हैं लेकिन हालांकि सेलेरीज़ के बारे में जो इन्कमटैक्स वाजिब है वह साथ साथ काटते हैं। मैं चाहता हूं कि दफा १८ सी को खत्म कर दिया जाय। ऐडवान्स पेमेन्ट ही खत्म हो जाय और जो मौजूदा आमदनी है उस के बेसिस पर टैक्स लगाया जाय। ताकि यह सारा का सारा झगड़ा जो चल रहा है वह खत्म हो जाय। यह उसूल का सवाल है। अगर इसको माना जायगा, जैसा कि सैलरी के वास्ते इसको माना गया है, तो मैं नहीं समझता क्यों आप इस पर यहां अमल नहीं कर सकते जब कि यूनाइटेड किंगडम में इसी उसूल पर अमल हो रहा है।

जनाबवाला, मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को उनके नए अमेंडमेंट के लिए जिसका उन्होंने आज हाउस में जिक्र किया

[पंडित ठाकुर दास गार्भव]

है मुबारकबाद देना चाहता हूं । इसमें कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया था कि अगर दूसरा हैड इनकम का न हो तो दफा २३ का फायदा नहीं उठाया जा सकता और इस को महसूस करके जो तबदीली की गयी है वह निहायत मुनासिब है । किसी मेम्बर ने उसके लिए डिमान्ड नहीं की थी । गवर्नमेंट ने खुद इस तबदीली को किया है । इसके लिए गवर्नमेंट मुबारकबाद की मुस्तहक है ।

जहां तक चैरिटीज वगैरह के ग्रावीजन्स का ताल्लुक है उनके मुताल्लिक मैं अदब से अर्ज करूंगा कि लांगली तो पाइंट ठीक है क्योंकि पंजाब हाईकोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, लेकिन देखा यह जाता है कि लोग इस तरह से बहुत बार टक्स इवेड करते हैं और ठीक तरह से टैक्स नहीं देते हैं इस तरह से सिलेक्ट कमेटी ने इसको कबूल किया और इस चेंज को मुनासिब समझा ।

मैं आखिर में हाउस का ज्यादा वक्त न लेकर यह अर्ज करूंगा कि अब वक्त आ गया है कि हमारी गवर्नमेंट यह समझ कि वह पुरानी पुलिस स्टेट नहीं है बल्कि वह अब एक वेलफेयर स्टेट है । अब पुलिस वालों और इनकमटक्स वालों को अपना रवैया तबदील करना चाहिए । क शख्स जो पुलिस में जाता है उसको यह समझना चाहिए कि वह प्रोटैक्शन करने के लिए जाता है । अभी तक तो लोग पुलिस वालों से डरते हैं और इनकम-टैक्स वालों से भी डरते हैं । इनकमटैक्स में जो नये रैंक्स के आदमी हैं वह अच्छा काम कर रहे हैं और उनमें पहले से करप्शन कम है । यह कहना बिल्कुल गलत है कि अब करप्शन बढ़ गया है । जो अब बहुत से जवान आदमी इस डिपार्टमेंट में आते हैं वह अपना काम अच्छी तरह से करना चाहते हैं और वह ठीक तरह से काम करते ह । मुझे उम्मीद है कि आयन्दा यह करप्शन और भी कम हो जायगा ।

श्री भगवत झा (पूर्णिया व सन्थाल परगना) : ठीक काम करने तो नहीं दिया जाता ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरे दोस्त ने कहा कि ठीक काम करने नहीं दिया जाता । मुझ भी एक केस ऐसा मालूम है जिसमें असिस्टैंट कमिश्नर साहब ने यह ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि उनका मातहत इन्कमटैक्स आफीसर उन के लिए अपनी तन्ख्वाह में से कुछ मिला कर उन के लिए सस्ती गाय खरीद दे । वह इन्कमटैक्स अफीसर चूंकि ईमानदार था इसलिए वह ऐसा नहीं कर सका, इस लिए उस के अफसर साहब ने खराब सालाना रिमार्क दे दिये । लेकिन यह चीजें तो जब तक ह्यूमन नेचर है तब तक रहेंगी । हम इन जरा जरा सी शिकायतों को यहां बता कर पूरा इन्साफ नहीं कर सकते । लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि वाई ऐंड जार्ज इन्कमटैक्स डिपार्टमेंट के नौजवान बड़े अफसर काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और साथ ही जो अब लिमिट ३६०० से ४२०० कर दी गई है उस से बहुत फायदा होगा । लेकिन मैं चाहता हूं कि इस कानून को इस तरह से तबदील करें कि लोगों पर नाजायज असेसमेंट न हो और उन पर सख्ती न हो । मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि क्या आप का क़ानून इस बात की भी इजाजत देता है कि जब टैक्स वाजिब नहीं है और

पैंतालीस तीन तीन हजार रुपया वसूल कर ली जाय। इस से ज्यादा सख्ती और क्या हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग कोआपरेशन करें और खुशी खुशी टैक्स दें तो उसके लिये आप को उनमें कान्फिडंस पैदा करना होगा और कान्फिडेंस तभी पैदा हो सकता है कि जब आप इस घोस्ट असेसमेंट को हटायेंगे और अपीलेट आथारिटी को इंडिपेंडेंट बनायेंगे। तभी लोगों को भरोसा होगा और वह ठीक तरह से टैक्स देंगे। हमको अब असेसीज को यह महसूस कराना होगा कि वह इन्कमटैक्स आफिस को अपना दोस्त और गारजिअन समझें। और यह तभी मुमकिन है जब हम इस क़ानून को दुरुस्त करें और ऐसी हालत पैदा करें ताकि लोगों को मालूम हो कि हम यहां सिर्फ रुपया बटोरने को ही नहीं है बल्कि हम उस को जायज़ तौर से लेकर उनकी तरक्की व आराम के लिये खर्च करने के वास्ते हैं।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल) : मैं देखता हूं कि यह विधेयक, विद्यमान विधि में नवीनतम संशोधन करने तथा उसकी कमी को पूरा करने को ओट में, एक दूसरा छल है। पहले भी माननीय वित्त मंत्री ने इस विषय पर एक विस्तृत विधेयक प्रस्तुत करने का वचन दिया था। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं।

आय-कर जांच आयोग ने जो इतना लम्बा चौड़ा प्रतिवेदन रखा था और जो १९२ सिफारिशें की थीं, उन के सम्बन्ध में क्या हुआ यह हमको नहीं पता है। वर्तमान विधेयक का विदेशी पत्रों ने स्वागत किया है, पर भारतीय पत्र "ईस्टर्न एकानामिस्ट" ने इस का स्वागत नहीं किया है। वह पत्र इस आय-कर विधेयक के अन्य दोष बताता हुआ कहता है कि इसमें ब्रिटिश हितों की रक्षा के हेतु व्यवस्था की गई है और प्रथम श्रेणी के आय-कर पदाधिकार द्वारा करदाताओं के स्थान का तलाशी का अधिकार निकाल दिया गया है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि सरकार अपने ही द्वारा नियुक्त किए गए आयोग की सिफारिशों को क्यों नहीं कार्यान्वित करने की चेष्टा करती। इस सम्बन्ध में जो इतनी टाला टली हो रही है, वह न्यायोचित नहीं प्रतीत होती। सरकार अपने स्वार्थ के लिए तो तुरन्त ही कार्यवाही करती है पर सर्वसाधारण के लाभ के कामों में इतनी बहाने बाजी क्यों करती है? जब सरकार को अपनी आय-कर अनुसंधान समिति की सिफारिशों का कोई उपयोग नहीं करना था तो इतने श्रम, समय तथा धन का अपव्यय क्यों किया गया? क्या वित्त मंत्री यह बताएंगे कि उक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर वे एक विस्तृत विधयक कब प्रस्तुत करेंगे?

वित्त मंत्री का कहना है कि इस विधेयक में मुख्य रूप से तीन रियायतों का सम्बन्ध है, बीमा कम्पनियों को रियायतें, इमारतें बनाने वालों को रियायतें और उनको रियायतें जो विदेश से भारत में धन लाते हैं।

आप उस पूंजी को, जो देश के लिए सचमुच लाभदायी होगी, चाहे कोई भी रियायत दें, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। पर आप धोखेबाज लोगों को कैसे रोकेंगे जो विदेशों से भारत में चोरी छिपे धन लाते हैं? ऐसे लोग अपना बहुत सा धन विदेशी बैंकों में आय-कर से बचने के हेतु रखते हैं और उसको वे प्रस्तावित रियायत की ओट में बिना आय-कर दिए भारत में ले आयेंगे। इस कठिनाई को आप कैसे रोकेंगे?

इमारतों के निर्माण के सम्बन्ध में दी जाने वाली रियायतों के विषय में मेरा मत

[श्री वी० पी० नायर]

यह है कि सर्वसाधारण के उपयोग के हेतु बनाई गई इमारतों के अतिरिक्त और किसी इमारत के निर्माण के सम्बन्ध में कोई रियायत नहीं की जानी चाहिए, अन्यथा सैकड़ों हजारो विशाल इमारतें तो बन जायेंगी फिर भी निवास की गंभीर समस्या हल नहीं हो पायेगी। अत: यह रियायत केवल उन्हीं इमारतों के निर्माण के सम्बन्ध में दी जानी चाहिए जिसका उपयोग जनता का अधिक भाग, जैसे कि औद्योगिक कर्मचारी गण, दफ्तर के चपरासी, क्लर्क आदि, कर सकें।

वित्त मंत्री कहते हैं कि बीमा कम्पनियों ने उन्हें छूट देने की आवश्यक्ता के बारे में कई बार प्रार्थना की है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार बीमा पत्रधारियों के लाभांश अभिरक्षित को ५० प्रतिशत से बढ़ाकर ८० प्रतिशत करना चाहती है। और गोप प्रव्याजि के नवाकरण पर दिए जाने वाले भत्ते में १२ प्रतिशत की अपेक्षा १५ प्रतिशत करना चाहती है। जैसा कि मैं ने अधिनियम में पढ़ा है सरकार का विचार इन छूटों को भूतलक्षी रूप में देने का है। भारतीय बीमा कम्पनियों की स्थिति बड़ी विचित्र है। यह बड़े बड़े व्यापारों तथा बैंकों से सम्बन्धित रहती हैं।

वित्त मंत्री कहते हैं कि बीमा कम्पनियों के खर्चे में काफ़ी वृद्धि हो गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि निम्नस्तरीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के कारण भारतीय बीमा कम्पनियों के खर्चे में कितनी वृद्धि हुई है। भारतवर्ष में लगभग २०० बीमा कम्पनियां हैं जिनमें से २० विदेशी हैं तथा शेष भारतीय। ये विदेशी कम्पनियां लगभग ११५ करोड़ से १२० करोड़ तक का भारतीय व्यापार करती हैं। ये १८० भारतीय कम्पनियां लगभग ६७७ करोड़ का व्यापार करती हैं। आप देखेंगे कि इस ६७७ करोड़ में से ४२० करोड़ का व्यापार केवल ९ कम्पनियां करती हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह बीमा व्यापार कुछ एकाधिकारियों के हाथ में है। यदि आप छूट देते हैं तो यह देखना है कि यह किस प्रकार बीमा पत्रधारी, निम्न वेतन भोगी कर्मचारी, तथा अन्य को लाभ पहुंचावेंगी। छूट देने की आवश्यकता को देखते हुए तो हमें यह देखना होगा कि यह किस प्रकार अधिक से अधिक व्यक्तियों को लाभ पहुंचाती हैं। मेरे विचार से वह छूट जो अब दी गई है, उससे तो निश्चय ही उन लोगों को लाभ पहुंचेगा जो यह जानते हैं कि विधान से किस प्रकार बच सकते हैं तथा किस प्रकार बचत करके उससे लाभ उठाया जा सकता है।

हम सभी यह भली भांति जानते हैं कि सरकार किस कार्यक्षमता के साथ कार्य कर रही है। वित्त मन्त्री स्वयं इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के आयकर कार्यालय के कर्मचारियों ने उनके पास कई बार अभ्यावेदन किया है। और चूंकि उनके साथ सरकार का बर्ताव सहानुभूति पूर्ण नहीं होता अतएव वे भी सरकार के साथ हृदय से सहयोग नहीं करते। अतएव परिणाम यह होगा कि इस छूट का पूरा पूरा लाभ धनवान ही उठायेंगे।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुपुर): कानून की टालमटोल करने वालों के साथ सरकार क्या बर्ताव करती है अथवा उनको किस प्रकार दण्ड देने का प्रयत्न करती है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। मेरा अभिप्राय तो यह है कि यदि सरकार

अपना कार्य चतुराई के साथ नहीं करती तो उसमें केवल कुछ धनवानों को ही लाभ होता है और वे बच जाते हैं। अतएव यह देश के साधारण मनुष्य के लिए बहुत बुरा होता है। यदि कोई भी कर टाल दिया जाता है अथवा दिया नहीं जाता, तो उससे सरकार के कोष तथा साधारण व्यक्ति को बहुत हानि होती है। अतएव कर इकट्ठा करने के लिए सरकार को सभी उचित उपायों का प्रयोग करना चाहिए।

यह भी कहा जाता है कि इस विभाग में कुछ मामलों को निपटाने में काफ़ी समय लगता है। मुझे स्वयं ज्ञात है कि १० वर्ष से मामले चल रहे हैं और अभी तक उनका निर्णय नहीं हो सका है। यह कर एकत्रित करने में ही रुकावट नहीं डालता किन्तु जो स्वयं व्यापार कर रहे हैं उनके कार्य में भी बाधा पहुंचाता है। मेरा कहने का अभिप्राय तो यह है कि कुछ समय निश्चित कर देना चाहिए कि इतने समय में यह मामला समाप्त हो जाना चाहिए। किन्तु फिर भी इन मामलों को निपटाने में शीघ्रता करनी चाहिए।

मैं दो खण्डों के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं—एक तो पूर्तखण्ड है। बहुत कुछ कहा गया है कि यह संशोधन अधिनियम का संशोधन आयकर जांच आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही करता है'। इस वर्तमान संशोधन के अनुसार निम्न विशेषताओं वाली न्यास को ही विमुक्ति मिलेगी :

(१) आयकर अधिनियम की धारा १६ (१) (ग) के अनुसार यह न्यास हो। अर्थात यह न्यास प्रत्याहरणीय न हो।

(२) यह सम्पूर्ण रूप से धार्मिक तथा पूर्त कार्यों के लिए हो।

(३) कर लगने वाले क्षेत्रों में ही उसका कार्य प्रसार हो।

(४) यदि किसी व्यापार से कोई आय हुई है तो यह सकल रूप में संस्था के कार्य में आनी चाहिए और संस्था के मुख्य मुख्य उद्देश्यों के पालन में सहायक हो।

यदि किसी न्यास को आयकर से विमुक्ति लेनी है तो उसमें उपरोक्त सभी बातें होनी चाहिएं। इस संशोधन में निम्न बातें और जोड़ दी गई हैं :

(१) धारा १६ (१) (ग) के अनुसार प्रार्थनापत्र प्रत्याहरणीय न्यास पर अवरोध लगाते हुए।

(२) व्यापार से होने वाले लाभ ऊपर कही हुई शर्त के अनुसार।

(३) कर लगने वाले क्षेत्र में यह प्रयोज्य हो।

कई बार यह देखा गया है कि इन प्रत्याहरणीय न्यासों को इनके संस्थापकों द्वारा अनुचित रूप से आय को रखने का साधन बनाया जाता है। अतएव आयकर जांच आयोग की इस सिफारिश को हमें मान लेना चाहिए। आयकर जांच आयोग ने जहां इनको धारा १६ (१) (ग) के अन्तर्गत बाधित करने के लिए कहा है वहां यह नहीं कहा कि व्यापार से होने वाले इन लाभों पर भी कर लगना चाहिए। मैं यह जानना चाहता था कि यदि यह खण्ड स्वीकार कर लिया जाता है और यह विधेयक एक अधिनियम बन जाता है तो कितने पूर्त न्यासों को इससे लाभ पहुंचेगा।

[श्री टी० एस० ए० चेट्टियार]

मैं चाहता हूं कि सदन इस पर विचार करे कि क्या इस संशोधन को इन संस्थाओं पर तुरन्त ही लागू कर दिया जाय अथवा उनको इतना समय दिया जाय कि वह स्वयं अपना प्रबन्ध कर सकें। अन्यथा इस प्रकार हम उन्हें कठिनाई में डाल देंगे तथा उनके आय के साधनों को कम करेंगे।

[श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन अध्यक्ष-पद पर आसीन हुईं]

दूसरी बात कर लगने वाले क्षेत्रों में उपयोज्यता है। तीसरी बात यदि हमने कर लगने वाले क्षेत्रों से अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए यह छूट दे दी है तो क्या उन देशों ने भी ऐसा ही किया है। मेरे विचार से उन देशों ने तो ऐसा नहीं किया है। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो वित्त मन्त्री ने इसका उल्लेख किया होता।

अब मैं खण्ड २२ को लेता हूं। इस के अन्तर्गत प्रत्येक कर दाता जो विदेश जाना चाहते हैं आ जाते हैं। अतएव विदेश जाने वाले व्यक्तियों में अधिकतर व्यक्ति कर दाता होते हैं। मेरे विचार से यह इतनी विस्तृत है और इसी कारण यह इतनी कठिन भी है, और सम्भवतः कार्य के विचार से असम्भव भी। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री विधेयक के उपबन्धों का विचार करते हुए इसे कुछ छोटा कर दें ताकि अनावश्यक कठिनाइयों से बच जाय। अन्यथा आयकर विभाग में भी काफ़ी काम बढ़ जायगा। सहस्त्रों व्यक्ति प्रति वर्ष विदेश जाते हैं अतएव उनके पार पत्रों को प्रमाणित करना होगा, उनके बारे में घोषणा करनी होगी। अतएव केवल इतना ही रहने दें 'जो भारत में नहीं रहता' इतना ही काफ़ी है और शेष को समाप्त कर दें। यदि आपको इतना मान्य नहीं है तो उस से कम इसमें कुछ संशोधन इसे छोटा करने के लिए अवश्य करना चाहिए ताकि प्रशासनीय कार्य प्रणाली के विचार से यह आसान बन सके। मुझे आशा है कि सरकार मेरी इन दोनों बातों पर विचार करेगी।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) : सभानेत्री जी, मुझे इस बिल पर कोई नई बात नहीं कहनी है और जब कोई नई बात न कहनी हो और खास कर जब दूसरों ने बहुत सी बातें कह दी हों तो उन पर बोलने की मेरी इच्छा ही नहीं होती। परन्तु हमारे वित्त मंत्री इतने इम्पार्शल हैं कि वह हर एक बात को हर दृष्टि से देखते हैं जिस में किसी के मन में किसी प्रकार का संदेह न हो और वह ऐसी बात को लाना चाहते हैं जिस से हर एक आदमी को संतोष हो और उन की इनकम में भी किसी प्रकार की बाधा न हो। परन्तु यह चार पांच बातें जो बार बार इतने दिन से कही जा रही हैं और आज भी वह सब बातें कही गईं, जो भी बातें हमारे वित्त मंत्री ने कहीं उन सब को सुन कर भी मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे वित्त मंत्री जी ने सब बातों के ऊपर क्यों ध्यान नहीं दिया। मैं जुडिशल रूलिंग आदि कोट नहीं करना चाहता। इन्वेस्टिगेशन कमीशन ने क्या कहा है वह सब भी मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि वह सब बातें काफी कही जा चुकी हैं। परन्तु एक मामूली सड़क पर चलने वाले आदमी को जो जो बातें मालूम होती हैं और जिस से उस के मन में शक पैदा हो जाता है, उन सब बातों पर हमारे वित्त मंत्री जी क्यों ध्यान

नहीं देते और क्यों उन को दूर नहीं करते ? इस में उन को क्या आपत्ति है, यह अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। हमारे मित्र ठाकुर दास जी ने कहा कि जब सेलेक्ट कमेटी में यह बात आई तो यह कहा गया कि इस में एडमिनिस्ट्रेटिव डिफीकल्टीज़ हैं। हो सकता है कि किसी प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज़ इन सब बातों में हों, परन्तु जब जनता का इस के ऊपर इतना अविश्वास सा हो रहा है और लोग समझते हैं कि हमें तंग किया जा रहा है तो वह उन थोड़ी बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज़ को क्यों नहीं सहन करते ? उन को कोशिश करनी चाहिये कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज़ हैं उन को दूर करें। परन्तु यदि उन को दूर करने में वह असमर्थ भी हों तो भी उन्हें सहन कर उन को जनता की आवाज़ को उन्हें सुनना चाहिये।

वह बात यही है कि जिस आफिसर के पास अपील करते हैं वह बोर्ड आफ़ रेवेन्यू के अन्डर न हो बल्कि ट्राइब्यूनल अण्डर होना चाहिए। चटर्जी साहब ने बहुत से दाखिले दिये हैं जजों के, चीफ जस्टिस के आदि आदि। उन सब बातों को कहकर मैं समय नहीं लेना चाहता। जैसा मैं ने शुरु में कहा मुझे बहुत बोलने की आदत नहीं है और जो बातें कही जा चुकी हैं उनको तो मैं कहना ही नहीं चाहता। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों हमारे वित्त मंत्री जी यह कहते हैं कि नहीं यह अपील तो बोर्ड आफ़ रेवेन्यू के अन्डर ही रहेगा। यह हमारी समझ में ठीक नहीं है। मैं यह बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि वह इस पर पुनः विचार करें और इस चीज़ को दूर कर दें ताकि जो असेसी हैं उनके मन में यह संतोष हो जाय कि अब हमारी अपील अच्छी तरह से सुनी जायगी।

दूसरी बात, जिसके ऊपर मेरे मित्र ठाकुर दास जी ने भी कहा है, वह यह है कि जो ऊपर के इनकमटैक्स इंस्पेक्टिंग कमिश्नर हैं वे इनकमटैक्स आफिसर्स को इंस्ट्रक्शन्स दे देते हैं कि तुम यह सब बातें ऐसे ऐसे कर लेना। मैं भी इस बार जब जेल से में था तो कोई एक असेसी लोग आये और वह कहने लगे कि इनकमटैक्स आफिसर तो इस बात को इस तरह करना चाहता है परन्तु उस के हाथ में यह चीज़ नहीं है। अगर ऊपर के इंस्ट्रक्शन दूसरी तरह के आ जायेंगे तो उनको बड़ी मुश्किल हो जायगी। मैं आपसे कहता हूं कि यदि वह इंस्ट्रक्शन्स (आदेश) देते हैं तो, जैसी कि हमारे मित्र ठाकुर दास जी ने कहा, वह असेसीज़ के पास भी पहुंचने चाहिए ताकि वह असेसीज़ इस बात को जान लें कि यह इंस्ट्रक्शन्स दिये गये हैं और वह उन सब बातों का जवाब दे सकें। इनकमटैक्स आफिसर की इच्छा है कि यह चीज़ इस तरह से होनी चाहिए किन्तु उसके पास इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं फिर वह बेचारा क्या करे। यह बात तो ठीक नहीं मालूम होती कि अगर आप एक अफसर को यह कहते हैं कि तुम असेस करो और उसको स्वतंत्रता न हो। ऊपर के इंस्ट्रक्शन्स की वजह से वह असमंजस में पड़ जाता है और वह सोचता है कि अगर मैं अपने मन के मुताबिक करता हूं तो ऊपर वाला अफ़सर मुझ से नाराज हो जायगा और मेरी तरक्की बन्द हो जायगी आदि आदि। तो जैसा कि मैं ने शुरू में कहा हमारे वित्त मंत्री जी बड़े निष्पक्ष आदमी हैं किन्तु इन बातों को जोकि हमें मोटी मोटी बातें मालूम होती हैं उनको वह क्यों नहीं देख सकते।

तीसरी बात यह है कि जो रुपया आगे से टैक्स के लिए जमा कराया जाता

[श्री झुनझुनवाला]

था उस पर दो परसेंट इंटरेस्ट दिया जाता था। किसी ने कहा कि दो परसेंट के बदले चार पर सेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर गवर्नमेंट इसको बन्द कर देना चाहती है तो ऐसी ही करे। मैं इस को भी मंजूर करने के लिए तैयार हूं कि आप इंटरेस्ट न दें परन्तु आप इस में यह ठीक कर दें कि इतने दिन के अन्दर उनका केस तय हो जायेगा। अगर उन को इंटरेस्ट न मिले तो उन का केस तो जल्दी हो जाना चाहिये। मान लीजिये मैं ने एक लाख रुपया जमा कर दिया। अब मेरा एक लाख रुपया जमा है और इनकमटैक्स आफिसर साहब समझते हैं कि इसके ऊपर इंटरेस्ट तो लगेगा ही नहीं, चलो इतना ही फायदा गवर्नमेंट को हो, या वह यह सोच सकते हैं कि यह चाहे जितना ही पड़ा रहे कोई हरज नहीं है। टैक्स तो आ ही गया है अब इस का आहिस्ता आहिस्ता फैसला दें। समझिये चार बरस के बाद उस केस का फैसला होता है और यह फैसला होता है कि यह टैक्स गलत है और रुपया रिफंड होना चाहिए। तो अब हमारे वित्त मंत्री जी को यह देखना चाहिए कि वह गैर वाजिब चीज तो असेसी लोगों से न लें। मैं जानता हूं कि असेसी लोग कितनी बदमाशियां और बेईमानियां करते हैं। इसका भी मुझे पूरा अनुभव है परन्तु सरकार को तो एक दम से निष्पक्ष हो करके काम करना चाहिए।

एक छोटी सी बात और रह गयी है। वह यह कि इनकमटैक्स आफिसर को यह अधिकार है कि वह ऐकाऊंट बुक्स जबत कर ले। ठीक है। मैं जानता हूं कभी कभी ऐकाऊंट बुक्स को जबत करना जरूरी हो जाता है ताकि असेसी उसमें गोलमाल न कर सकें। मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं। परन्तु जो चालू एकाऊंट बुक है उसको जबत करना ठीक नहीं। अगर उस में उनको सन्देह हो तो उनको यह करना चाहिए कि उनको जबत न करें पर उनमें कोई गोलमाल न किया जा सके।

बस मुझे यह तीन चार बातें कहनी थीं और इन्हीं पर जोर देना चाहता हूं। हम को तो यह बहुत ही मोटी बातें लगती हैं। मगर हमारे वित्त मंत्री जी क्यों नहीं इनको देखते यह मेरी समझ में नहीं आता।

श्री राघवाचारी (चेनुकोंडा): सर्व प्रथम विभाग द्वारा वादों को निपटाने में जो देरी की जाती है उसके बारे में मैं अपने विचार प्रकट करता हूं। यह तो सत्य है कि इन के निपटाने में देरी अवश्य की जाती है किन्तु मुझे प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अतिरिक्त समय देकर प्रशासनाय कार्य को निपटाने के लिए कहा है। मैं समझता हूं कि काम में होने वाली देर में अब कमी हो जायगी।

दूसरी बात कर के भुगतान के लिये दिये गये पेशगी धन पर ब्याज दिया जाय अथवा नहीं के बारे में है। मेरे विचार से यह आवश्यक है कि इस पर ब्याज दिया जाय।

एक बात न्यायाधिकरण के बारे में भी है। इस न्यायाधिकरण की दो अवस्था हैं। एक तो अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त हैं। वरदाचारी समिति की सिफारिशों को इस कारण अस्वीकृत कर दिया गया कि उनको आयकर प्रशासन में उतना अनुभव नहीं होता। मेरे विचार से आयकर प्रशासन का अनुभव स्वतन्त्र न्यायाधिकरण के पक्ष में पुष्ट करने के लिए

इतना आवश्यक नहीं है। आवश्यकता तो इस बात की है कि मनुष्य स्वभाव का कितना ज्ञान है। यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति जो उच्च आयकर आयुक्त के अधीन रहा है वही व्यक्ति निष्पक्ष हो कर कार्य कर सकता है। दूसरे वह कहते हैं कि उसे न्यायालय के उच्च पदाधिकारी का अनुभव रहा हो। हम कर न देने वालों को अधिक से अधिक संख्या में पकड़ना चाहते हैं और राज्य के लिये अधिक से अधिक कर लाना चाहते हैं; मैं समझता हूं कि इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता। एक आयोग की नियुक्ति हुई थी और कर न देने वालों से करोड़ों रुपया इकट्ठा किया गया था। आयकर अधिकारियों को चाहिए कि जहां कहीं उन्हें सन्देह हो वहां वे अधिक कठोर बन कर काम लें। अपीलीय न्यायाधिकरण स्वतंत्र होंगे तथा उन पर किसी प्रकार से कोई नियंत्रण नहीं होगा। ये न्यायाधिकरण इस प्रकार के होने चाहिए कि उन में जनता तथा कर दाताओं का पूरा विश्वास हो। विश्वास तभी उत्पन्न हो सकता है जब कि य न्यायाधिकरण स्वतंत्र हों तथा बिना किसी पक्षपात के कार्य करें।

दूसरी बात अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की है। अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जिसे न्याय सम्बन्धी अनुभव हो। उपदान आय, निवृत्ति वेतन आय, आदि के सम्बन्ध में छूट दी गई है किन्तु यह छूट केवल केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित है किन्तु यह छूट सभी के लिए होनी चाहिए।

वित्त मंत्री ने यह कहा है कि निष्काशन प्रमाणपत्र निशुल्क जारी किये जायेंगे। कठिनाई तो यह है कि इस प्रमाणपत्र के पाने में जो श्रम और समय लगता है वह बड़ा दुखदायी होता है।

पहले विमानसमवायों को अपराधी ठहराया गया था किन्तु नये विमान निगम अधिनियम के अनुसार स्थिति दूसरी हो गई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि यदि समवाय कर नहीं देंगे तो अब सरकार सम्पूर्ण रूप में अथवा आंशिक रूप में ले लेगी।

श्री बासप्पा (टुमकुर) : मैं इस आयकर संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं, क्योंकि इसमें कई हितकारी उपबन्ध हैं। इससे भारतीयों को विदेशों में कमाये हुए लाभ को अधिक मात्रा में यहां लाने में सहायता मिलेगी। इससे उद्योगों के विकास में तथा आय-कर से बचने को रोकने में सहायता मिलेगी।

वित्त मंत्री ने बताया है कि समय की कमी के कारण तथा कुछ बातों के विवादास्पद होने के कारण आय-कर जांच आयोग की सभी सिफारिशों को इस विधेयक में सम्मिलित नहीं किया जा सका है। क्योंकि बहुत से लोगों ने विधेयक को और व्यापक बनाने के लिये कहा है, अतः मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री बहुत शीघ्र ही एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत करेंगे जिस से सदन की सन्तुष्टि हो जायेगी।

मैं वित्त मंत्री जी को आय-कर की छूट की सीमा को बढ़ा देने के लिये बधाई देता हूं। इस से मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचेगा और छोटे छोटे उद्योगों के विकास में सहायता मिलेगी।

करारोपण जांच समिति की घोषणा का भी स्वागत है क्योंकि वह भारत के अनेक भागों में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा लोगों के विभिन्न वर्गों पर किये जाने वाले करापात के प्रश्न की जांच करेगी। इस से हमारे संविधान के देश में धन के एक समान वितरण सम्बन्धी उपबन्धों का पालन होगा।

[श्री बासप्पा]

मैं यह कहूंगा कि हमारी आय-कर विधि का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिये कि सच्चे आय-कर दाता के साथ अच्छा व्यवहार किया जाये और उसे तंग न किया जाए और कर से बचने वालों के साथ कठोरता का व्यवहार किया जाये।

कई माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि आय-कर न्यायाधिकरण का प्रधान लेखापाल भी हो सकता है। पहिले यह विधान था कि आय-कर न्यायाधिकरण का प्रधान कोई न्यायिक पदाधिकारी हो। मैं यह नहीं कहता कि लेखापाल सदस्य प्रधान के कार्य को अच्छी प्रकार नहीं निभा सकता। किन्तु न्यायिक पदाधिकारी के होने से जनता के मन में एक प्रकार का विश्वास सा जम जाता है। मैं समझता हूं कि हमें इन दोनों के बीच का मार्ग अपनाना चाहिय, अर्थात्, साधारणतया कोई न्यायिक सदस्य आय-कर न्यायाधिकरण का प्रधान हो, किन्तु कुछ असाधारण मामलों में वरिष्ठता आदि को ध्यान में रखते हुए किसी लेखापाल सदस्य को भी न्यायाधिकरण का प्रधान नियुक्त किया जा सकता है।

बहुत से सदस्यों का यह विचार प्रतीत होता है कि अपीलीय सहायक आयुक्त केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के अधीन नहीं होने चाहियें, क्योंकि इस से वही पक्ष न्यायाधीश का काम भी करेगा। इस के प्रतिकार के लिये उन्होंने एक स्वतंत्र अपीलीय सहायक आयुक्त का पद बनाने का सुझाव दिया है। विभाग की ओर से आंकड़े प्रस्तुत करके हमें यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया गया है कि अपीलीय सहायक आयुक्त बिल्कुल निष्पक्ष भाव से कार्य करते रहे हैं। किन्तु मैं समझता हूं कि अधिकांश जन-मत इसी पक्ष में है कि आय-कर न्यायपालिका को आय-कर कार्यपालिका से पृ कर देना चाहिय। इस से निश्चय ही करदाताओं को सहायता मिलेगी। किन्तु वे कहते हैं कि दूसरी अवस्था में एक अलग स्वतंत्र न्यायाधिकरण होने के कारण पहिले वाले अच्छी प्रकार काम करेंगे और यह कर दाता तथा विभाग दोनों के लिये सहायक होगा। उन्होंने कर्मचारियों की कमी तथा अन्य प्रशासनात्मक कठिनाइयां भी बतलाई हैं। किन्तु छूट के कारण कुछ लोगों के खाली हो जाने से उन्हें इस काम के लिये सुरक्षित रख लेना चाहिये। मैं समझता हूं कि न्यायपालिका को कार्य-पालिका से अलग करना बहुत आवश्यक है। किन्तु इस विषय को व्यापक विधेयक प्रस्तुत होने पर लिया जा सकता है।

अब मैं आय-कर अधिनियम की धारा ३४ था वर्तमान विधेयक के खंड ३१ के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। इस में धारा ३४ को पश्चाद्गामी प्रभाव से लागू करने का उल्लेख है। इस मे यह कहा गया है कि आय-कर अधिकारी आय-कर से बचने वालों के आठ वर्ष पुराने हिसाब को देख सकते हैं कम कर-निर्धारण के सम्बन्ध में चार वर्ष पुराने हिसाब को देख सकते हैं। यह अच्छी चीज है, क्यों हम अपने निजी अनुभव से जानते हैं कि १९४२ और १९४८ के बीच लोगों ने बहुत-सा धन कमाया जिस पर आय-कर नहीं लिया जा सका। सरकार को उस धन पर आय-कर लेने का अधिकार है। अतः स्थिति को स्पष्ट करने के लिये ही यह खण्ड उपस्थित किया गया है। किन्तु

मैं यह कहूंगा कि मैसूर जैसे भाग ख राज्यों पर इसे बड़े ध्यान से तथा अच्छी प्रकार से सोच-विचार कर लागू करना चाहिये । वितीय एकीकरण की शर्तों में उन्हें केन्द्र की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि एकीकरण से पूर्व जो निर्णय किये जा चुके हैं उन्हें फिर दोबारा नहीं उठाया जायेगा । अतः हमें भाग ख राज्यों के साथ धीरे चलना चाहिये ।

मैं एक और बात मैसूर के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि वहां आय-कर को एक दम बहुत नहीं बढ़ाना चाहिये अपितु उस में शनैः शनैः वृद्धि करनी चाहिये। अन्यथा वहां की अर्थव्यवस्था को बहुत धक्का पहुंचेगा । यदि आप उन्हें एक दम भाग क राज्यों के स्तर पर ला देंगे तो बहुत से व्यापारी मारे जायेंगे । अतः मेरा यह सुझाव है कि हमारे वित्त मंत्री जी इन बातों को नोट करके इन पर उचित कार्यवाही करें ।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम्) : आय-कर जांच आयोग ने यह सिफारिश की थी कि सरकार जो धन जब्त करके रखे उस पर अधिक ब्याज दिया जाना चाहिये । परन्तु वर्तमान विधेयक में २% का जो बहुत थोड़ा-सा ब्याज मिलता था उसे भी हटा दिया गया है और यह भय है कि यह धन अनिश्चित काल तक रोक कर रखा जा सकेगा । यह करदाताओं के साथ अन्याय है । आय-कर अपीलीय आयुक्तों को केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के अधीन नहीं रखना चाहिये । केन्द्रीय राजस्व बोर्ड सरकार का एक कार्यपालक विभाग है, अतः एक ही प्राधिकारी को कार्यपालिका तथा न्यायपालिका दोनों का काम सौंपना सर्वथा अनुचित है ।

मैं सदन में कई बार कह चुका हूं कि हमें यह सुधार बहुत पहिले करना चाहिये था । इससे लोगों में भरोसा पैदा होगा । क्योंकि हमारा यह कर सम्बन्धी विधान पश्चाद्गामी प्रभाव से लागू होगा अतः न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना और भी आवश्यक है ।

खण्ड २२ कुछ अस्पष्ट-सा है, क्योंकि इसमें यह नहीं दिया हुआ कि इस बात को जानने के लिये कौन अधिकारी उत्तर-दायी होगा कि कोई अधिवासी यहां से जाकर लौटेगा या नहीं । किंतु इस धारा के अनुसार कोई आय-कर अधिकारी 'कुछ शेष नहीं' का प्रमाणपत्र देने या कर-विमक्ति का प्रमाणपत्र देने के लिये सक्षम नहीं है । आय-कर अधिकारी को तो केवल इतना ही पता है कि किसी व्यक्ति को राज्य को कितना आय-कर देना है, वह यह कैसे जान सकता है कि वह जाकर लौटेगा या नहीं ? मुझे 'देय हो सकती हों' इन शब्दों पर आपत्ति है कोई व्यक्ति अपने भविष्य के दायित्वों को चुकाने का ठेका कैसे ले सकता है ।

विवादास्पद दायित्वों का निर्णय कैसे किया जायेगा ? ऐसे मामलों में कुछ शेष नहीं का प्रमाणपत्र तथा कर-विमुक्ति का प्रमाणपत्र कैसे दिया जायेगा ? किसी व्यक्ति के विरुद्ध आय-कर अधिकारियों द्वारा किये गये निर्णय की अपील के लिये क्या उपबन्ध है । अतः इसे स्पष्ट करने के लिये इस खण्ड का पुनः प्रारूपण किया जाना चाहिये । अतः मैं वित्त मंत्री जी को निम्नलिखित शब्दावलि अपनाने का सुझाव देता हूं । इस से भाषा की कमियां भी दूर हो जायेंगी और सरकार को लाभ भी होगा । वह शब्दावलि इस प्रकार है :

"पारपत्र जारी करने के लिये सक्षम अधिकारी इस विषय में अपनी सन्तुष्टि करने के पश्चात् ही,

[श्री कृष्णस्वामी]

कि पारपत्र मांगने वाले व्यक्ति ने या तो आय-कर अधिकारी से एक ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है कि उसका लौटने का इरादा है अथवा किसी सक्षम अधिकारी से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है कि उसका कुछ भी दायित्व नहीं है या उसके लिए कोई व्यवस्था कर दी गई है, पार पत्र जारी करेगा ।"

मैं यह कहता हूं कि इस खंड ३१ में कई ऐसे उपबन्ध हैं जिनसे आय-कर पदाधिकारी लोगों को तंग कर सकते हैं । यदि हम आठ या चार वर्ष पुराने हिसाबों के प्रश्न को फिर उठायेंगे तो इससे न केवल कई लोग बर्बाद हो जायेंगे अपितु लोगों को हानि पहुंचाने के लिये भी इसका प्रयोग किया जायगा । यदि आप इस प्रकार ८ वर्ष या ४ वर्ष के लिए भी कर लगाते हैं तो आप व्यापारिक उपक्रमों को नष्ट करते हैं । कुछ मामलों में मैं जानता हूं कि व्यक्तियों पर काफी कर लगा दिये गये जिनका भुगतान वे दो या तीन वर्ष तक करते रहे और अन्त में उनकी दशा यह हो गई कि बेचारे पुनरावेदन भी न कर सके और तबाह हो गए । अतः या तो इस उपबन्ध को एकदम हटा देना चाहिये या उसमें आवश्यक संशोधन करना चाहिए । यह उन्हीं के सम्बन्ध में ठीक रहेगा जो कर देने से बचते हैं । यदि ऐसा न किया गया तो मैं समझता हूं कि यह बड़ा घातक सिद्ध होगा और आय-कर अधिकारियों की शक्ति से समाज के तमाम वर्गों की तबाही आ जायेगी । बीमा कम्पनियों को दी जाने वाली छूट उचित है और अच्छी भावना से दी गई है । यहां इन कम्पनियों पर छूट की सीमा और अधिक बढ़ा दी जानी चाहिए क्योंकि इन्हीं के द्वारा जनता की बड़ी मात्रा में बचत की जाती है । यदि बचत को बढ़ाने के लिए कोई प्रोत्साहन दिया जाता है तो वह देश के हित में होगा ।

पं० के० सी० शर्मा (जिला मेरठ-दक्षिण): मैंने कुछ उपबन्ध इस संशोधित विधेयक के देखे हैं जो आय-कर विधेयक के प्रशासन में लाभदायक सिद्ध होंगे । सहायक पुर्नवास आयुक्त को राजस्व मण्डल के अधीन न करके न्यायाधिकरण के अधीन किया जाना चाहिये । न्यायपालिका अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध रहा है अतः लोगों की आस्था एवं विश्वास का बना रहना अत्यन्तावश्यक है । ऐसा सोचना कि सहायक आयुक्त अधिक राजस्व की ओर ध्यान देगा कर लगाने वाले के साथ न्याय करने की ओर कम उचित नहीं है । न्याय करने के लिए यह कार्यालय न्यायाधिकरण के अधीन रहना चाहिए । आय-कर अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति अथवा कम्पनी के हिसाब किताब की जांच के लिए उनकी सीमाओं के अन्दर घुसने का पूर्ण अधिकार होना चाहिये क्योंकि कर बचाने वाले का अपराध किसी भी दशा में एक चोर से कम नहीं होता । ऐसी दशा में उनके द्वारा कर से बचाये गये धन का परा पता लग जायगा ।

दूसरी बात यह है कि जो लोग गलत विवरण देते हैं या जाली प्रमाण उपस्थित करते हैं ऐसे व्यक्तियों पर अभियोग चलाने का अधिकार भी आय-कर अधिकारियों को मिलना चाहिये । यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे अपनी रक्षा के लिए वकील आदि की सहायता लेने का अधिकार है किन्तु अपराध के प्रति सहृदयता का व्यवहार करना देश

के संविधान के सर्वथा प्रतिकूल होगा। अतः इस प्रकार की चीजों को रोकने का प्रयत्न किया जाना चाहिए बिना इसके सरकार के लिए सफलतापूर्वक कार्य कर सकना बड़ा कठिन हो जायगा।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष पद पर आसीन थे।]

बम्बई तथा अन्य अनेक स्थानों में इस प्रकार के अनेक व्यापारी लोग हैं जो लाखों करोड़ों रुपया पैदा करते हैं किन्तु इस प्रकार कार्य-संचालन करते हैं कि एक भी पैसा आय-कर में नहीं देते।

अतः मैं कहना चाहूंगा कि आय-कर से बचना और गलत विवरण देना दोनों ही कानून तथा समाज के लिए हानिकारक हैं और देश में शान्ति और सुव्यवस्था के विरोधी हैं। अतः दोनों ही दशाओं में अर्थात् जो गलत विवरण बनाते हैं तथा जो गलत विवरण प्रस्तुत करते हैं उनको वही दंड मिलना चाहिये जो किसी अपराध करने पर किसी न्यायालय में दिया जाता है।

इस गोपनीयता-उपबन्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। कर के सम्बन्ध में छल करने वाले लोगों के नाम तो अखबार में प्रकाशित होने चाहियें, उन्हें छिपाने से कोई लाभ नहीं।

कभी कभी कुछ व्यापारी लोग दोहरा हिसाब रखते हैं कर बचाने की नीयत से जिसका पकड़ पाना आय-कर अधिकारियों के लिए सम्भव नहीं होता। अतः ऐसे मामलों में विशेषज्ञों की सम्मति के लिए भी अधिनियम में कुछ प्रबन्ध करने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त ऐसे छली मनुष्यों का पता देने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार देने का प्रबन्ध भी होना चाहिये। इससे देश का आर्थिक लाभ होगा।

अब खंड २ को ले लीजिये। यह खंड केवल उस दशा में लागू होगा जब कि किसी व्यक्ति के विदेश जाते समय उसके भारत वापस आने का कोई विचार न जान पड़ता हो। वैसे तो साधारण रूप में भारत का नागरिक होने के नाते कभी न कभी उसके वापस लौट आने की सम्भावना रहती ही है अतः इसके लिए विशेष चिन्ता की आवश्यकता नहीं।

युद्धकाल आदि में अनुचित रूप से एकत्रित किया गया धन को भी बाहर लाने का प्रयत्न होना चाहिये और वसूल किया जाना चाहिए। यदि इस पर एक बार की उपेक्षा की गई तो समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो जायगी और देश का आर्थिक ढांचा सदा के लिए कमजोर हो जायगा। अधिकारियों को इसके लिये अधिकार मिलने चाहिए जिससे वे सुचारु रूप से अपना कार्य कर सकें।

श्री रघुरमय्या (तेनालि) : न्याय-पालिका को स्वतन्त्र रखने के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। आय-कर अधिनियम में किसी स्वतन्त्र न्यायिक पदाधिकारी के सम्बन्ध में उपबन्ध है या नहीं यदि है, तो मैं नहीं समझता कि आय-कर पदाधिकारी किस प्रकार स्वयं कार्य कर सकता है। यदि हम यह सिद्धान्त मानते हैं कि प्रत्येक अवस्था पर न्यायिक अधिकारी होना चाहिये, तो आय-कर का एकत्रीकरण किसी न्यायिक अधिकारी को सौंपना चाहिये किन्तु इस प्रकार एक न्यायिक अधिकारी काय-पालिकाधिकारी बन जायगा। पहला पुनरावदन पुनर्वाद सहायक आयुक्त के पास होता है और अन्त में पुनर्वाद

[श्री रघुरमय्या]

न्यायाधिकरण में। यह पूछा जा सकता है कि सहायक पुनर्वाद आयुक्त तक ही यह क्यों नहीं रोक दिया जाता ? यदि ऐसा किया जायगा तो धारा ३२ से मिलने वाला लाभ समाप्त हो जायगा। पिछले आंकड़ों से यह सिद्ध किया जा सकता है कि कई मामलों में पुनर्वाद सहायक आयुक्त द्वारा दिया गया निर्णय ही पुनर्वाद न्यायाधिकरण द्वारा भी सही माना गया। यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि उसके साथ आय-कर पदाधिकारी तथा पुनर्वाद सहायक आयुक्त द्वारा अन्याय किया गया है तो वह पुनर्वाद न्यायाधिकरण के पास जा सकता है जहां केवल कानूनी प्रश्न पर ही नहीं वरन् तथ्य सम्बन्धी प्रश्न पर भी विचार किया जायगा और अन्त में वह न्याय के लिये उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है।

मेरा अपना अनुभव यह है कि अन्य किसी भी देश में प्रथम पुनर्वाद स्थिति में न्यायिक अधिकारी नहीं होते। यह आय-कर का मामला है जिस पर देश का शासन टिका हुआ है।

मैं भी उन में से एक हूं जो यह चाहते हैं कि आय-कर लोगों के लिये भार स्वरूप नहीं होना चाहिये। इसके अतिरिक्त आय-कर अधिकारियों को ही सारे अधिकार दे देने के पक्ष में मैं नहीं हूं। इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है। खण्ड २२ का उप-खण्ड (४) बताता है :

"केन्द्रीय सरकार कोई भी नियम बना सकती है जो मामले को चलाने के लिये आवश्यक हों, घटनावश हों और इस धारा के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से हों।"

नित्यप्रति अनेक लोग देश से बाहर आते-जाते रहते हैं। अतः इस सम्बन्ध में सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति के लिये देश से बाहर जाने के पूर्व कर छूट का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है। खण्ड २२ बताता है कि :

"...कोई भी व्यक्ति जो भारत में नहीं रहता है, या वह जोकि भारत में रहता है अपने जाने के समय, आय-कर अधिकारी की राय में वापस लौटने का विचार नहीं रखता है, भारत नहीं छोड़ सकता है, भूमि, समुद्र अथवा हवाई मार्ग से जब तक कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये गए अधिकारी द्वारा एक प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त कर लेता है कि उसके ऊपर इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी देय नहीं है..."

"साथ ही यदि अधिकारी सन्तुष्ट है कि यह व्यक्ति भारत वापस लौट आने का विचार रखता है, वह चाहे एक ओर की यात्रा का अथवा उसके द्वारा की जाने वाली सभी यात्राओं के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र जारी कर सकता है..."

मैं मानता हूं कि इसमें अनेक कठिनाइयां हैं और उनको दूर करने का प्रयत्न भी किया जाना चाहिये। इसमें भी संशोधन किया जा सकता है और मैं माननीय वित्त मंत्री से उसको स्वीकार करने की प्रार्थना करूंगा। माननीय मंत्री ने बताया कि साधारणतः सभापति को एक न्यायिक सदस्य होना चाहिये। मैं कोई भी कारण नहीं समझता कि गणक सदस्य न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया को नहीं समझ सकता और सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता

में यदि गणक योग्य है तो उसे सभापति बनने से रोकने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं।

तत्पश्चात में विधेयक की धारा ४१ के खण्ड ३ पर आता हूं और मैं पृष्ठ १८ के उपखण्ड (३) को निर्देश करता हूं जिसमें यह कहा गया है कि धारा १६ की उपधारा (१) के खण्ड (ग) के उपबन्धों के अधीन कोई ऐसी आय जो किसी न्यास आदि वाली सम्पत्ति से प्राप्त हुई हो तथा जिसका उद्देश्य धार्मिक या दान सम्बन्धी हो जहां तक उसका संचय या उपयोग कर योग्य सीमा में से ऐसे प्रयोजन से किया गया हो। अब यदि कोई दान दाता संस्था एक अनाथालय खोलती है तो कर योग्य सीमा शब्द रहने के कारण इस का अर्थ देश के भीतर वाली आय पर पड़ेगा, बाहर वाली पर नहीं। अतएव ये शब्द आवश्यक नहीं हैं। आशा है माननीय वित्त मंत्री इस पर ध्यान देंगे और भाषा की अस्पष्टता के कारण मूल अभिप्राय को बिगड़ने न देंगे। मैं चाहूंगा कि दान दाता संस्था विद्यमान दान में से ही नहीं वरन् भावीदान में से भी व्यय कर सके यदि देश के भीतर वाला हो, बाहर वाला नहीं। प्रवर समिति ने इस विधेयक के कई कष्टदायक पहलुओं में सुधार कर दिया है और अपनी उक्त टिप्पणियों के अधीन मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं।

श्री टी० एन० सिंह (जिला बनारस—पूर्व): आयकर अधिनियम इतना पुराना पड़ गया है कि उस में कई परिवर्तनों की आवश्यकता है और यह विधेयक उस दिशा में पहिला पग है।

युद्ध काल में करदाताओं की संख्या बहुत बढ़ गई है और काम को पूरा करने के लिये द्रुत पदोन्नतियां हुई हैं और जल्दी में नए लोग भी भर्ती किये गये हैं। अब हमें अधिक योग्य व्यक्तियों को रखना चाहिये और इस विभाग को अधिक सशक्त बनाना चाहिये जिससे कि कर से बचने की सम्भावना कम हो जाये।

कर से बच निकलने के खतरे को टालने के लिए हम अभी तक कोई उपयुक्त उपाय नहीं निकाल सके हैं। एक बंगाली माननीय मित्र ने अपीलीय विषयों में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने के लिए बल दिया है। आय-कर के विषय में करदाता को सदा आय-कर विभाग से बात करके समझौता करने का अवसर देना चाहिये। न्यायिक कार्यवाही में कई बार सभी मामले नियमों के आधार पर ही निश्चित होते हैं और करदाता की कर देने की सामर्थ्य के आधार पर नहीं।

निरीक्षण सम्बन्धी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना बहुत आवश्यक है क्योंकि कर से बचने के लिये करदाता विभिन्न उपाय अपनाते हैं और लोगों के पास चोर-बाजारी का बहुत धन जमा है। आय-कर जांच आयोग ने भी आशा के अनुरूप कार्य नहीं किया है। समय बीतता जाता है और कर से बचने वालों के पास जो धन है वे उसे उड़ा देते हैं। हानि राज्य की ही होती है जिसे कि धन की आवश्यकता है। घाटे की वित्त-व्यवस्था से सारा भार हमारे ऊपर ही नहीं भावी संतति पर भी पड़ता है। अतः निरीक्षण करने वाले कर्मचारियों और जांच करने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी चाहिये। वे आय-कर पदाधिकारियों को जो जानकारी देंगे उस पर न्यायाधिकरण या अपील न्यायालय में बहस नहीं होनी चाहिये अन्यथा उनके कार्य में बाधा पड़ेगी। पता नहीं प्रवर

[श्री टी० न० सिंह]

समिति ने खंड ४ (ख) को क्यों हटा दिया है। इन कर्मचारियों की संख्या और कार्यप्रता बढ़ानी चाहिये। मैंने तो ऐसी कोई शिकायत नहीं सुनी है कि ये कर्मचारी सीमा से आगे बढ़ कर लोगों को तंग करते ह। आय-कर पदाधिकारी को इतना भी अधिकार नहीं ह कि वह करदाता से उसकी आय के विषय में पूरी जानकारी मांग सके या उसके बैंक के हिसाब को देख सके। कई नकली फर्में हैं और मैं ने लोक लेखा समिति मे होते हुए उनके आय-कर के भगतान की स्थिति जाननी चाही। मुझ बताया गया कि मैं उनसे यह मांग ही नहीं कर सकता। क्या हम उन लोगों का संरक्षण नहीं कर रहे हैं? हम धनियों का संरक्षण कर रहे हैं चाहे वे बेईमान ही क्यों न हों। बेचारे किसान से सभी जानकारी मांगी जा सकती है परन्तु नकली फर्मों से संसद् की समिति भी जानकारी नहीं मांग सकती। खूब!

अतः आय-कर अधिनियम में आमूल चूल परिवतन होना चाहिये। कर से बचने वाले लोग आयकर विभाग से अधिक चतुर हैं।

सेवा-निवृत्त आयकर पदाधिकारियों को व्यापारिक फर्मों के मंत्रणाकार के रूप में काम करने दिया जाता है। इसे रोकना चाहिय क्योंकि इससे सरकार के भद तो व्यापारियों को पता लग जाते हैं परन्तु व्यापारियों के भेद सरकार को पता नहीं लगते।

पूर्त संस्थाओं को विमक्त करने के लिए कई लोगों ने जोर दिया है और जो नया परिवर्तन किया गया है उसे अवांछनीय बताया गया है। परन्तु ऐसे कई न्यास बने हुए हैं जिनसे करोड़ों रुपय के व्यापार प्रतिष्ठान खरीदे जाते हैं। धर्मादे खोले जाते हैं और जब व्यापारी दिवालिया हो जाता है तो धर्मादे का पैसा उसके पास पूंजी के रूप में लौट आता है।

आय-कर अधिनियम को ठीक करना चाहिए जिससे कि लोग कर से बच न सकें परन्तु विधि को अधिक जटिल नहीं बनाना चाहिये। इसका प्रभाव केवल कुछ सहस्र उच्च वर्ग के लोगों पर ही पड़ेगा। सम्पूर्ण न्याय और संदेह का लाभ देने के सिद्धान्तों से तो ९९ प्रतिशत अपराधी बच जायेंगे और केवल एक प्रतिशत ही पकड़े जायेंगे।

अतः कोई परिवर्त्तन करते समय हमें आय-कर से अधिक कर प्राप्त करने की परम आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिये क्योंकि यह प्रत्यक्ष कर है, वांछनीय कर है और इसी से हमारी योजनाएं पूरी हो सकती हैं। इस में किसी का लिहाज नहीं करना चाहिये।

विदेशी पूंजी को भारत में आने देना उचित है क्योंकि देशी पूंजीपति रुपया नहीं लगाते, सरकार से कई प्रकार के आश्वासन मांगते हैं। यदि विदेशी पूंजीपति कोई शरारत करेंगे तो इस सदन को तत्काल हस्तक्षप करने का अधिकार होगा। हमारे पूंजीपतियों के व्यवहार के कारण हमारी योजनाओं, हमारे उद्योगों को हानि पहुंच रही है। अतः विदेशी पूंजी का स्वागत करना उचित है।

उपाध्यक्ष महोदय: वित्त मंत्री परसों वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

इसके पश्चात सदन की बैठक शुक्रवार, २४ अप्रल १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई।